विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2010/1932 (शक)]

अंक 25, सोमवार, 30 अगस्त, 2010/8 भाद्रपद, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
राज्य सभा से संदेश.	1
अंतर-संसदीय संघ (आई.पी.यू.) की 122वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के संबंध में रिपोर्ट.	1
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति.	2
अध्ययन दौरा रिपोर्ट	2
मंत्री द्वारा वक्तव्य.	
पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	2-3
डॉ. सी.पी जोशी	2-3
सदस्यों द्वारा निवेदन.	3-5
(एक) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण के बारे में	3-5
(दो) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 के उपबंधों के बारे में	7-14
(तीन) महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी-स्वर्गीय राजगुरु के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	170-171
कृषि संबंधी समिति.	7
12वां प्रतिवेदन	7
सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित.	14-15
(एक) बांध सुरक्षा विधेयक, 2010	14-15
(दो) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010	15
(तीन) प्रत्यक्ष कर संहिता, 2010	35
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना.	23-34
भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	23
श्री संजय निरुपम	23, 24-27
श्री अजय माकन	23-24
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	27-30
श्री जगदम्बिका पाल	30-32
श्री प्रणब मुखर्जी	34

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले.	36
(एक) तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और शीत गृह खोले जाने की आवश्यकता	
श्री एस. अलागिरी	36
(दो) संविधान की सातवीं अनुसूची का उपयुक्त संशोधन कर जल को समवर्ती सूची या संघ के विषय के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजय्या सिरिसिल्ला	36–37
(तीन) उत्तर प्रदेश के वसुंधरा, गाजियाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का एक औषधालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री जयवंत गंगाराम आवले	37
(चार) केरल में अलप्पुझा बाईपास परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. वेणुगोपाल	38
(पांच) केरल के अलप्पुझा जिले के कुट्टानाडु तालुक में बीएसएनएल लैंडलाइन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	38–39
(छह) उत्तराखंड में बादल फटने, भयंकर वर्षा और भूस्खलन के कारण प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय बहुगुणा	39
(सात) देश में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध उत्प्रवासन को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
योगी आदित्यनाथ	39–40
(आठ) गोवा में बड़ी संख्या में आवासीय और वाणिज्यिक स्थापनाएं, जो अन्यत्र स्थापित की जानी हैं, के हितों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4-क के चौड़ा किए जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीपाद येसो नाईक	40–41
(नौ) राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में केन्द्रीय सरकार और रेलवे के अस्पतालों को खोले जाने और क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री देवजी एम. पटेल	41
(दस) झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रों में बॉक्साइट डम्पिंग यार्ड को हटाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुदर्शन भगत	41–42
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के सथावन, वाराणसी में क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर संभावित दुष्प्रभाव को देखते हुए, प्रस्तावित जल-मल शोधन संयंत्र की स्थापना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामकिशुन	42–43

विषय	कॉलम
(बारह) उत्तर प्रदेश के भदोही में कालीन बुनकरों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और कालीन निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता	
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	43
(तेरह) बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री विश्व मोहन कुमार	43–44
(चौदह) तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में कलेक्टरेट ऑफिस के पास वाले टॉल टैक्स सेंटर को शहर की सीमा के बाहर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ई.जी. सुगावनम	44
(पन्द्रह) केरल के त्रिचूर जिले को धरोहर जिले के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.के. बिजू	45
(सोलह) उड़ीसा के क्योंझर में ''सेल'' का एक इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री यशवंत लागुरी	45–46
(सत्रह) पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
डॉ. तरूण मंडल	46
सरकारी विधेयक-आस्थगित.	46
(एक) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010	46
(दो) उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2010	47
(तीन) संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)-आस्थगित	47
नियम 193 के अधीन चर्चा.	52
(एक) देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति	52
श्री ए.टी. नाना पाटील	52–55
श्री हंसराज गं. अहीर	55–56
श्रीमती ज्योति धुर्वे	56–58
श्री नारनभाई कछाड़िया	58–59
श्री कौशलेन्द्र कुमार	59–61
श्री राम सिंह कस्वां	61–63
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	63–64
श्री पी. चिदम्बरम	64–66
(दो) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध बढ़ रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति	76
श्रीमती सुमित्रा महाजन	77–89
श्री अशोक तंवर	82–89

विषय **कॉलम**

श्री प्रेमदास 82-83

श्री रमाशंकर राजभर 83-85

श्री भूदेव चौधरी 85-86

श्री नारनभाई कछाड़िया 86-87

श्री राम सिंह कस्वां 87-88

डॉ. संजीव गणेश नाईक 88-89

श्री अर्जुन राम मेघवाल 89-93

श्री जगदम्बिका पाल 93-97

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार 98-100

श्री मधु कोड़ा 100-101

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 101-103

डॉ. तरुण मंडल 103-104

श्रीमती सुशीला सरोज 104-106

श्री हंसराज गं. अहीर 106-107

श्री पकौड़ी लाल 108-109

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय 109

श्री सुखदेव सिंह 109-111

श्री अशोक कुमार रावत 111-112

श्री विष्णुपद राय 112-113

श्रीमती ज्योति धुर्वे 113-114

श्री चार्ल्स डिएस 114

श्री सतपाल महाराज 115-117

श्री पी. चिदम्बरम 117-131

आधे घंटे की चर्चा 137

उर्वरकों की उपलब्धता 137

श्री रुद्रमाधव राय 137-141

श्री हंसराज गं. अहीर 141-143

श्री धर्मेन्द्र यादव 143-144

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 144-145

श्री शैलेन्द्र कुमार 145-146

श्री श्रीकांत जेना 146-153

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 30 अगस्त, 2010/08 भाद्रपद, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा पटल पर पत्र रखे जाएगें।

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है:

''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 27 अगस्त 2010 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 अगस्त 2010 को पारित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 122वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के संबंध में रिपोर्ट

[अनुवाद]

महासचिव: महोदया, मैं सभा पटल पर 27 मार्च से एक अप्रैल, 2010 तक बैंकाक (थाईलैंड) में हुई अंतर संसदीय संघ की 122वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के संबंध में रिपोर्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.01$^{1}/_{2}$ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरा रिपोर्ट

[अनुवाद]

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर (बनगांव): महोदया, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के मिर्चपुर गांव, जिला हिसार, हरियाणा के 2 जुलाई, 2010 के तत्स्थानिक अध्ययन दौरे संबंधी रिपोर्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री बसुदेव आचार्य - अनुपस्थित
श्री प्रबोध पांडा - अनुपस्थित

पूर्वाह्न 11.02$^{1}/_{2}$ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी. जोशी): मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा लोक सभा बुलेटिन भाग-11, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत दिए गए निदेश 73-क के अनुसरण में ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन, (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) लोक सभा में 17.12.2009 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

इस समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/अभ्युक्तियों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ब्यौरे मार्च, 2010 में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए थे।

इस समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन में 30 सिफारिशें की गई हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से 10वीं एवं 11वीं योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं के दौरान धन के आबंटन एवं उपयोग, पंचायतों के क्षमता निर्माण, केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के पुनः संरचन, कोष, कार्य व कार्मिकों के अंतरण, डीपीसी के व्यावसायीकरण, पीईएसए के प्रभावी कार्यान्वयन, बारहवें वित्त आयोग के अनुदानों, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि आदि के मुद्दों से संबंधित है।

इस समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गयी है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध को पूरा पढ़ने के लिए सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एलटी 3097/15/10]

सदस्यों द्वारा निवेदन

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(एक) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, आप अच्छी तरह जानती हैं कि पिछले सत्र से हम इस बात पर बार-बार जोर देकर मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की कार्यशैली पर चर्चा करायी जाए। आप यह भी जानती हैं कि पिछले सत्र की बीएसी की मीटिंग में इस विषय को स्वीकार भी कर लिया था और कार्यावली में यह चर्चा लगा भी दी गई थी। कार्यसूची में यह चर्चा दो हफ्ते तक लगती रही। लेकिन किसी न किसी कारण से यह चर्चा टलती रही और हम यह चर्चा नहीं कर पाए। इस बार भी आपको याद होगा कि सत्र शुरू होने से पहले आपने जब पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलायी थी और हम से यह जानना चाहता था कि हम किन विषयों पर चर्चा कराना चाहते हैं तो एक प्रमुख विषय के रूप में मैंने इसे रखा था कि हम सीबीआई की कार्यशैली पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन अब सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है। यह दो दिन का एक्सटैण्डिड सैशन है, लेकिन अभी तक हमें कोई चर्चा नहीं मिली है। कल एक प्रकरण ऐसा घटा, जिसके कारण यह चर्चा बहुत प्रासंगिक हो गई। गुजरात के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ...* ने यह आरोप लगाया है और यह समाचार पत्रों में बहुत प्रमुखता से छपा है कि सीबीआई के अधिकारी उन पर प्रैशर डाल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि वह वहां के बड़े नेताओं का नाम लें ताकि वे उन्हें फंसा सकें और यदि वह ऐसा नहीं करेंगी तो वे गीता जौहरी को फंसाएंगे। इससे ज्यादा गंभीर आरोप कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नहीं लगा सकता है। हम बार-बार इस बात को कहते रहे हैं कि यह सरकार सीबीआई का राजनैतिक दुरुपयोग करती है, अपने लोगों को बचाती है, विरोधियों को फंसवाती है और कुछ लोगों पर तलवार लटका के रखती है. ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया किसी का नाम न लें।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: कुछ राजनेताओं के सिर पर तलवार लटका देती है ताकि उनसे अपना हित साधन कर सके। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने दो दिन के लिए सत्र बढ़ाया है, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, एक दिन के लिए और सत्र बढ़ा दीजिए, लेकिन हमें यह चर्चा चाहिए। दो दिन आप विधायी कार्य कर लीजिए, लेकिन सीबीआई की कार्यशैली पर चर्चा के बिना यह सत्र का समापन न हो, यह मेरी आपसे मांग है। मैं चाहती हूं कि संसदीय कार्य मंत्री इस पर रिस्पौण्ड करें। एक दिन के लिए सत्रावधि बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सीबीआई की कार्यशैली उभर कर यहां आनी चाहिए।...*(व्यवधान)* हम सदन के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं कि सीबीआई का राजनैतिक दुरुपयोग इस सरकार द्वारा कैसे किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: सतीश शर्मा, ओतावियो क्वात्रोची को बचा लो और बाकी सब को फंसा दो। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया, हम इस सदन के माध्यम से चर्चा करके देश को बताना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: यहां संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आप एक दिन के लिए और सत्र बढ़ा दीजिए।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.06 बजे

इस समय श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, नेता विपक्ष ने याद दिलाया है कि यह विषय पिछले सत्र में लिस्ट ऑफ बिजनैस में लगा था, मैं श्रीमती सुषमा जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त उन्होंने कहा, उसी वक्त सरकार ने उसे कबूल कर लिया था कि हम चर्चा चाहते हैं। इसलिए इस बात का, इस ढंग का एक भ्रम है कि शायद सरकार नहीं चाहती। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं, यह कहना कि सरकार नहीं चाहती, यह गलत है। सरकार ने यह बात हमेशा कही है और यह बात चर्चा के जरिए भी कही जा सकती थी, जो हमारे ऊपर किसी ढंग का आरोप लगता है, यह बेबुनियाद है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने कभी भी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया और न ही कभी करेगी, यह बात मैंने पहले भी कही है और आज भी कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय की पूरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है। ...*(व्यवधान)* ये चर्चा की बात नहीं कर रहे, ये वैल में आने की बात करते हैं। ...*(व्यवधान)* आपने देख लिया है कि ये चर्चा नहीं चाहते, क्योंकि चर्चा में सब बातें सामने आ जाएंगी। ...*(व्यवधान)* ये चर्चा नहीं चाहते, ये यह चाहते हैं, जो ये कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, ये चर्चा नहीं चाहते, ये यही चाहते हैं, जो ये कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* ये अपनी बात कहने के बाद दूसरों को अपनी बात भी नहीं कहने देते। ...*(व्यवधान)* ये अपनी बात कहने के बाद सरकार को अपनी बात भी नहीं कहने देते। ...*(व्यवधान)* यही इस बात से साबित होता है कि ये व्यवधान चाहते हैं, चर्चा नहीं चाहते है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**डॉ. एम तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 4 लेगी, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

श्री बसुदेव आचार्य

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरुम्बुदूर): महोदय, मेरे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पिछले एक माह से विचार नहीं किया गया है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य खड़े हैं।

....(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.0$^{1}/_{2}$ बजे

कृषि संबंधी समिति

12वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009 के बारे में कृषि सम्बंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय मेरे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पिछले एक माह से विचार नहीं किया गया...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बालू, आप कृपया इस मामले को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उठाएं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(दो) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 के उपबंधों के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय लिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति महोदय, भारत सरकार शत्रु जायदाद बिल लोक सभा में ला रही है। यह एक खतरनाक बिल है, जो मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। पाकिस्तान से 1965 की लड़ाई के बाद कांग्रेस सरकार एक बिल लाई थी, जिसका नाम एनिमी प्रोपर्टी बिल रखा गया था, इस बिल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है तो उसकी जायदाद का वारिस उसका बेटा, बेटी, पत्नी, पिता तथा अन्य रिश्तेदार न होकर यह जायदाद सरकार की होगी। इसके तहत 2600 से अधिक जायदाद मुसलमानों की सरकार के पास चली गई, जिसमें लगभग 1800 मुस्लिम परिवार अकेले यू.पी. के हैं।

इस बिल के खिलाफ एक मुकदमा चला था, जो उच्चतम न्यायालय में मुसलमानों ने लड़ा, जिसका फैसला 2005 में उच्चतम न्यायालय के दो जजों की बेंच न्यायमूर्ति श्री अशोक भान एवं श्री अलतमास कबीर ने दिनांक 21.10.2005 को दिया था। जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:

1. अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता रखता है और वह किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रखता है तो वह एनिमी नहीं हो सकता है। संविधान की धारा 2ए तथा धारा 2बी और 2सी के तहत उसकी शत्रु जायदाद नहीं हो सकती है।

2. कस्टोडियन सिर्फ देखभाल करने का कार्य कर सकता है। वह मालिक नहीं हो सकता है। कस्टोडियन को यह जायदाद उस मालिक को वापस करनी होगी, जो विदेशी नहीं है।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कस्टोडियन ने जिन लोगों की जायदाद किराये पर दी है, उनको खाली कराकर वारिश को आठ हफ्ते में वापस करानी होगी।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से उत्तर प्रदेश के 1800 मुसलमानों को फायदा हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व एम.एल.ए. एम.ए.एम. खान उर्फ सुलेमान राजा मेहमूदाबाद भी शामिल हैं, लेकिन मुसलमानों के हित को सरकार यह बिल लाकर छीनना चाहती है, जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता है।

गृह मंत्री, भारत सरकार श्री पी.चिदम्बरम इस मुकदमे में मुसलमानों एवं एम.ए.एम. खान, राजा मेहमूदाबाद के खिलाफ वकील थे तथा भारतीय जनता पार्टी के दो नेता भी इनके साथ वकील थे। माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमा हारने के बाद गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम अन्य नेताओं के साथ मिलकर लोक सभा में एक बिल ला रहे हैं। इस बिल से पूरे देश के मुसलमानों का नुकसान होगा और इस बिल से मुसलमानों में हीनता की भावना पैदा होगी, जो इस मुल्क की धर्मनिरपेक्षता के लिए सही नहीं है। यह कांग्रेस की मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। वह मुसलमानों का हक इस बिल के माध्यम से छीनना चाहती है।

इस देश के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। इस देश में मुसलमान की स्थिति वैसे ही दयनीय है

तथा इस तरह के बिल लाकर उनके अंदर हीन भावना पैदा करके कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को गलत रास्ते पर जाने का कार्य करवाना चाहती है। ...*(व्यवधान)* आप क्यों बोल रहे हैं? हम तो कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं।

यह विधेयक माननीय उच्चतम न्यायलय के फैसले के खिलाफ लाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक में फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस सरकार मुसलमानों को नुकसान व हीन भावना पैदा करने के लिए उनको अपनी जायदाद से बेदखल करने के लिए यह बिल लाया रही है। इस बिल को तुरन्त रोकने की आवश्यकता है।

इस बिल के कुछ बिंदुओं पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। इस बिल में यह कहा गया है कि मुसलमान को 120 दिन में अपनी नागरिकता बतानी होगी। यह गलत है। बार-बार मुसलामनों से इस तरह की डिमांड क्यों रखी जाती है? मुसलमान इस देश में सच्चे हिंदुस्तानी हैं तथा हिंदुस्तान के खिलाफ उठने वाली आवाज के खिलाफ अपनी जान की कुर्बानी भी देन के लिए तैयार हैं। इस तरह की डिमांड मुसलमानों से क्यों की जा रही है?

जिन मुसलमानों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से उनकी जमीन जायदाद मिलेगी, उन्हें उसे खाली कराने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब कोई भी हिंदुस्तानी अपने किरायेदार को अपनी जायदाद खाली कराने के लिए कह सकता है, तो मुसलमान अपने किरायेदार से अपनी जायदाद खाली क्यों नहीं करा सकता है? इस तरह का भेदभाव केवल मुसलमानों के साथ ही क्यों किया जा रहा है?

इस बिल में कांग्रेस पार्टी तथा अब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी दोनों के हाथ मिले हुए हैं तथा आनन-फानन में इस बिल को लोक सभा में पास करवाकर और राज्य सभा में पास कराकर कानून बनाना चाहते हैं जिससे मुसलमान तरक्की तथा अधिकार से वंचित हो जाए। यह भारत के संविधान के अनुकूल नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा में व्यवस्था होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: इस बिल को तुरन्त स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की कृपा करें।..*(व्यवधान)* अब साबित हो गया है कि इस देश की कांगेस पार्टी और बीजेपी एक साथ हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठें। मैंने श्री जसवंत को कहा है। वह बोलने के लिए खड़े हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: यह सही है। कांग्रेस के दूसरे सदन के दोनों नेता हैं और राज्य सभा के मैबर हैं, ये मिलकर कांग्रेस पार्टी, मैं बीजेपी का नाम पहले नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी जो मुझसे कहा गया और बीजेपी दोनों मिलकर मुसलमानों के खिलाफ ...*(व्यवधान)* कुछ कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* यह मुसलमानों के खिलाफ है। ...*(व्यवधान)*

अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपने पहले ही अपनी बात कह दी है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं मुलायम सिंह जी को बता देना चाहता हूं कि इसमें संशोधन दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: कुर्बानी देने वालों में अब्दुल हमीद से लेकर कभी मुसलमान पीछे नहीं रहा। आजादी की लड़ाई में कभी मुसलमान पीछे नहीं रहा, लेकिन आज अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी से मिलकर ...*(व्यवधान)* इस बिल को ला रही है। यह मुसलमानों के खिलाफ है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: सलमान खुर्शीद जी ने और बहुत से सदस्यों ने इस बात का जिक्र माननीय गृह मंत्री जी और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से किया था। ...*(व्यवधान)* उसके बाद सरकार ने अपने ...*(व्यवधान)* संशोधन पेश कर दिए हैं ...*(व्यवधान)* और इन संशोधनों के बाद इनको किसी बात की चिंता नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हम सब मिलकर उनको दरख्वास्त करेंगे कि बीजेपी भी इसमें सपोर्ट करे। ...*(व्यवधान)* हम सभी मिलकर यह बात कहें कि संशोधन उसके बाद इसमें आ गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): इस बिल की कोई जरूरत नहीं है ...*(व्यवधान)* यह मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: उसके बाद आपको कोई चिंता या आशंका नहीं रहनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपने पहले ही अपनी बात कह दी है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: जो संशोधन हैं, कृपा करके आप उनको भी देख लीजिए। ...*(व्यवधान)* जो बात आपने कही, उसके बाद वह बात नहीं रह जाती है। ...*(व्यवधान)* उन चीजों का बिलकुल ध्यान रखा गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। आपने पहले ही अपनी बात कह दी है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति महोदय, एक मिनट हमारी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: मैं यह कह रहा हूं कि श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा व्यक्त विचारों का ध्यान सरकारी तौर पर प्रस्तावित संशोधनों में रखा गया है। उन संशोधनों की सूचना दी गई है। संशोधन परिचालित किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों ने उन संशोधनों को पढ़ लिया होगा। उससे इस संबंध में उनके सभी संदेह दूर हो गए होंगे। उसके पश्चात् कुछ शेष नहीं है। हमें एकमत से इस विधेयक को पारित करना चाहिए ... .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, जो बात मुलायम सिंह जी ने उठायी है, उसका जवाब देते हुए ...*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री जी, आप सुनिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: सुप्रीम कोर्ट का आदर होना चाहिए। .. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री बंसल, कृपया अपनी सीट पर आएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अपनी सीट पर आएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अपनी सीट पर आइए।...*(व्यवधान)* यह राय-मंत्रणा बाहर कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: केवल श्रीमती सुषमा स्वराज बोलेगी।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्रीमती सुषमा स्वराज जो कहेंगी उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर बिल मूलरूप में आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हम उसमें संशोधन ला रहे हैं। अगर आप संशोधन लाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे।. ..*(व्यवधान)* इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यह बिल आज लिस्टेड है। आप इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, क्योंकि संशोधन आने के बाद यह नया बिल बन जाएगा।...*(व्यवधान)* अगर आर्डीनैंस मूलरूप में आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, संशोधन के साथ आएगा तो हम विरोध करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी सीट पर आएं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपकी नेता बोल रही है उन्हें बोलने दें।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराजः अगर संसदीय कार्य मंत्री जी को मंत्रणा करनी है तो हाउस ऐडजर्न कीजिए, बाहर बात होगी।... *(व्यवधान)* यह सीट टू सीट, सीट टू सीट क्या हो रहा है?... *(व्यवधान)* वे लोगों को एक-एक सीट पर जाकर समझा रहे हैं।. ..*(व्यवधान)* सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः महोदया, आप बोलें।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः वह खड़ी हुई है। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः श्रीमती सुषमा स्वराज के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)....**

श्री पवन कुमार बंसलः महोदय यह विधेयक आप चर्चा हेतु सूची में है...*(व्यवधान)* मेरा अनुरोध है कि हम पहले विधेयक पर चर्चा करे। हम विधेयक के उपबंधों पर चर्चा करें....*(व्यवधान)* यह शून्य काल है। तथापि इस मामले पर अनुमति दी गई है। आइए हम इस पर आज ही संबंधित समय में चर्चा करें।....*(व्यवधान)*। यह कार्य सूची में है ....*(व्यवधान)* यह कार्य सूची में है। आइए हम इस पर चर्चा करें और फिर किसी निर्णय पर पहुंचे *(व्यवधान)*

सभापति महोदयः ठीक

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराजः मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे नियम यह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्पीकर की तरफ पीठ करके खड़ा नहीं हो सकता। पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दस-दस मिनट स्पीकर की तरफ पीठ करके खड़े रहे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसलः मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराजः अगर उन्हें राय-मंत्रणा करनी है तो वे हाउस ऐडजर्न करवाएं और जिससे राय-मंत्रणा करनी है, करें। ...*(व्यवधान)* सदन के अंदर सीट टू सीट, सीट टू सीट जाकर वे राय-मंत्रणा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह नियमों के विरुद्ध है। ...*(व्यवधान)* दूसरा, मुझे यह कहना है कि मुलायम सिंह यादव जी ने कहा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः केवल श्रीमती सुषमा स्वराज का कथन ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा। उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराजः सभापति महोदय, अभी मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अगर बिल मूलरूप में आयेगा, तो हम विरोध करेंगे। ...*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम उसमें संशोधन ला रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि अगर आप संशोधन लायेंगे, तो हम विरोध करेंगे। ...*(व्यवधान)* इसलिए इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाये, जहां एक-एक धारा पर चर्चा हो। ...*(व्यवधान)* उसके बाद यह बिल आना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आज यह बिल न लिया जाये। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.15 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.16 बजे

(एक) बांध सुरक्षा विधेयक, 2010**

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं भारत में सभी बांधों के सुरक्षित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 30.08.2010 में प्रकाशित।

प्रकार्यन हेतु उनकी उचित चौकसी निरीक्षण प्रचालन एवं रख-रखाव के कतिपय मानदंडों तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

''कि महोदय, मैं भारत में सभी बांधों के सुरक्षित प्रकार्यन हेतु उनकी उचित चौकसी निरीक्षण प्रचालन एवं इस रख-रखाव के कतिपय मानदंडों तथा उससे संबंधित अथवा उसके अनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक का प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं विधेयक पुन:स्थापित करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.16½ बजे

(दो) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी.पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं श्री कपिल सिब्बल की ओर से प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 में और संशोधन करने हेतु विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

''प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने हेतु विधेयक के पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 30.08.2010 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब हाउस चल रहा है और विपक्ष की नेत्री हाउस को संबोधित कर रही हैं, तब हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने एक नियम का उल्लंघन किया है।

[अनुवाद]

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम का नियम 349 (xii) स्पष्ट उपबंध करता है:

''जब सभा की बैठक हो रही हो तो कोई सदस्य अध्यक्ष-पीठ की ओर पीठ करके नहीं बैठेगा या खड़ा नहीं होगा।''

महोदय, यदि वे माननीय सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करना चाहते थे तो वे उन्हें लॉबी में बुला सकते थे, वे उन्हें अपने चेम्बर में भी बुला सकते थे, लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्य पूर्ण है कि संसदीय कार्य मंत्री होने के बाद भी वे असंसदीय व्यवहार और आचरण कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, सभी लोग सदन में इधर से उधर आते-जाते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, ये असंगत बातें कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं जो कह रहा हूं, वह असंगत बात नहीं है, ये जो कह रहे हैं, वह असंगत बात है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग बैठ जाइए। शांत रहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: इसलिए इस माननीय सभा की उच्च परम्पराओं को बनाए रखते हुए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से उनके व्यवहार के लिए क्षमायाचना करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह 10 मिनट से ज्यादा समय तक चल रहा है...*(व्यवधान)* हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री से ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वे पूरे सदन से क्षमा याचना करें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और इस पर मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि आप संसदीय कार्य मंत्री को मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देने दें और सदन से क्षमा याचना करने दें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह संसदीय कार्य मंत्री को हरेक मेंबर के पास जाने का व्यवहार है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूं। लेकिन मैं उनके मामले का समर्थन करूंगा *...(व्यवधान)* महोदय, लगभग तीन दिन पूर्व माननीय अध्यक्षा ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी जहां विपक्ष के नेता भी उपस्थित थे। इस सत्र के दौरान लगभग 48 घंटे का समय बर्बाद हो चुका है और इस पर सदन के नेता और विपक्ष के नेता सहित इस सदन के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में चर्चा हुई थी। प्रतिदिन हम सदन में व्यवधान देख रहे हैं। हम यहां केवल हस्ताक्षर करने और दैनिक भत्ता लेने नहीं आए हैं। जो कुछ भी यहां हो रहा है उससे मैं काफी आहत हूं *...(व्यवधान)* वे एक वरिष्ठ नेता हैं। अब वे हमें सलाह दे रहे हैं कि सदन में हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। अब वे संसदीय कार्य मंत्री को बता रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार इस सदन के नियमों का उल्लंघन किया है *...(व्यवधान)* मैं अत्यंत दु:खी हूं, विशेष रूप से मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के लिए यह सहयोग करने का तरीका नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय मुझे पता नहीं है कि वे क्यों खड़े हैं *....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): विपक्ष सरकार का अंग हुआ करता है। कोई मंत्री अगर किसी मसले पर विपक्ष के सदस्यों से, लीडर से बात करता है, तो वह कोई अपराध नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: वह बात लॉबी में करें, अपने चेंबर में करें। अध्यक्ष की ओर पीठ करके बात करना ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाएं।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, अनंत कुमार जी ने अभी एक सवाल उठाया है। यह ठीक है कि सदन के चलते संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं, लेकिन खड़े होकर नहीं, उनकी बगल में बैठकर मिलते हैं और विचार विमर्श करते हैं। यह एक परम्परा रही है कि अगर कोई जरूरी बात हो तो उन्हें पूरा हक है सबके पास जाकर, बैठकर बात करें, क्योंकि हाउस चलाने की मुख्य जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए, खड़े होकर नहीं, क्योंकि यह सदन की गरिमा के खिलाफ है।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): डिप्टी स्पीकर साहब, हम तमाम दलों के नेताओं ने बीएसी की मीटिंग में इस सत्र का कार्यकाल दो दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस बारे में हम सबकी बातचीत भी हुई थी कि संसद का यह सत्र दो दिन और बढ़ाया जाए या नहीं, लेकिन हमने दो दिन के लिए इसे बढ़ाया है। हमें आशा थी कि सरकार के जो बाकी बिल्स हैं और अन्य जरूरी काम है, उन्हें निपटाया जाए। हमने यह भी तय किया था कि इस दौरान हम चर्चा में भाग लेंगे और सदन को सुचारू रूप से चलाएंगे, लेकिन आज सुबह ही स्थिति बिगड़ गई।

संसदीय कार्य मंत्री का काम है कि हाउस सही ढंग से चले और इस सिलसिले में वह विपक्ष के नेताओं से जाकर मिल सकते हैं। हमें यह देखना है कि इस सत्र का कार्यकाल जो दो दिनों के लिए बढ़ाया गया है, तो सदन अच्छी तरह से चले। बंसल जी किसी नेता के पास जाकर सदन को सुचारू ढंग से चलाने का अगर प्रयास करते हैं तो इसमें कोई गलत बात दिखाई नहीं देती है। अगर सदन की कार्यवाही ठप हो जाए तो यह ठीक नहीं होता है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो काम किया, वह पूरी तरह से ठीक किया।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, पूरी विनम्रता के साथ मैं इस सदन को, माननीय अध्यक्षा को, आपको और प्रत्येक उस व्यक्ति को जो किसी न किसी प्रकार संसद के संचालन से संबद्ध है, आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं संसद की परम्पराओं का सम्मान करता हूं।

महोदय, मेरा हमेशा यह प्रयास रहा है कि मैं हमेशा अत्यंत सूक्ष्मता से अनुपालन करू और इस पूरी अवधि के दौरान मुझे कभी-कभी विपक्ष के नेता से, कभी-कभी विभिन्न अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलना पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुबह कुछ शोरगुल हुआ था, कुछ बिन्दुओं पर बीजेपी के नेताओं के बीच विचारों में काफी मतभेद था। मेरे विचार से, जब मैं वहां गया तो मैं एक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, लेकिन महोदय अब मैं देख रहा हूं कि मुझे उसकी याद दिलाई जा रही है। मुझे उसकी याद माननीय विपक्ष के नेता द्वारा, श्री अनंत कुमार द्वारा भी इसकी याद दिलाई जा रही है कि मैंने बिलकुल अनजाने में अनुचित व्यवहार किया कि मैंने अध्यक्ष पीठ की ओर अपना पीठ किया और ऐसा करना कभी मेरा मकसद नहीं था और न ही कभी भी मेरा ऐसा उद्देश्य हो सकता है।

मुझे श्री लालू प्रसाद और श्री मुलायम सिंह यादव जी का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन वहां बैठने के लिए जगह नहीं थी। अवसर ऐसा था परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि सदन सुचारू रूप से चल रहा हो जैसा कि अभी हो रहा है और मैं किसी माननीय सदस्य के पास गया और उनके पास किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठ गया। स्थिति ऐसी थी कि मैं सदन को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा था जो वास्तव में, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन मेरी ओर से यह माननीय सदस्यों को सूचित करने का विनम्र प्रयास था कि सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में उनके विचारों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं द्वारा भिन्न विचार प्रकट किया गया और मुझे पता नहीं है कि माननीय विपक्ष की नेता उस समय खड़ी थी या बोल रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय पूरा शोरगुल हो रहा था। मेरा प्रयास केवल यह था कि हम उसे समाप्त करें।

लेकिन इस प्रक्रिया में यदि मैंने बिलकुल अनजाने में अपनी पीठ उस तरफ कर दी, यह मेरी ओर से जानबूझ कर नहीं किया गया था। मेरा तात्पर्य किसी के प्रति अनादर प्रकट करना नहीं था। यदि मेरी पीठ उधर हो गई, मुझे बहुत बुरा लगा और इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन मेरी ओर से ऐसा कुछ नहीं था।

मैं इस अवसर पर आगे यह कहना चाहता हूं कि, मैं इसे सही भावना से लेता हूं और मैं ईमानदारी से यह चाहता हूं कि यदि ये परम्पराए हैं, जिन्हें हमें कायम रखना है, जो नियम माननीय सदस्य ने पढ़ा यदि उसका हम अपनी कार्य अवधि में पालन करें।-जैसा कि सुदीप बन्दोपाध्याय जी ने कहा- तब हम वास्तव में एक पूर्णत: अलग तस्वीर पेश करेगें, और मुझे कभी भी किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। यही प्रयास माननीय अध्यक्षा के एक दिन पूर्व किया था।

श्री जसवंत सिंह (दार्जीलिंग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पहले भी पुकारा गया था लेकिन कुछ घरेलू राजनीति की भावनाओं का हस्तक्षेप हुआ और सदन को स्थगित करना पड़ा। महोदय मैं आपकी अनुमति से घरेलू मुद्दों से हटकर कुछ अन्य मुद्दों की ओर जाना चाहूंगा जो मेरे विचार से अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व के हैं और देश की विदेश नीति और सुरक्षा नीति से संबंधित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो पहलुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। एक तो चीन गणराज्य के अधिकारियों के द्वारा इस आधार पर वीजा देने से मना करना कि जम्मू-कश्मीर संवेदनशील अथवा विवादास्पद क्षेत्र है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष जी ने इन्हें बुलाया था, लेकिन हल्ला-गुल्ला होने की वजह से ये उस समय बोल नहीं पाए थे, इसलिए अध्यक्ष जी की अनुमति के आधार पर हमने इन्हें बुलाया है, इनके बाद कॉलिंग अटेंशन चलेगा, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इससे अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उठे है। यह हमारी प्रादेशिक एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित कर रहे हैं इसके अतिरिक्त मेरी राय में, यह एक पड़ोसी देश की ओर से अत्यधिक उकसाने वाले आचरण का एक उदाहरण है।

माननीय रक्षा मंत्री जो अनेक वर्षों से मेरे प्रिय मित्र हैं और जिन्हें मैं बहुत सम्मान देता हूं, उन्होंने भी यह जरूरी नहीं समझा कि इस मामले को पूरी गंभीरता से लें। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता जो उन्होंने कही ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। कॉलिंग अटेंशन चलेगा, इनके बाद तुरंत चलेगा अैर ये बहुत देर तक बोलने वाले नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह: परन्तु महोदय मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सैद्धान्तिक रूप से, रक्षा मंत्री के कार्यों में, उनके कर्तव्यों और जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के अतिरिक्त, भारतीय थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के हित, सम्मान और कल्याण की सुरक्षा भी करना है। अधिकारी जिसे वीजा देने से इनकार किया गया है एक लेफ्टिनेंट जनरल है, हमारी नादर्न आर्मी का एक आर्मी कमाण्डर है और इंडियन आर्मी के बड़े अधिकारियों में से एक है। महोदय, यह न केवल एक व्यक्ति के साथ भद्दा मजाक है; और चूंकि उनकी वर्दी भारतीय गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है, उस सूरत में यह भारत के ऊपर एक लांछन है। मैं यह इच्छा जरूर करता हूं और मैं ऐसी पूरी आत्मीयता से करता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री ने भी इसे इतना हल्के में नहीं लिया होगा।

दूसरा पहलू जिस पर भी मैं जोर देना चाहता हूं वह जम्मू और कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र के कुछ भागों में घटने वाली हाल की घटनाओं के बारे में है-और जम्मू तथा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है- और उत्तरी प्रादेशिक क्षेत्रीय सीमाओं को हम अभी भी अविभाजित जम्मू व कश्मीर का भाग मानते हैं। मैं गिलगिट और बालतिस्तान के क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि इस्लामाबाद ने गिलगिट और बालतिस्तान क्षेत्र का वस्तुत: नियंत्रण पीपल्स लिब्रेशन आर्मी को सौंप दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, पीपल्स लिब्रेशन आर्मी चीन के राष्ट्रीय हित और चीनी गणतंत्र की नीतियों का अनुगामी है। इसके परिणाम स्वरूप, उपाध्यक्ष महोदय जम्मू-कश्मीर के पश्चिमी भागों के कतिपय क्षेत्र, पाक अधिकृत कश्मीर, जो उत्तर में गिलगिट से दक्षिण में बालतिस्तान तक फैला है को उस क्षेत्र के नागरिकों के लिए भी बंद कर दिया गया है। जिसमें पाकिस्तान सेना के सैन्य कर्मिक भी शामिल हैं।

इस क्षेत्र के लिए अब सभी रास्ते पीआरजी के माध्यम से पीएलए द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। इन गतिविधियों के बारे में रिपोर्टें बहुत खेदजनक रूप में सामने आई हैं, मैं यह अनेक विदेशी गुप्तचर स्त्रोत्रों, विदेशी और पाकिस्तानी पत्रकारों और पाकिस्तानी मानव अधिकार कार्यकर्ता के हवाले से कह रहा हूं परन्तु मुझे इस बात का दु:ख है कि भारत सरकार अभी तक इसके विरूद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है। यह हमारे राष्ट्रीय हित से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला है और मैं अत्यधिक आशान्वित था कि सरकार आगे आकर इससे संबंधित जानकारी देती, बजाय इसके कि विदेश की कोई हमें इस बारे में जानकारी दे रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह और जोड़ता हूं कि सरकार का कर्तव्य देश को सूचित करना है और हमें यह जानने का अधिकार है कि सरकार का इस संबंध में क्या मत है?

तीन अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं। मैं उनके बारे में बताने में ज्यादा समय नहीं लूगा।

महोदय, गिलगिट और बालतिस्तान क्षेत्र में यह नई गतिविधि गिलगिट में अंदर ही अंदर खदकते विद्रोह से भी जुड़ी हुई है और वहां गोलीबारी भी हुई है साथ ही कर्फ्यू भी लगा है। सरकार के साथ इस सम्बंध में क्या जानकारी है?

दूसरे, मुझे यह जानकारी दी गई है कि गिलगिट और बालतिस्तान के क्षेत्र में, पीपल्स लिब्रेशन आर्मी के करीब 11000 सैनिक आ गए हैं, जो स्थायी आवासों हेतु बैरकों का निर्माण कर रहे हैं।

तीसरे, ऐसी खबरें आई हैं कि वहां 22 सुरंगें खोदी जा रही है, जो रेल के आवागमन सड़क या संभावतया मिसाइलों का भण्डारण करने की सुविधा के लिए हो सकती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उसके पास क्या जानकारी है?

महोदय, अंत में संक्षेप में और स्पष्टत: यह कहना चाहता हूं कि चीन गणतंत्र इस क्षेत्र पर मजबूत पकड़ चाहता है ताकि भारत को और घेरा जा सके और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर और खाड़ी देशों तक एक बाधारहित और सीधी सड़क और रेल मार्ग का निर्माण किया जा सके।

आगे मैं यह और कहना चाहता हूं कि जब गिलगिट और बालतिस्तान से होते हुए तीव्र गति रेल और सड़क सम्पर्क पूरे हो जाएंगे, तो चीन सिविल अथवा मिलिट्री कार्गो को चीन द्वारा पूर्वी तट पर बनाए गए नए बंदरगाहों ग्वटर, पसनी और ओर भाटा से 48 घंटों में मकरान तट तक भेजा जा सकता है, यह सीधे तौर पर हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये मुद्दे वृहद राष्ट्रीय महत्व के हैं। प्रधानमंत्री के हाल ही में हमें जानकरी दी की कि सरकार की नीति बदले

की कार्रवाही करने की नहीं है। मैं ऐसे दुरूह वाक्यांशो के प्रयोग से झंझट में पड़ जाता हूं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि बदले की कार्रवाई करने की नीति से उनका क्या मतलब है जब हमें चीनी गणतंत्र द्वारा चारो तरफ से घेरा जा रहा है। हम इस उलझन में है कि सरकार क्या कर रही है। महोदय, क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री को आगाह करने और सलाह देने की जुर्रत कर सकता हूं? राजनीति बड़ी निष्ठुर है भला बने रहने से गड़बड़ी होगी और भीरूता ठोस नीति का पर्याय कभी नहीं हो सकती।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह जी द्वारा उठाए गए मुद्दे में सम्बद्ध होना चाहता हूं। हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बी. महताब और श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री जसवंत सिंह जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होना चाहते हैं।

अपराह्न 2.19 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद सं. 6 ध्यानाकर्षण पर चर्चा करेंगे।

श्री संजय निरुपम

श्री संजय निरुपम (मुंबई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृहमंत्री का ध्यान तत्काल लोक महत्व के निम्नलिखित मुद्दे की ओर आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें:

''संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को शामिल किए जाने की आवश्यकता''

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): महोदय, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किए जाने के लिए संविधान में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। इस समय भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हो। इनमें से शुरू में संविधान में 14 भाषाएं शामिल की गई थीं। सिंधी भाषा 1967 में शामिल की गई है। इसके बाद 3 और भाषाओं अर्थात कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को वर्ष 1992 में शामिल किया गया था। तत्पश्चात् वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थीं। इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का आधार उस समय की परिस्थितियां और लोगों की मांगें थीं। इस समय भोजपुर और राजस्थानी भाषाओं सहित 38 और भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांगें लंबित हैं। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल किए जाने के उद्देश्य मानदंडों को निर्धारित करने के लिए श्री सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में सितम्बर, 2003 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने वर्ष 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ परामर्श करने के लिए विचाराधीन है। भोजपुर और राजस्थानी भाषाओं सहित अन्य भाषाओं को आठवीं अनुसुची में शामिल किए जाने की लंबित मांगों पर निर्णय, अन्य बातों के साथ-साथ समिति की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णय के आधार पर लिया जाएगा। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल किए जाने की मांगों पर विचार करने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

श्री संजय निरुपम: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो बयान है, पिछले कई वर्ष से जो लिखित जवाब हमारे पास आता है, उसी तरह का है। भोजपुरी, राजस्थानी, दो भाषाएं बाकी तमाम 39 भाषाओं की तरह भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए अरसे से संघर्ष कर रही हैं। मैं कॉलिंग अटैंशन में दो भाषाओं के संदर्भ में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। विशेषकर भोजपुरी मेरी मातृभाषा रही है।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अब भी है?

श्री संजय निरुपम: अभी भी है। ...*(व्यवधान)* वहीं इंतजाम करत हैं कि आगे जाकर भोजपुरी में बोलें पार्लियामेंट में, रुको जरा सा। ...*(व्यवधान)* अगर भोजपुरी में बोलेंगे तो यहां इन्टरप्रेटेशन नहीं होगा इसलिए यह इंतजाम किया जा रहा है। इस देश में भोजपुरी हिंदी के बाद दूसरी बड़ी भाषा है जो लगभग 1000 साल पुरानी भाषा है। हमारे पास 7वीं सदी के इसका इतिहास उपलब्ध है। पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान के अलावा लगभग पांच ऐसे कंटीनेंट हैं जहां भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं। अगर दुनिया में पापुलेशन देखी जाए तो लगभग 18 करोड़ लोगों की भाषा भोजपुरी है। भारत के अलावा लगभग 12 देशों में भोजपुरी बोली जाती है। यह भाषा

बिहार और यूपी में रहने वालों की भाषा है लेकिन इसके साथ यह हमारे जैसे लोगों की भाषा है जो मुम्बई, कोलकाता या दिल्ली में रह रहे हैं। यह उन लोगों की भाषा है जो आज से 150 साल पहले हिन्दुस्तान से अलग देशों में किरमिटया मजदूर बनकर गए थे। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी और ट्रिनिदाद गए और सूरीनाम से बहुत से लोग आकर हॉलैंड में रह रहे हैं, ऐसे लोगों की घर और बोलचाल की भाषा, आपस के व्यवहार की भाषा भोजपुरी है। ऐसी भाषा के बारे में पिछले दिनों बिहार में सर्वे हुआ, जहां भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाती है और सर्वे के बाद बिहार में भोजपुरी नंबर वन रही। यहां तक कि बिहार में हिन्दी राष्ट्रभाषा से ज्यादा भोजपुरी भाषा बोली जाती है और इसकी संख्या 24 प्रतिशत के आसपास है। एक प्रांत में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, यूपी का पूर्वांचल भोजपुरी इलाका हो गया है। हिन्दुस्तान में लुधियाना, सूरत, बड़ौदा शहरों में भोजपुरी भाषी लोग मिलते हैं। इस आधार पर एक अरसे से मांग उठ रही है कि इस भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया जाए। सिर्फ लोग बोलते हैं इसलिए नहीं, बल्कि इस भाषा को अपना एक इतिहास, संस्कृति, व्याकरण और परंपरा है, इसकी लिपि सिर्फ देवनागरी है। अन्यथा सोचें तो इस भाषा का बहुत समृद्ध इतिहास है। हमारे देश में लगभग 1000 के आसपास भोजपुरी राइटर्स हैं। पूरी दुनिया में भोजपुरी लिखने वाले लोग हैं। लगभग आठ विश्वविद्यालयों में भोजपुरी भाषा में पढ़ाई हो रही है, पटना, मगध, जौनपुर, कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। इग्नू की तरफ से फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है।

इस आधार पर हमारी सरकार से बार-बार यह मांग रही है कि आप भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करें। राजस्थानी भाषा का भी अपना एक इतिहास रहा है। राजस्थानी भाषा की अपनी एक संस्कृति और परम्परा है। यह एक पूरे प्रांत की भाषा है। पूरी दुनिया में मारवाड़ी समाज के लोग गये, लेकिन आज भी जब मारवाड़ी समाज के लोग एक-दूसरे से मिलते हैं तो अपनी मारवाड़ी भाषा में बात करते हैं। इस तरह से उस प्रांत की भाषा, उस समाज की भाषा, इन दोनों भाषाओं को एक सम्मान देने का आग्रह करने के लिए मैं यहा खड़ा हुआ हूं। किसी भी समाज को सम्मान देने के लिए, किसी भी समुदाय को सम्मान देने के लिए उसकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कबीर को आदिकवि माना जाता है। कबीर की जो मूल भाषा थी, वह भोजपुरी भाषा थी। सन् 1200 में उन्होंने खुद कहा था कि मेरी भाषा भोजपुरी भाषा है। फिर ऐसी भोजपुरी भाषा, जिसकी पढ़ाई-लिखाई में लोगों की रुचि है, ऐसी भोजपुरी भाषा जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। इस भाषा को जितनी जल्दी हो सके संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का एक निर्णय सरकार द्वारा लिया जाए।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने कोई एक समय सीमा निर्धारित नहीं की। इस पर मैं दुख प्रकट करता हूं। सीताराम महापात्र कमेटी को बताया गया था कि आप क्राइटीरिया तय करें कि किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या क्राइटीरिया हो सकता है।

हमारे संविधान में 14 भाषाओं को पहले शामिल किया गया था और उसके पांच-दस साल के बाद अन्य भाषाओं को शामिल किया गया था। इस तरह से 22 भाषाओं को शामिल करते समय कभी क्राइटीरिया तय नहीं किया गया। लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो भावना है, उनकी मांग को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया था। सीताराम महापात्र कमेटी को कहा गया था कि आप एक क्राइटीरिया तय करके बतायें कि किस आधार पर इन भाषाओं को रखना चाहिए।

मेरा मंत्री जी से पहला सवाल है कि सीताराम महापात्र कमेटी की रिपोर्ट इस समय कहां हैं आपने अपने बयान में कहा है कि 2004 में यह रिपोर्ट सबमिट की गई। आज वर्ष 2010 चल रहा है। पिछले छः वर्ष से इस रिपोर्ट को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है क्या इस रिपोर्ट में भोजपुरी और राजस्थानी जैसी भाषाओं के बारे कुछ सकारात्मक विचार प्रकट किये गये हैं इस कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स एक क्राइटीरिया तय करने के लिए कहा गया था। क्या उस क्राइटीरिया के बारे में कमेटी ने कुछ कहा है। इससे पहले 1996 में अशोक पाहवा कमेटी बनी थी। मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। अशोक पाहवा कमेटी से यही सवाल पूछा गया था कि क्या क्राइटीरिया हो सकता है, क्या आधार हो सकता है, क्या मानदंड हो सकते हैं? उसने कहा था-

[अनुवाद]

> ''राज्य की राजभाषा को आठवीं अनुसूची में इस शर्त पर शामिल किया जाना चाहिए कि वह किसी राज्य विशेष की अधिकतर जनसंख्या द्वारा बोली जाती है।''

[हिन्दी]

आज हमने मैथिली भाषा को रखा है। मैथिली भाषा बिहार की भाषा है। बोड़ो, कोंकणी, डोगरी भाषाओं को रखा है। इन तमाम भाषाओं को जो सम्मान दिया जा रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। ऐसा अवश्य होना चाहिए। लेकिन इन भाषाओं को बोलने वाले लोग लाखों की संख्या में हैं, जब कि भोजपुरी भाषा इनसे ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा बोली जाती है। ऐसे में जिस प्रकार से बोड़ो भाषा को सम्मान दिया गया, जिस प्रकार से मैथिली भाषा को सम्मान दिया गया, बिल्कुल उसी प्रकार से भोजपुरी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए।

दूसरी बात कही गई कि जिस भाषा को आठवीं अनुसूची में लेना है, उसका अपना साहित्य होना चाहिए, ग्रामर होनी चाहिए। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आज तक भोजपुरी को बहुत ज्यादा सरकारी मान्यता नहीं मिली है, सरकारी सहयोग, सरकारी समर्थन तथा सरकारी वित्तीय सहयोग नहीं मिला। पिछले हजार वर्ष से भोजपुरी भाषा में साहित्य लिखा जा रहा है। यह बहुत समृद्ध साहित्य है, इसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखी जाती हैं, बहुत अच्छी कहानियां और निबंध लिखे जाते हैं। ऐसे में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अशोक पाहवा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो एक क्राइटीरिया तय किया गया, वह क्राइटीरिया सही साबित होता है। इसलिए भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसे सरकार ने मान्यता नहीं दी, लेकिन इसके चार-चार टीवी चैनल्स चल रहे हैं। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, जिसे सरकार ने मान्यता नहीं दी, लेकिन भोजपुरी का अपना सिनेमा है और यह सिनेमा लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के बजट का सिनेमा है। इस तरह से प्रशासन और सरकार के सहयोग के बगैर जो भाषा इतनी समृद्ध हो रही है, यदि उसे सरकार ने सहयोग दिया, समर्थन दिया, मान्यता दी तो निश्चित तौर पर उस भाषा का स्थान और बढ़ेगा और उस भाषा के साथ संबंध रखने वाले लोगों की भावनाओं की एक कद्र होगी। इसलिए भोजपुरी समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और राजस्थानी समाज की भावनाओं को ध्यान रखते हुए इन दोनों भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की दिशा में तत्काल प्रयत्न हों, तत्काल टाइमफ्रेम तय हो और जितना जल्दी हो सके मंत्री महोदय इसके बारे में एक निर्णय लें।

उपाध्यक्ष महोदय: डॉ. विनय कुमार पाण्डेय, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री लालचन्द कटारिया, श्री देवजी एम. पटेल और श्री राम सिंह कस्वां इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने भोजपुरी में भाषाण क्यों नहीं किया?

श्री संजय निरुपम: मैं वचन देता हूं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लेने के बाद मैं भोजपुरी में भाषाण दूंगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान की धारा 343 से 351 तक भाषा संबंधी अनुच्छेद हैं। उसमें सब से पहले कहा गया है कि हिन्दुस्तान की राजभाषा हिन्दी होगी। हम चाहते हैं कि हिन्दी राज भाषा के बाद राष्ट्रभाषा हो, नहीं, नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इसे विश्वभाषा का दर्जा प्राप्त हो, यू.एन.ओ.की भाषा हिन्दी बने। जहां तक भोजपुरी का सवाल है, यह लोक भाषा है, बोली नहीं रह गई है, यह भाषा हो गई। विभिन्न छोटी-छोटी भाषाएं इसकी सहायिका भाषा और बहन की तरह भोजपुरी हिन्दी की सहयोगी भाषा हैं। संत कबीरदास, हिन्दी के प्रकांड विद्वान डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ. नामवर सिंह, डॉ. केदार नाथ सिंह, भोजपुरी के शैक्सपियर और कालीदास श्री भिखारी ठाकुर जो बिहार से आते हैं, सब ने इस भाषा को समृद्ध किया। श्री महेन्द्र मिसी जिनके साहित्य से हिन्दुस्तान की संस्कृति परिलपित होती है। बिहार के 9 जिले, उत्तर प्रदेश के 14 जिले, मध्य प्रदेश के 2 जिले के लोगों की भाषा भोजपुरी है। उसके बाद लगभग 15 देशों में इस भाषा को बोलते हैं। विभिन्न शहरों में इस भाषा को बोलने वाले लोग हैं। भोजपुरी में विभिन्न साहित्य की रचना हुई है.। आंकलन किया गया है कि हिन्दुस्तान के 17 करोड़ लोगों की भाषा है। दुनिया में करीब 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं। मारिशस, फिजी, सूरीनाम,गुआना में भोजपुरी का बहुत महत्व है। मारिशस द्वारा अपनी राजभाषा में भोजपुरी भाषा के लिखने के लिये बिल प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह से इस भाषा-भाषी के शुरु में बाबू कुंवर सिंह आये, बाबू जगजीवन राम, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद, लोकनायक जय प्रकाश नारायण, इतिहास के विभिन्न महान नेता लोग उस इलाके से आये हैं। स्व. चन्द्रशेखर जी उस क्षेत्र के भाषा-भाषी रहे हैं। मैं सच्चाई का इजहार करना चाहता हूं। इसका इतना समृद्ध साहित्य है कि बहुत से लोगों द्वारा लोक भाषा के रूप में भोजपुरी बोली जाती है। लगभग 8 विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई हो रही है। अभी तक इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने का दर्जा क्यों नहीं मिला? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आठवीं अनुसूची में 14 से 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जब कि उसमें शामिल आठ भाषाओं से बोलने वालों से ज्यादा भोजपुरी भाषा बोलने वालों की है, इसे क्यों दर्जा नहीं दिया गया है? यह बताया गया कि भोजपुरी के बारे में 2003 में रिपोर्ट आयी जिसे सरकार ने अपने पास जमा कर लिया। क्या सरकार 6 साल से इस पर विचार ही कर रही है? मैं साक्षी हूं कि वर्ष 2006 में इस सदन में श्री शिवराज पाटील ने कहा था कि इसे शीघ्र शामिल किया जायेगा, मेरा सरकार से सवाल है कि शीघ्र का क्या मतलब होता है? इसी प्रकार श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने उधर से कहा कि तुरंत होगा। मेरा सरकार से सवाल है कि शीघ्र और तुरंत का क्या मतलब है? सरकार ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट है, फिर इसमें देरी क्यों है, जब इसे जन समर्थन है। लोग कहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट है तो क्या मापदंड है? क्या पैरवी और सिफारिश पर मापदंड तय होता है? राजनैतिक कारणों से होता है? इससे देश नहीं चला करता है। भाषा एक संवेदनशील मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हम ये सब सवाल उठा रहे हैं। हम यह स्पेसिफिक सवाल उठा रहे हैं। क्या कारण है कि

भोजपुरी के बारे में महापात्र कमेटी रिपोर्ट और उस पर ये सभी विभागों से वर्षों से राय ले रहे हैं? सिंध कितने लोगों की भाषा है, नेपाली हिन्दुस्तान में कितने लोगों की भाषा है? इन भाषाओं की जब दरख्वास्त आयी तब वह मंजूर होती गयी और जब भोजपुरी का सवाल आया है तो कहते हैं कि हमने जांच कमेटी बिठायी है और हम कमेटी की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, राय नहीं आयी है, इसलिए निर्णय नहीं हुआ है। हम पूछते हैं कि जब भोजपुरी का इतना व्यापक जन समर्थन है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः यह हिन्दी भाषा की सहायक भाषा है। इसी से हिन्दी समृद्ध होगी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री जगदम्बिका पाल।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः वह इसी से ताकतवर राष्ट्र भाषा और विश्व भाषा बनेगी।...*(व्यवधान)* मैं समाप्त कर रहा हूं। चौदह में आठ भाषाओं को जोड़ने में कोई छानबीन नहीं और भोजपुरी के लिए कानून, कमेटी आदि बता रहे हैं। ये बहुत बात बता रहे हैं। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम जान गये हैं कि सिवाय लड़ाई के दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए भीषण जनसंग्राम होगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री जगदम्बिका पाल जी।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, वह संघर्ष फिर ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। इन्हीं बातों के साथ *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइये। आपने अपनी बात रख ली है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः उसी तरह से यहां भी भोजपुरी भाषा के लिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः जगदम्बिका जी, आप बोलिये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, नहीं तो सरकार बताये कि इंसाफ कब मिलेगा? हिन्दुस्तान के और दुनिया के 25 करोड़ लोगों के लिए कब न्याय मिलेगा? नहीं तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाये। इन्हीं बातों के साथ भोजपुरी लोक भाषा जिन्दाबाद, लोक भाषा, लोकतंत्र, लोक वेशभूषा, लोक भोजन तब मजबूत होगा। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः इस पर सरकार ध्यान दे। नहीं तो फिर संग्राम के लिए तैयार हो जाये।...*(व्यवधान)* राजस्थानी भाषा 2500 वर्ष की पुरानी भाषा है।...*(व्यवधान)* यहां पर राजकाज राजस्थानी भाषा में चलता था। यह देश में लोकप्रिय है इसलिए राजस्थानी भाषा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए भोजपुरी और राजस्थानी दोनों का सवाल है। नहीं तो फिर संग्राम होगा, तैयार हो जाइये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः हो गया, आप बैठ जाइये।

श्री जगदम्बिका पालः महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सर्वाधिक लोगों में बोली जाने वाली भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव इस सदन के समक्ष विचाराधीन है। माननीय मंत्री जी ने इस कालिंग अटैंशन का उत्तर देते हुए कहा कि आजादी के बाद या आजादी के समय केवल चौदह भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में थीं और आज चौदह के स्थान पर बाइस भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हुई हैं- चाहे वह नेपाली हो, मणिपुरी हो, कोंकणी हो, सिंधी हो, बोडो हो, डोगरी हो, संथाली हो या मैथिली हो, इन भाषाओं का समावेश किया गया। इन भाषाओं को शामिल करने के लिए सम्मानित सदन स्वागत करता है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आज यह सदन गंभीरता से सदन की भावनाओं को दृष्टिगत करे तो आज सदन में बहुमत लोगों की भावनाएं हैं कि भोजपुरी और राजस्थानी दोनों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने एक बात कही है। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में जो शामिल किया गया, वह परिस्थितियों और मांग के अनुसार किया गया। स्वयं माननीय मंत्री जी ने कहा है। तो पूरे सदन की मांग 14वीं लोक सभा में उठी जिसका जिक्र माननीय रघुवंश जी ने किया और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा कि हम संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी को सिद्धांतत: शामिल करने का निर्णय करते हैं, तो सरकार की कंटीन्यूटी होती है। अगर चौदहवीं लोक सभा से यह बात 15वीं लोक सभा में उठ रही है तो उस समय के

तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन सदन की संपत्ति हैं, सरकार की संपत्ति हैं, उस आश्वासन पर तत्कालीन गृह मंत्री के मौजूदा गृह मंत्री को आज सदन में स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि हम संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी और राजस्थानी को शामिल करेंगे, इस बात का आश्वासन इस सदन में मिलना चाहिए।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आज यह बात चाहे संजय निरुपम जी ने उठाई हो या हमने उठाई हो, यह बात सिर्फ तीन सदस्यों ने नहीं उठाई है, यह सदन के तमाम सदस्यों की भावनाएं हैं। आज वे तमाम भाषाएं जिनका हमने स्वागत किया है कि अगर वे सीमित दायरे में बोली जाती हैं - चाहे वह कोंकण क्षेत्र में बोली जाती हो, मैथिली क्षेत्र में बोली जाती हो, संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती हो, अगर उन भाषाओं को हम संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का स्वागत कर सकते हैं तो आज भोजपुरी और राजस्थानी उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, मुम्बई हो, कोलकाता हो या हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में बोली जाती है और यहां तक कि सूरीनाम में भी बोली जाती है, त्रिनिदाद में बोली जाती है, मारीशस में बोली जाती है, साउथ अमेरिका में बोली जाती है, कैरिबियन देशों में बोली जाती है, गुयाना में बोली जाती है और जो भाषा 18वीं-19वीं शताब्दी से देश विदेश तक चली गई, इसको आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर कोई खर्चा नहीं आएगा।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री जगदम्बिका पालः कृपया सुन लीजिए, मेरा बहुत बहुमूल्य सुझाव है। मैं जानता हूं कि सरकार का जवाब इस पर पॉजिटिव आएगा। मैं कहता हूं कि अभी तमाम माननीय साहित्यकारों के नाम लिए गए, कालजयी साहित्यकारों का नाम लिया। अरे! लालू यादव जी भी तो कालजयी हैं, और भी कई सदस्य इस सदन में मौजूद हैं। दारा सिंह चौहान भी उसी इलाके से हैं, सदन की पीठ पर बैठे हुए आप भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। खुद इस पीठ की अध्यक्ष मीरा कुमार जी भी उसी इलाके से ताल्लुक रखती हैं। कम से कम सौ लोक सभा के संसद सदस्य इसी भोजपुरी बोलने वाले इलाके से जीतकर आते हैं। यह पहली बोली है, मैं इसका व्याकरण भी लेकर आया हूं। यह संक्षिप्त भोजपुरी व्याकरण है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि भोजपुरी बोली है और जैसा कहा गया कि मैथिली भी बोली है। लेकिन आज वह बोली भाषा हो गई जब इसकी लिपि चलने लगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः संक्षेप में बोलिये।

श्री जगदम्बिका पालः आज इसका व्याकरण भी हो गया है। हमारी इंटरनैट साइट पर पूरे भोजपुरी का व्याकरण दिया गया है। जैसे हमारे साथियों ने कहा कि 1000 साल का इस बोली कि इतिहास है या तमाम साहित्य है। अगर मारीशस में विश्व भोजपुरी सम्मेलन हो सकता है, अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों में भोजपुरी पढ़ाई जा सकती हो, मारीशस में महात्मा गांधी एकैडमिक सोसाइटी है, अगर वहां पुरस्कार दिया जा सकता हो, दिल्ली अकादमी वहां पुरस्कार दे रही हो, इसी तरह से मान्यवर, आज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में भी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन कोर्स चल सकता है, मारीशस में कोर्स चल सकता है, हिन्दी साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन इसको व्यावहारिक रूप से और सरकारी रूप से आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है लेकिन व्यावहारिक रूप से पूरी दुनिया ने इसको अंगीकार कर लिया है, आत्मसात कर लिया है और इसको साबित कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया समाप्त करें। आपने अपनी बातें रख दी हैं।

श्री जगदम्बिका पालः मैं समाप्त कर रहा हूं। ये हमारी भावनाएं हैं। एक संख्या हो सकती है कि दुनिया में 25 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हों या राजस्थानी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कहां मारवाड़ी नहीं हैं, कहां राजस्थान के लोग नहीं हैं चाहे वे बस्ती हो, डुमरियागंज हो, सिद्धार्थनगर हो। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पालः महोदय, अगर 22 भाषाएं हो सकती हैं तो 24 भी हो सकती हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तत्कालीन गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे। यदि कमेटी बनाकर के, यदि कमेटी की रिपोर्ट न आती तो हम कह देते कि कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया है।...*(व्यवधान)* महापात्र समिति की रिपोर्ट आ गयी। वर्ष 2003 में महापात्र कमेटी की रिपोर्ट आई और वर्ष 2004 में कमेटी का गठन हुआ, छः साल से उस रिपोर्ट पर कौन सा विचार चल रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि छः साल से अगर किसी कमेटी की रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में पड़ी है, तो आज कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा करनी चाहिए।...*(व्यवधान)* भोजपुरी और राजस्थान को इसमें शामिल करने की घोषणा करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.46 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी आए और सभा पटल के समीप खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी माननीय सदस्य स्वयं को इस बात के साथ एसोशिएट करना चाहते हैं, अपना नाम सभापटल पर भेज दें।

मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.47 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी अपने-अपने स्थान पर वापस चल गए

[हिन्दी]

श्री अजय माकन: उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस आर्डर में लाएं, मैं तो बोलने के लिए तैयार हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल मंत्री जी की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप रिप्लाई दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अजय माकन: उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक अद्भुत देश है। यहां अलग-अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हमारे देश की विविधता में ही एकता है। हमारा देश एक ऐसा गुलदस्ता है, जहां पर अलग-अलग भाषाओं की बोलियां और फूल मिलकर एक गुलदस्ता बनाते हैं। कोई भाषा किसी से कम नहीं है, कोई भाषा किसी से ज्यादा नहीं है। सभी भाषाएं हमारे देश की भाषाएं हैं और सभी भाषाएं हमारे राष्ट्र की भाषाएं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे...*(व्यवधान)* आप हाउस आर्डर में लाइए, मैं तभी बोल सकूंगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप लोग जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, तो हम अगला आइटम ले लेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अजय माकन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं। मैं बोल रहा हूं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है. ..*(व्यवधान)* आप हाउस आर्डर में लाएंगे, तभी कुछ बात मैं सदन में रख सकता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, क्या आपने जवाब दे दिया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेषरूप से राजस्थानी और भोजपुरी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग परन्तु इस सदन में ध्यानाकर्षण की व्यापकता सीमित है।

इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से सादर निवेदन करता हूं कि हम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर यह चर्चा कर सकते हैं क्योंकि चालू सत्र में समय उपलब्ध नहीं है। हम कर सकते हैं....*(व्यवधान)* हम एक महत्वपूर्ण चर्चा अगले सत्र में कर सकते हैं क्योंकि हम ध्यानाकर्षण के अन्तर्गत कोई निर्णय नहीं लेते हैं। यदि आप कोई चर्चा चाहते हैं ते अन्य संसदीय प्रणालियां हैं जिनके माध्यम से आप चर्चा कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): यह आप मान रहे हैं, तो शासन से कह कर इसे लागू कीजिए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: लालू जी, मैं इसे इस समय स्वीकार नहीं कर सकता हूं। सरकार तत्काल इसे स्वीकार नहीं कर सकती है अथवा सरकार रेलीगेट नहीं कर सकती है। मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आप एक सार्थक चर्चा करना चाहते हैं, तो आप इसे एक महत्वपूर्ण चर्चा के किसी रूप में भी ला सकते हैं, नियम 193 या अन्य के तहत और फिर सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने अथवा राय देने का अवसर मिलेगा। मंत्री महोदय, वाद-विवाद के अंत में उत्तर देने और निर्णय करने की स्थिति में होंगे। आज हमने गैर-मुद्दों पर काफी समय बर्बाद किया है। अब सीमित समय बचा है और तीन बज चुके हैं। कुछ अन्य मुद्दे हैं। कृपया कुछ कार्य निपटाइए क्योंकि सभा का समय कतिपय अनिवार्य सरकारी कार्य को निपटाने के लिए बढ़ा दिया गया है। सभी सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सामान्य कार्रवाई चलने दें....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। सिर्फ मंत्री जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री अजय माकन: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जहां तक भोजपुरी और राजस्थानी भाषा का सवाल है, इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार विचार कर रही है। सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है और जो भी फैसला होगा, उसे हम हाउस के अंदर बताएंगे। सरकार विचार कर रही है और सीताकांत महापात्र कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर हम लोग विचार कर रहे हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल.टी. 3098/15/10]

अपराह्न 2.52 बजे

(तीन) प्रत्यक्ष कर संहिता, 2010**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रणब मुखर्जी विधेयक पुर: स्थापित करें।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधि को समेकित करने और उसमें संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रत्यक्ष करने से संबंधित विधि को समेकित करने और संशोधित करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-2 दिनांक 30.08. 2010 में प्रकाशित

अपराह्न 2.53 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, नियम 377 के तहत मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाएगा जो सदस्य सदन पटल पर नियम 377 के तहत अपने मामलों को रखना चाहते हैं वे 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर इस के आशय की पर्चियां भेज सकते हैं। केवल वे मामले जिनके संबंध में सभा पटल पर पर्चियां मिली हैं, कार्यवाही का भाग होंगी और शेष मामलों को व्यपगत मनाना जाएगा।

(एक) तमिलनाडु के कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और शीत गृह खोले जाने की आवश्यकता

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कुड्डालोर, तमिलनाडु में केला और खजूर पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने की संभावना है। खजूर और केला से करोड़ों रूपये अर्जित होने की उम्मीद रहती है जो खाद्य प्रसंस्करण और शीतागार सुविधाओं के न होने की वजह से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रूपये का घाटा हो रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए संभावना तलाश करे। शीतागार सुविधाएं किसानों को भी उपलब्ध नहीं हैं। जिससे कि वे अपने खाद्यान्नों, फलों-सब्जियों को खराब होने से बचा सकें। चूंकि यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां समुद्रीय खाद्य उद्योग भी स्थापित किए जा सकते हैं जिसकी मांग विदेशों में बढ़ रही है।

मैं, सम्बंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु में कुड्डालोर स्थित मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और शीतागार स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(दो) संविधान की सातवीं अनुसूची का उपयुक्त संशोधन कर जल को समवर्ती सूची या संघ सूची के विषय के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल): यह सुविदित है कि कृषि के बिना कोई संस्कृति नहीं है। जल के बिना कृषि नहीं होती है। जल अन्य सभी स्रोतों में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक कीमती घटक है। हम जानते हैं कि हम जल की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

और यह प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। सौभाग्य से भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। यह लगभग 1000 एमएम प्रति वर्ष के करीब है। कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जहां बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। हमें एक विशेष स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसमें देश का एक भाग तो सूखे से और दूसरा भाग बाढ़ से प्रभावित है। दोनों ही देश को नुकसान और बाधा पहुंचा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, उपलब्ध जल में से 10 से 15 प्रतिशत जल का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा है और 85 से 90 प्रतिशत उपलब्ध जल समुद्र में जा रहा है। लेकिन जल के अन्तर्राज्यीय अथवा अन्तर-क्षेत्रीय साझेदारी में कई विवाद है। कई विवाद और निर्णय विभिन्न न्यायालयों और समितियों में लम्बित पड़े हैं। मुद्दों के निपटारे में कई वर्ष, मानव घंटे और न्यायालय घंटे लग रहे हैं। पत्रिकाओं में यह प्रकाशित किया गया था कि 2045 में पेयजल की कमी के कारण विश्व युद्ध होगा। प्रत्येक राज्य में जल के लिए आंदोलन हो रहे हैं। इसलिए, जल संसाधनों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रूचि पैदा करने और जल संसाधनों की व्यवस्था करने और खेती के उपयोग हेतु रखा गया था।

इसलिए, जल संरक्षण के संबंध में चर्चा करने और वाद-विवाद शुरू करने और संविधान की सातवीं अनुसूची में समुचित संशोधन करके समवर्ती या संघ सूची में एक विषय के रूप में जल को सम्मिलित करने की अत्यंत आवश्यकता है।

(तीन) उत्तर प्रदेश के वसुंधरा, गाजियाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का एक औषधालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): दिल्ली के पास वसुन्धरा (गाजियाबाद) क्षेत्र में एक सीजीएचएय डिस्पेंसरी खुलने के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी, परंतु कई प्रयासों के बाद भी आज तक वह लंबित पड़ी है। उपरोक्त कालोनी 1997-98 में निर्मित की गई थी। डिस्पेंसरी खोलने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को निवेदन भी किया गया था, किंतु अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं।

तेरहवीं लोक सभा की याचिका समिति ने भी 22 जुलाई, 2003 को यहां डिस्पेंसरी खोले जाने की अनुशंसा की जिस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। वसुन्धरा क्षेत्र के आसपास की सारी कालोनियां इससे लाभान्वित होंगी। इस क्षेत्र में 2500 सीजीएचएस कार्ड धारक हैं जो डिस्पेंसरी के अभाव में काफी परेशान हैं। यह क्षेत्र दिन ब दिन और जनसंख्या के हिसाब से बढ़ रहा है। महोदय, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर शीघ्र सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने की शीघ्र कार्यवाही की जाये, जिसके लिए पर्याप्त स्थान भी सेक्टर 6 में उपलब्ध है।

(चार) केरल में अलप्पुझा बाईपास परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): अलप्पुझा बाईपास परियोजना, जिसे वर्ष 1980 में शुरू किया गया था, 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई है। कई कारणों यथा एनएच 47 को चार लेन बनाए जाने, भूमि अधिग्रहण और रेल उपरीगामी पुलों के कार्यों के पूरे नहीं होने, से निर्माण कार्य अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने एनएच 47 को इस बाईपास परियोजना से जोड़ दिया है। यह बाईपास परियोजना अलप्पुझा के तट की ओर से प्रस्तावित है तथा इस सड़क परियोजना को पूरा करते समय इस तट को बचाने का लक्ष्य है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस क्षेत्र में दो लेन वाले फ्लाई ओवर बाईपास के निर्माण की संभाव्यता अध्ययन के लिए 6 महीने पूर्व ही एक परामर्शदात्री संस्था का समनुदेशित किया था। इसकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

यह स्पष्ट है कि यदि राष्ट्रीय राजमार्ग के चार लेन वाले कार्य को बाईपास परियोजना के साथ जोड़ दिया जाए तो इस कार्य में कई वर्ष और लगेंगे। किन्तु इस जिले के तमाम निवासियों और यात्रियों के लिए इस बाईपास की आवश्यकता है। इस त्वरित प्रतिस्पर्धा के लिए एकमात्र विकल्प यह है कि अन्य एनएच परियोजनाओं के अलावा इस परियोजना कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कराया जाए तथा इस बाईपास के कार्य को अलग से पूरा किया जाए। इसलिए सरकार को इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

(पांच) केरल के अलप्पुझा जिले के कुट्टानाडु तालुक में बीएसएनएल लैंडलाइन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): मैं अलप्पुझा (केरल) के कुट्टानाडु ताल्लुक में लैंडलाइन टेलीफोन सेवाओं की खराब हो रही स्थिति और इसे पुन: दुरस्त किए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

एसएसए-अलप्पुझा (केरल) के अंतर्गत देहाती इलाकों में सेवा की गुणवत्ता खराब है। एसएसए-अलप्पुझा के अंतर्गत क्षेत्रों में विशेषरूप से लैंडलाइन कनेक्शनों से जुड़ी सेवाएं अत्यधिक प्रभावित है। कुट्टानाडु ताल्लुक के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों के तहत टेलीफोन लैंडलाइनें खराब स्थिति में हैं।

खराब सेवा जो मुख्यत: केरल दूरभाष सर्किल के खराब सर्किल प्रबंधन के कारण है, के कारण उपभोक्ता अपने लैंडलाइन

कनैक्शनों को वापस कर रहे हैं। बीएसएनएल उपभोक्ताओं में पुन: विश्वास बहाल करने के लिए तत्काल और आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अलप्पुझा एसएसए के कुट्टनाडु ताल्लुक में लैंडलाइन सेवाओं में सामान्य स्थिति को बहाल किया जाए।

(छह) उत्तराखंड में बादल फटने, भयंकर वर्षा और भूस्खलन के कारण प्रभावित लोगों के प्रधानमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): उत्तराखंड राज्य में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात, बादल फटने तथा भूस्खलन से समस्त जनपदों में जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के कई स्थानों में निवासरत लोगों के घर, दुकानें, बाजार, मोटर मार्ग/सम्पर्क मार्ग तथा खेत खलिहान पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

उत्तराखंड राज्य के जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री से पहले भटवाड़ी बाजार एवं गांव दैवीय आपदा की भेंट चढ़ गया। लोगों के घर, दुकानें तथा खेत सभी भू धंसाव से नष्ट हो गए। ऐसी घटनाएं राज्य के अन्य कई जनपदों में भी हुई हैं।

जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं राज्य सरकार द्वारा उन्हें मात्र रू. 2000/- तथा जिनके मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हुए हैं, उन्हें मात्र रू. 35,000/- की सहायता राशि प्रदान की जा रही है जो कि बहुत ही कम है। इस धनराशि से किसी भी मकान की मरम्मत तथा निर्माण असंभव है। जिनकी दुकानें नष्ट हो गईं उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता राशि प्रदान नहीं की जा रही है।

उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करने के बाद भी पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने हेतु अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि उत्तराखंड में आपदा से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिन लोगों के मकान व दुकानें ध्वस्त हो गई हैं तथा खेत कट गए हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में लेह की भांति प्रधानमंत्री राहत कोष से राज्य सरकार से सूची मंगा कर तत्काल सहायता राशि प्रदान कराने की कृपा करें।

(सात) देश में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध उत्प्रवासन को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की समस्या आज केवल भारत-बांग्लादेश सीमा तक ही सीमित नहीं रही है। देश के विभिन्न भागों में इनकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था की दृष्टि से अपितु अन्य दृष्टि से भी सबकी चिंता का विषय बन गई है। आज पूरे देश में लगभग ढाई करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध तरीके से रह रहे हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल और बिहार में इन घुसपैठियों ने जन-सांख्यिकी संतुलन ही बिगाड़ दिया है। इन अवैध घुसपैठियों ने अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करा लिए हैं तथा राशनकार्ड भी बनवा लिए हैं। आज पूरे देश में 20 लोक सभा क्षेत्रों तथा लगभग 125 विधान सभा क्षेत्रों में ये घुसपैठिए चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली स्थिति में आ गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी इनकी संख्या लाखों में है, जो आए दिन कानून व्यवस्था के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। विभिन्न अवरोधों तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में अनेक बांग्लादेशियों के समूह लिप्त पाए गए हैं।

कृपया माननीय गृहमंत्री जी से यह मांग है कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के संबंध में सरकार उचित कदम उठाये।

(आठ) गोवा में बड़ी संख्या में आवासीय और वाणिज्यिक स्थापनाएं, जो अन्यत्र स्थापित की जानी हैं, के हितों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4-क के चौड़ा किए जाने के प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीपाद येसो नाईक (उत्तर गोवा): गोवा स्थित एन.एच.-4 तथा एन.एच.-17 राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा नये राजमार्ग एन.एच.-4ए का चौड़ाईकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसका मोलेम से पणजी तक का सर्वे आदि भी किया गया है। यह सर्वे करने से पहले अथॉरिटी ने राज्य सरकार अथवा अन्य किसी भी सरकारी एजेंसी को जानकारी में नहीं रखा। पूर्व में इस राजमार्ग की चैड़ाई 45 मीटर रखने का प्रस्ताव था जिसके कारण फोंडा से पणजी तक के सैंकड़ों मकान, दुकान, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर आदि टूटने के कगार पर आ गये थे। किंतु, सरकार ने अब इसकी चौड़ाई 45 मीटर से बढ़ाकर 60 मीटर करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से इस क्षेत्र के हजारों मकानों के टूटने की संभावना है तथा लोगों के बेघर होने की संभावना है, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

इस राजमार्ग के बनने से हजारों लोगों के बेघर होने की संभावना को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त दोनों राजमार्गों को जोड़ने के लिए जो राजमार्ग एन.एच.-4ए का चौड़ाईकरण किया जा रहा है उसके लिए किसी अन्य विकल्प पर विचार किया जाये जैसे फोंडा सिटी आने से पहले ही फोंडा से वेर्णा तक नया रास्ता बनाकर उक्त दोनों राजमार्गों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य विकल्प मौजूद हैं।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए राजमार्ग बनाने के कार्य को तुरंत रोक कर अन्य विकल्प पर विचार कर उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. -4ए का चौड़ाईकरण किया जाये।

(नौ) राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में केन्द्रीय सरकार और रेलवे के अस्पतालों को खोले जाने और क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर सिरोही (राजस्थान) के अंतर्गत स्थानीय, तहसील एवं जिला स्तर पर अस्पतालों की स्थिति अत्यंत खराब है। अत्याधुनिक सुविधाओं, उपकरणों, ब्लड बैंक इत्यादि का ठीक प्रबंध नहीं है। क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य खराब होने पर 200 से 300 कि0मी0 यात्रा तय कर जोधपुर, अहमदाबाद, मुम्बई इत्यादि स्थानों पर इलाज हेतु जाना पड़ता है। गरीब जनता के पास पैसे का अभाव होता है, जिसके कारण इतने रूपये खर्च कर तथा अधिक दूरी होने के कारण वे इलाज नहीं करा पाते हैं। फलस्वरूप अनहोनी घटनाएं घटित होती रहती हैं।

अत: सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि जालोर एवं सिरोही जिलों में स्थानीय, तहसील एवं जिला स्तर के अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु धन मुहैया कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय या रेलवे अस्पताल को इस क्षेत्र में खोला जाये ताकि वहां की जनता इससे लाभान्वित हो सके।

(दस) झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रों में बॉक्साइट डम्पिंग यार्ड को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा अंतर्गत बाक्साईट का डम्पिंग यार्ड है, जिससे क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यह डम्पिंग यार्ड एक निजी खनन कम्पनी का है। इस डम्पिंग यार्ड के मेरे लोक सभा क्षेत्र लोहरदगा शहर के बीचोंबीच होने के कारण लगातार खुदाई होने से क्षेत्र में पीने के पानी हेतु जलस्तर में काफी गिरावट आई है तथा शहर में पेयजल की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। इस डम्पिंग यार्ड के कारण शहर में धूल के कण फैलने के साथ साथ ध्वनि और वायु प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ गई है और क्षेत्र की जनता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इस डम्पिंग यार्ड के कारण क्षेत्र में सुबह से शाम तक भारी वाहनों का आवागमन जारी रहता है, जिसके कारण क्षेत्र में गंभीर दुर्घटना तथा जाम की समस्या आम हो गई है। आज इस डम्पिंग यार्ड के कारण क्षेत्र में आम जनता का जीना दूभर हो चुका है। मैं पहले भी अपने स्तर पर काफी बार इसको स्थानांतरित करने हेतु आग्रह कर चुका हूं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इसको शहर से दूर स्थानांतरित करने हेतु यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के सथावन, वाराणसी में क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर संभावित दुष्प्रभाव को देखते हुए, प्रस्तावित जल-मल शोधन संयंत्र की स्थापना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामकिशुन (चन्दौली): उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी स्थित सथवां सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे वहां के किसानों में आक्रोश व्याप्त हो गया है और वे बड़े पैमान पर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रस्तावित सथवां ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास ही सारनाथ बौद्ध धर्म की स्थली तथा कई राष्ट्रीय स्मारक व संग्रहालय स्थित हैं जहां पर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुक एवं विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। इसी सथवां के पास मुन्शी प्रेमचंद राष्ट्रीय साहित्यकार की जन्मस्थली भी है, जिसका सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी की जन्मस्थली पर प्रतिवर्ष देश के महान साहित्यकार एवं रचनाकार घूमने के लिए आते हैं। यहां का पर्यावरण काफी शुद्ध व पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है। जनपद वाराणसी के दीनापुर में पहले से ही एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो कार्यरत है। इस सीवर प्लांट के लगाये जाने से निकलने वाले पानी को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराये जाने से फसल के उत्पादन तथा फल-सब्जियों पर बड़े पैमाने पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन सब्जियों और फलों को खाने से जनता में कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इस प्लांट के लगने से आसपास के क्षेत्र में दूषित पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। भूजल में बड़े पैमाने पर पानी दूषित हो रहा है। सीवर के निर्माण से कई प्रकार की गंदगियां, बीमारियां तथा बड़े पैमाने पर मच्छर-मक्खियों की संख्या असपास के क्षेत्र में बढ़ रही है, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। जिसका विरोध यहां के नागरिकों द्वारा किया गया, जिससे सीवर प्लांट का पानी सिंचाई के लिए बंद कर दिया गया परन्तु पर्यावरण अभी भी दूषित हो रहा है। यदि सथवां सीवर प्लांट को लगाया गया तो यहां के लोगों के जीवन स्तर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, खेती बर्बाद हो जायेगी तथा यहां के लोगों को तरह-तरह की बीमारियों से गुजरना पड़ेगा।

अत: सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त विषम स्थिति एवं जनता के हित को देखते हुए सथवां सीवर प्लांट के लिए की जा रही किसानों की सैंकड़ों हैक्टेयर

उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न किया जाये। प्रस्तावित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को ऐसे स्थान पर लगाया जाये जो ऊसर एवं बंजर हो तथा घनी आबादी से दूर हो।

(बारह) उत्तर प्रदेश के भदोही में कालीन बुनकरों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और कालीन निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में कालीन का व्यवसाय वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण प्रभावित हुआ है। किंतु, इधर विश्व में कालीन की मांग बढ़ी है। मेरा संसदीय क्षेत्र भदोही कालीन व्यवसाय में अग्रणी रहा है। किंतु, मैं इसकी कुछ समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि इस उद्योग में कुटीर उद्योग के रूप में गांव में बुनकर अपने परिवार के साथ कालीन बनाते थे। बाल श्रमिकों की समस्या के कारण उन्होंने अपने बच्चों को बुनाई सिखाना बंद कर दिया, जिससे करोड़ों रूपये के कालीन का निर्यात नहीं किया जा रहा है।

अत: इस उद्योग में अच्छे व प्रशिक्षित कारीगर लाने के लिए सरकार प्रशिक्षण केन्द खोलकर युवाओं व महिलाओं को प्रशिक्षित कराने का कष्ट करें। इसके अलावा कालीन निर्यात से 500 करोड़ से अधिक रूपये विदेशों में फंस गया है और निर्यातकों को भुगतान में विलम्ब हो रहा है। अत: उधार माल की बिक्री पर रोक लगाकर वर्ष 2002 की नीति के अनुसार उधार निर्यात पर रोक लगाया जाये और निर्यात केवल बैंक गारंटी के बाद ही दिया जाये। हम सरकार से मांग करते हैं।

(तेरह) बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): माननीया अध्यक्षा जी के माध्यम से माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल के जन मानस की चिर-परिचित मांग केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि नेपाल सीमा से लगे मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के अंतर्गत सुपौल एवं मधेपुरा जिला आता है। यहां बेहतर शिक्षा हेतु केन्द्र प्रायोजित एक भी विद्यालय नहीं है, जिसके कारण मेधावी एवं ग्रामीण अंचल के गरीब, असहाय, छात्रों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में केन्द्र सरकार के कई प्रतिष्ठान, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के कार्यालय भी हैं, जिसमें कार्यरत कर्मचारियों के सैंकड़ों बच्चे प्रतिवर्ष बेहतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जबकि ऐसी जगहों पर बहुत पहले से ही केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए थी।

अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सुपौल में शीघ्र केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु पहल करें, जिससे कि उत्तम शिक्षा लोगों को मिल सके एवं मैं भी अपने अधिकार का उपयोग कर क्षेत्र के दो बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराकर उत्तम शिक्षा दिला सकूं।

(चौदह) तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में कलेक्टरेट ऑफिस के पास वाले टॉल टैक्स सेंटर को शहर की सीमा के बाहर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरि): महोदय, तमिलनाडु के मेरे कृष्णागिरि जिले में बड़े, मझौले और लघु उद्योग अवस्थित हैं। इलैक्ट्रीकल, इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोबाइल, मैकेनिकल, लौह और इस्पात जैसे विभिन्न उद्योग यहां स्थित हो रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है।

तथापि, इस जिले के लोगों को कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें शहर में ही यात्रा करने के लिए टौल टैक्स भरना पड़ता है। कृष्णागिरि जिले में, टौल गेट कलैक्ट्रेट कार्यालय के निकट एनएच 47 पर स्थित है। यदि किसी व्यक्ति को शहर से कलैक्ट्रेट कार्यालय जाना है तो उन्हें सर्वप्रथम टौल टैक्स देते हुए टौल गेट पार करना पड़ता है। बड़ी संख्या में यहां कार्यालय अवस्थित है और तमिलनाडु से बंगलौर जाने वाले लोग इसी टौल गेट का उपयोग कर रहे हैं। इससे राज्य में किसी अन्य टौल गेट की अपेक्षा बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। चूंकि यह टौल गेट शहर सीमा के सबसे निकट है, इसलिए लोगों के टौल टैक्स देने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों के साथ अक्सर लड़ाई-झगड़ा होता है। इसके परिणाम स्वरूप, गरीब किसान जिनकी जमीन टौल गेट के दूसरी ओर अवस्थित है, व्यापारी, छात्र एवं स्थानीय लोगों को किसी न किसी कारण से गई बार टौल गेट पार करना होता है, उन्हें काफी हानि होती है।

इसलिए, मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से आग्रह करता हूं कि कलैक्ट्रट कार्यालय कृष्णगिरि के निकट अवस्थिति टौल गेट को शहर की सीमा से दूर स्थानान्तरित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दें।

(पन्द्रह) केरल के त्रिचूर जिले को धरोहर जिले के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.के. बिजू (अलथूर): केरल के इतिहास और संस्कृति में थ्रिसूर का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह स्थान राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। आदि काल से ही थ्रिसूर संस्कृत अध्ययन का यह महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया। महान शंकराचार्य ने यहीं अध्ययन का पाठ पढ़ाया था।

थ्रिसूर जिले के इतिहास ने 12वीं सदी से ही पेरूमपदपुर स्वरूपम का उत्थान देखा है। 14वीं और 15वीं सदी आक्रमण युद्ध का काल रहा जिसके दौरान कालीकट के जमोरीन ने वर्तमान थ्रिसूर जिले के बड़े भाग पर कब्जा किया। बाद की सदियों में पुर्तगालियों का इस पर कब्जा रहा। बाद में डच और अंग्रेज जैसी यूरोपीय शक्तियां यहां आयीं। शुरूआत से ही थ्रिसूर राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी रहा। राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में प्रसिद्ध गुरूवयूर सत्याग्रह एक स्मरणीय घटना रही है। वर्तमान त्रिचूर जिला को 1 अप्रैल, 1958 में इसी नाम के बड़े जिले से अलग कर बनाया गया था।

केरल की वास्तुकला यहीं पल्वित हुई और मंदिरों की नीची और झुकी हुई छते, लकड़ी की नक्कशी, और प्रसिद्ध कूथमबलम अथवा थियेटर हॉल जिसमें धातु के प्लेटों की ढलुआ छतें जिसके भीतर 'चाकिरकुट्टू' की नाटक कल का मंचन होता है, का यहीं जन्म हुआ। प्रसिद्ध केरल कलामंदिर, चेरूथुरूवी जिसकी स्थापना स्व. कवि वेलाथेथ नारायण मेनन ने की थी, त्रिचूर जिले में है और इसे मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यह संगीत, नाटक, नृत्य कलां विशेष्कर केरल संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र है। केरल साहित्य अकादमी और केरल संगीत नाटक अकादमी त्रिचूर जिले में अवस्थित है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह थ्रिसूर को एक हेरीटेज जिला घोषित करे।

(सोलह) उड़ीसा के क्योंझर में ''सेल'' का एक इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री यशवंत लागुरी (क्योंझर): सेल भारत में स्टील का उत्पादन करता है एवं यहां उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उड़ीसा के क्योंझर, सुन्दरगढ़ एवं झारखंड के सिंहभूम जिलों से होती है जिसमें क्योंझर से 70 प्रतिशत आपूर्ति होती है। खेद की बात है कि जहां से कच्चा माल निकलता है वहां पर सेल ने अभी तक कोई प्लांट नहीं लगाया है जबकि कच्चे माल की प्राप्ति से बहुत दूर दुर्गापुर, राउरकेला, विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट लगाये गये हैं, जिसके कारण कच्चा माल प्राप्त कर इन प्लांटों में ले जाने के लिए यातायात की बहुत लागत आती है और इनके माल ले जाने के लिए प्रदूषण भी फैलता है। सेल स्टील के उत्पादन को दुगुना करने का विचार कर रही है। अगर क्योंझर में यह प्लांट लग जाये तो कच्चे माल के ले जाने में यातायात लागत और इससे होने वाले प्रदूषण से बचा जा सकता है। इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। उक्त प्लांट को लगाने के लिए यहां पर प्लांट लगाने की सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सड़क है, रेल मार्ग है, पानी की व्यवस्था है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि क्योंझर में इस्पात आधारित उद्योग लगाने के लिए सेल शीघ्र कार्यवाही करें।

(सत्रह) पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. तरूण मंडल (जयनगर): पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जयनगर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को बेहद सीमित सफलता मिली है। जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 2010 तक पूरा करने का वायदा किया गया था, आज तक केवल 40% कार्य के लक्ष्य को पूरा किया जा सका है। पिलर्स तारों, ट्रांसफार्मर्स तथा अन्य संसाधनों की कमी कार्य को बाधित कर रही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि योजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रूपये की राशि राज्य सरकार के पास बिना खर्च किए हुए पड़ी है।

चूंकि इस पिछड़े सुन्दरवन क्षेत्र में बिजली की कमी से लोगों को काफी समस्या होती है अतएव मैं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से इस मामले को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ उठाने तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने का अनुरोध करूंगा।

अपराह्न 2.54 बजे

सरकारी विधेयक-आस्थगित

(एक) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010

(दो) उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2010

(तीन) संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) -आस्थगित

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद सं. 13 पर चर्चा करेगी, अब मैं मंत्री को बुलाता हूं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, आइटम नम्बर 10 का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय: कल इसका जवाब नहीं हुआ था, इसलिए आज मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आइटम नम्बर दस में जो शत्रु संपत्ति विधेयक लगा हुआ है, उसका क्या हुआ क्रम से आइटम नम्बर दस लेना चाहिए।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदया, मैं इसका उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सभा को ज्ञात है कि आज सुबह कुछ माननीय सदस्यों ने शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम पर चर्चा जारी रखने संबंधी मुद्दा उठाया था और सभा को स्थगित करना पड़ था। वास्तव में, यह अधिनियम 1968 का अधिनियम है। यह अध्यादेश जिन परिस्थितियों में पुर:स्थापित किया गया था, माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं, यह बात अध्यादेश के साथ ज्ञापन में बतायी गयी है। अध्यादेश पुर:स्थापित होने के बाद एक विधेयक पुरस्थापित किया गया था, कुछ चिंताए, भी व्यक्त की गयीं थीं। हमने उस पर व्यापक रूप से चर्चा की थी। मैं नि:संकोच यह बात कह सकता हूं कि हमने इस पर कई नेताओं, लोगों तथा सभा के कई सदस्यों के साथ व्यापक रूप से चर्चा की थी और कुछ शासकीय संशोधनों के साथ इसे पुर:स्थापित किया गया था। सभा स्थगित होने के बाद आज सुबह यह कहा गया था कि सदस्यों को शासकीय संशोधनों सहित अध्यादेश का अध्ययन करने के लिए और अधिक समय की जरूरत होगी। मुझे उनकी स्थिति स्पष्ट करने दें। उनका कहना है कि शासकीय संशोधनों सहित अध्यादेश का अध्ययन करने के लिए उन्हें और समय चाहिए और इसलिए, वे एक व्यापक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। चर्चा के बाद हमें लगा कि उनका यह अनुरोध न्यायोचित है। अत: मेरा सभा से अनुरोध है कि हम शासकीय संशोधनों को शामिल करते हुए अगले सत्र में एक नया विधेयक लाया जाएगा और इस दौरान जो भी कानूनी कदम उठाने की जरूरत होगी, सरकार द्वारा उठाए जाएगें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, मुझे इस पर कुछ कहना है।

उपाध्यक्ष जी, हमारे यहां जब से स्टेंडिंग कमेटियों का गठन हुआ है, तब से यह नियम और परम्परा बन गई है कि हर नया बिल जब प्रस्तुत किया जाता है या पुराने बिल में कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है तो उस बिल को स्टेंडिंग कमेटी को भेजा जाता है। एकमात्र अपवाद इसमें है, जब अध्यादेश को बिल बनाने के लिए परिवर्तित किया जाता है। इस बार भी यह बिल एनिमी प्रोपर्टी बिल, शत्रु सम्पत्ति विधेयक अध्यादेश के रूप में आया था और अध्यादेश को बिल के रूप में बदलने के लिए आप यहां आये थे, इसलिए हमने यह आग्रह नहीं किया था कि यह बिल स्टेंडिंग कमेटी को जाये। हमने कहा था कि आप जब बिल लेकर के आएंगे, हम अपनी बात वहां रखेंगे और उसके बाद इस बिल को हम मूल रूप में पारित करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके साथ ही सरकारी तौर पर कुछ एमेंडमेंट, कुछ सरकारी संशोधन प्रस्तुत कर दिये गये और वे संशोधन बिल के मूल चरित्र को ही बदल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यह कहा कि हम इस बिल को संशोधन के साथ पारित नहीं करेंगे।

आज जो बात आपने कही है, उसमें एक चक्र है, उसमें एक कैच है। मैं वह कैच आपसे पूछना चाहती हूं। आप यह चाहते हैं कि लोग ज्यादा समय इन संशोधनों पर चर्चा करें, इसलिए यह बिल नया बन गया है तो इन संशोधनों के साथ आप एक बिल स्टेंडिंग कमेटी को रैफर कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आप विंटर सैशन में बिल लाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि इस अध्यादेश को लैप्स होने देकर एक नया आर्डिनेंस इन्हीं संशोधनों के लिए रीप्रोमलगेट कर रहे हैं। अगर आप वह कर रहे हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। वह आपकी नीयत का खोट है, आपकी नीयत में खोट है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, मंत्री महोदय सीधा-सीधा बतायें, अगर आप यह चाहते हैं, आपको कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि वह बिल के साथ जो संशोधन आपने दिये हैं, उन पर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि इस बिल को संशोधनों के साथ आप स्टेंडिंग कमेटी को रैफर कर दीजिए। वहां इन संशोधनों की कानूनी जांच भी हो जायेगी और इस पर विस्तृत चर्चा भी हो जायेगी। अगर संशोधनों के साथ बिल

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया चुप हो जायें, शान्त रहें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर संशोधनों के साथ संशोधित नया बिल स्टेंडिंग कमेटी को जाता है तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि स्टेंडिंग कमेटी में इसके कानूनी पहलुओं की चर्चा भी होगी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी सुनवाई भी होगी और हमें भी अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब बिल आयेगा, जिस भी रूप में आयेगा, हम अपनी बात रखेंगे। अगर आप स्टेंडिंग कमेटी को इन संशोधनों के साथ बिल भेज रहे हैं, जो आपने कहा है कि लोग ज्यादा समय चाहते हैं तो ज्यादा समय स्टेंडिंग कमेटी में मिल जायेगा। लेकिन आपका कैच तब आया, जब आपने कहा कि हम नया बिल शीतकालीन सत्र में लाएंगे, विंटर सैशन में लाएंगे तो बीच में क्या करेंगे बीच में अगर आप इसे संशोधनों के साथ या इससे भी खराब संशोधनों के साथ कोई आर्डिनेंस रीप्रोमलगेट करना चाहते हैं और नया अध्यादेश लाना चाहते हैं तो यह आपकी नीयत में खोट झलकता है और मैं यहां कहना चाहती हूं कि हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आप खुलकर बताइये कि आपकी मंशा क्या है...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर हम एतराज करते हैं। शत्रु सम्पत्ति नाम बदलकर इवैक्वी प्रोपर्टी एक्ट इसका नाम होना चाहिए। शत्रु सम्पत्ति अतार्किक और गलत नाम है, उसको बदल दिया जाये और इवैक्वी प्रोपर्टी उसको नाम दिया जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 3.00 बजे

श्री पी. चिदम्बरम: आदरणीय महोदय, अब वाद-विवाद को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए मुद्दों को नोट करता हूं। मैं उनके विचारों का बहुत सम्मान करता हूं। विधान सरकार द्वारा प्रस्तावित है और ऐसे में जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उन्हें विधान का अध्ययन करने के लिए और अधिक समय चाहिए तो हम समझते हैं कि यह मांग बिल्कुल उपयुक्त है। अत: जैसा कि मैंने कहा हम एक विधेयक लाएगें जिसमें वे शासकीय संशोधन अंतर्विष्ट होंगे जिन पर दलों के नेताओं के साथ सभा से बाहर के लोगों से परामर्श किया गया है और सभा में व्यापक चर्चा हुई है। इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें कुछ भी गुप्त नहीं है। हमने सबके साथ चर्चा की है। अब, इसे आप और उस समय जब हम सरकार के विचारार्थ संशोधनों को अन्तर्विष्ट करने के लिए नया विधयेक ला पाएगें के बीच क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से हमें प्रतिपक्ष के नेता की बात को ध्यान में रखना होगा लेकिन आदरपूर्वक अनुरोध करता हूं कि ऐसे परिकल्पित मुद्दे पर मुझे उत्तर देने के लिए न कहा जाए।..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): जो बात गृहमंत्री जी ने अभी कही, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटीज के बनने के बाद यह एक परम्परा बनी हुई है कि जब कोई भी नया विधेयक आता है और विशेषकर ऐसा विधेयक जो महत्वपूर्ण है, जिसमें दो मत हो सकते हैं, तो अनिवार्य रूप से वह स्टैंडिंग कमेटी को जाता है। इसी कारण इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा था, लेकिन आपने जो बात अभी कही, उससे लगता है कि अभी का जो आर्डिनेंस है, उसको तो लैप्स करने देना चाहते हैं, क्योंकि यह सभी को पता है कि अगर विधेयक नहीं आएगा, तो यह लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, यह हम नहीं जानते हैं, इसीलिए यह सवाल पूछा गया था कि क्या आप ये जो संशोधन किए गए हैं, उस स्वरूप में फिर से आर्डिनेंस लाने वाले हैं।

[अनुवाद]

यदि आप इसका उत्तर नहीं देंगे ते इससे यह पता चलता है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है कि इससे संबंधित कानून स्थायी समिति के पास न जाए। यही सही नहीं है। इसलिए, उन्होंने आपसे स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या आप इसे लाना चाहते हैं-क्योंकि सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के चलते अब आपने जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया है वह अध्यादेश को व्यवहारिक स्तर पर उलट देता है और मुझे इस बात का आश्चर्य है क्योंकि मुझे यह बताया गया था कि इस मामले में राष्ट्रपति ने न केवल औपचारिक अध्यादेश जारी किया अपितु वे लोगों से मिली थी, उनके साथ इस पर चर्चा भी की थी और उन्होंने कहा था कि यह सही अध्यादेश है-मुझे खेद है, मैं इसका हवाला नहीं देना चाहता था लेकिन मैंने यह महसूस किया कि ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई अध्यादेश लाया गया हो और इसे पारित नहीं किया गया हो और मूलभूत संशोधनों जिससे अध्यादेश की मूल प्रकृति ही बदल जाती, के साथ विधेयक पारित किया जा रहा था, परन्तु अब अपको ऐसा भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट करें कि आप करना क्या चाहते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे लगता है कि हम वहां पर भूत की तलाश कर रहे है जहां कोई वस्तुत: कोई नहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि वह एक अध्यादेश था। सभा के विभिन्न दलों के नेताओं के साथ व्यापक चर्चा के बाद उसमें शासकीय संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया। अब कुछ नेताओं का कहना है कि वे इसको समझने के लिए कुछ और समय चाहते है। इसमें अनुपयुक्त क्या है? इसी दौरान क्या करने की आवश्यकता होगी। यह सरकार निर्धारित करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। अत:

मुझे नहीं लगता कि इसे किसी गलत मंशा से देखा जाना चाहिए। हम इस सभा में वापस आएगें और अपने साथ नए बिन्दुओं को लेकर आएगें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): उपाध्यक्ष महोदय, 25 हजार करोड़ की संपत्ति है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह हो गया।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसका कोई निर्णय तो नहीं हुआ न।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): इस पर बहस नहीं हो रही है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब बहस होगी, तब आप अपनी बात कहिएगा।

श्री पवन कुमार बंसल: अभी इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: जब इस पर बहस होगी, तब बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब बहस होगी, तब बोलिएगा। अभी तो बिल ही नहीं आ रहा है, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष जी, अगर यह बोलेंगे, तो इधर से भी बोला जाएगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: अगर उधर से बोलेंगे तो इधर से भी बोलेंगे। आप हमें भी समय दीजिएगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कोई नहीं बोलेगा। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालजी टण्डन: मान्यवर, आप मेरी बात सुन लीजिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: प्रतिपक्ष के नेता तथा श्री अडवाणी जी दोनों अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: इनके बोलने के बाद हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, फिर वही शुरू हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब बिल नहीं आ रहा है तो उस पर बोलने की क्या जरूरत है। जब बिल आएगा तब हम बात करेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: मुझे मद सं. 11 और 12 जो यहां राज्य के नाम तथा भाषा में परिवर्तन के संबंध में है के बारे में व्यक्तव्य देना है। उड़ीसा के कुछ माननीय सदस्यों ने अभ्यावेदन दिया था कि वे इस मुद्दे पर पुन:विचार करना चाहते है। वस्तुत: वे चाहते थे कि हम इस मुद्दे को कुछ समय के लिए टाल दें। इसलिए, हमने निर्णय लिया है कि अब इस पर हम अगले सत्र के दौरान चर्चा करेंगे। अत: मैं, अनुरोध करता हूं कि हम मद सं. 13 पर चर्चा करें।

अपराह्न 3.06 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

(एक) देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति

[हिन्दी]

***श्री ए.टी. नाना पाटील** (जलगांव): आज सूखा एवं बाढ़ से हमारे देश के कई हिस्से तबाह हो रहे हैं। लेकिन इसे रोकने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के लिए हमारी सरकार गंभीर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा 33 साल पहले बनाया गया बिल अभी तक विभिन्न राज्य सरकारों के सामने पास होने के लिए पड़ा हुआ है। यह बिल केन्द्रीय जांच आयोग ने 1975 में राज्य सरकारों के पास भेजा गया था। अगर यह बिल उस समय पास हो जाता तो आयोग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हटाने से लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना, प्रभावित लोगों को मुआवजा, बाढ़ संभावित क्षेत्र में बसावट की नीति बनाने का अधिकार मिल जाता। जिससे कि बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सकता था।

मुझे लगता है नदियों के उद्गम स्थल पर बारिश न रूकी तो गंगा-यमुना के मैदान ही नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि लगभग आधा दर्जन बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं हम देखें तो दूसरी और नदियों के तटीय निचले हिस्सों में बाढ़ आ गई है। और तो और इन नदियों पर बने बैराज के फाटक खोलने से कई शहरों के निचले हिस्सों में पानी भर गया है। पहले सूखा और अब बाढ़ जैसी आपदा से खेती चौपट होने का खतरा है।

गंगा की ज्यादातर सहायक नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। आज हम देख रहे हैं हर राज्य में हो रही लगातार बरसात से नदियों के उद्गम स्थल पर ही बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई हैं। इसमें कई राज्यों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। यह बारिश का सिलसिला अभी भी रूका नहीं है। गंगा जैसी कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान को छूने लगी हैं। इन नदियों के किनारे के शहर, बस्ती में रहने वाले लोग तथा खेत पानी में डूबने लगे हैं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में यमुना अपने उद्गम स्थल से ही लबालब बह रही है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर, हरियाणा में यमुनानगर और देश की राजधानी दिल्ली में यमुना ने खतरे का निशान पार कर लिया है। हरियाणा के ताजेवाला बैराज में पानी अधिक होने के कारण फाटक खोल दिए गए हैं। इससे यमुना के किनारे बसे छोटे-बड़े कस्बों और गॉवों में पानी घुस गया है। राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है।

मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से प्रभावित राज्यों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। हमारी सरकार सिर्फ बोलती है कि मुआवजा दिया जायेगा परंतु वो भी हमारी सरकार समय पर नहीं दे पा रही है इसके क्या कारण हैं?

मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में आज भी कृषि प्रमुखत: 68 प्रतिशत वर्ष जल पर निर्भर है, इसके बावजूद भूजल व सतही जल के अत्याधिक दोहन और ग्लोबल वार्मिंग से बदली परिस्थितियों ने देश भर में सूखे के दायरे को और व्यापक बनाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूखे से बदहाल राज्यों के कई जिलों को अब बाढ़ ने घेर लिया है। किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फसल नष्ट होने के साथ ही उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। एक बार फिर रोजगार की तलाश में पलायन का सिलसिला शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं सैंकड़ों की तादाद में विभिन्न राज्यों के विशेषत: विदर्भ में किसानों की हालत हम सभी जानते हैं साथ ही मराठवाड़ा के गरीब किसान जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनके तुरंत सरकार द्वारा मुआवजा देना चाहिए पर हमारी सरकार वह भी समय पर नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इसमें भी देरी कर किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है क्यों?

मुझे लगता है कि सूखा अकाल के इस मौसम ने बेपटरी आपदा प्रबंधन की पोल खोल दी है। न कहीं कोई मानिटरिंग की व्यवस्था और न ही इंटरनल ऑडिट। स्थिति निंदनीय है कि आपदा का पैसा कैसे खर्च हो रहा है, कहां-कहां खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी स्वयं आपदा प्रबंधन विभाग को ही नहीं है। नतीजतन राहत के लिए तत्काल जरूरी पूर्व में केन्द्र ने राहत पुनर्वास के लिए आवंटित धन 400 करोड़ रुपये के आवंटन पर ही ग्रहण लग गया है।

सूखा अकाल से लोग मौत के मुंह में पहुंच रहे हैं। पिछले पांच वर्ष में आपदा राहत कोष के करीब 28 करोड़ रुपये विभिन्न ट्रेजरी से निकाल लिए गए, लेकिन यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि खर्च का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है मैं पूछता हूं सरकार इस संबंध में क्या कर रही है?

विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05 में 21.88 करोड़ रुपये की निकासी हुई, जिसका डीसी बिल जमा नहीं किया गया। इसी तरह वर्ष 2005-06 में 5.32 करोड़, 2006-07 में 47 लाख, 2007-08 में निकाले गए 23 लाख रुपये का कोई हिसाब-किताब विभाग के पास नहीं है।

वर्तमान समय को देखते हुए अधिकांश राजनैतिक दल सुखाड़ राहत के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। इस दिशा में भी मुझे लगता है कोई प्रयास शुरू नहीं हुआ है। दिनों दिन स्थिति और बिगड़ती जा रही है। सूखे के मद्देनजर सरकार कृषि, खाद्य आपूर्ति, ग्रामीण विकास जैसे मसलों पर स्वयं को केंद्रीत रखी हुई है फिर भी इन मदों में बजटीय प्रावधान के अनुरूप खर्च नहीं हो पा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में पूरा सूखे की चपेट में होने और सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद विकास की गाड़ी बहुत ही धीमी चल रही है।

मैं बस इतना ही बताना चाहूंगा कि सरकार इन सभी पहलुओं पर तुरंत कोई नीति बनाए ताकि बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित राज्यों में रहने वाले परिवारों को न्याय मिल सके।

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर): देश में बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में सदन में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जा रही है। देश में एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ अकाल की स्थिति दिखाई दे रही है। यह विपरीत स्थिति एक प्राकृतिक आपदा है। मानव आज चांद और मंगल ग्रह पर गया है लेकिन वह प्रकृति के आगे विवश दिखाई देता है। इस प्राकृतिक आपदा के लिए कोई ग्लोबल वार्मिंग को दोषी ठहराता है। प्रपाकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन भी आज इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है तो कुछ मानव निर्मित घटनाएं भी इसके लिए सहायक सिद्ध हो रही हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर भारी मात्रा में कोयले की खाने हैं। इन कोयले की खानों से निकलने वाले पत्थर, मिट्टी जिसको ओ.बी. डम्प कहा जाता है, हमारे यहां की नदियों के किनारे डालने से नदी संकरी होकर बाढ़ आ रही है। पूर्व में कभी भी बाढ़ नहीं आती थी वह क्षेत्र आज बाढ़ प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन की घोर उपेक्षा और कोयला खान प्रबंधन की मुजोरी के कारण यह सब घटित हो रहा है। हमने सरकार के संज्ञान में यह बात लाने के बाद भी कार्रवाई का अभाव है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो बेचारे किसान अपनी फसलों को डूबते देखने के अलावा क्या कर सकता है और ग्रामीण जनता विस्थापन का अनुभव लेने के अलावा क्या कर सकती है और हमारे यहां बाढ़ प्रभावितों को नुकसान, भरपाई, मुआवजा देने के नियम इतने कठोर हैं कि प्रशासन द्वारा महीनों, सालों के बाद ही दिया जाता है इससे लोगों में आक्रोश है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से ले और वे.को.ली. द्वारा हमारे क्षेत्र की नदियों के किनारे डाले गये ओ.बी.डम्प के पहाड़ों को हटाये और इसके कारण जिन गांवों तथा किसानों पर कुप्रभाव पड़ा उन्हें सहायता और उनके पुर्नस्थापन के लिए उचित धनराशि और विकास कार्य कराये।

मैंने शुरू में बाढ़ और सूखे की विपरीतता की बात कही थी। श्रद्धेय अटलजी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने इसका संज्ञान लेकर नदी जोड़ परियोजना चलाने का निर्णय लिया था। इससे सूखे क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने के साथ बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता था। लेकिन राजनीतिक हानि-लाभ का विचार कर यू.पी.ए. सरकार द्वारा उक्त परियोजना के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। उस समय तत्कालीन मंत्री माननीय सुरेश प्रभु के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा परियोजना के बारे में एक रिपोर्ट दी गई थी। सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। क्या नदी जोड़ परियोजना का काम इस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यह देश के लिए आवश्यक और महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में सामने आनी चाहिए।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राजनीतिक रूप से न सोचकर देशहित के बारे में सोचें और नदी जोड़ परियोजना का कार्य आरंभ कर इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संसाधन भी उपलब्ध करा दे।

***श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बेतूल): आज देश की बाढ़ और सूखे की तात्कालिक वास्तविक स्थिति के बारे में आपके माध्यम से मैं इस सदन में यह बताना चाहूंगी कि आज हमारा देश जो वास्तविक आपदा से जूझ रहा है, वह प्राकृतिक आपदा का नाम, जिसे पूरा भारत का वह निचला भाग बाढ़ और सूखे की मार को झेलने वाले 13 राज्य जो 2010 के दौरान पाये गये और जिसमें उस वर्ष की कुछ जिले 80 जिसे सरकार द्वारा 8000 करोड़ रूपये की राशि उन राज्य सरकार को उस दौरान राहत स्वरूप दिये गये।

मेरा मानना है कि एक केन्द्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट वर्ष-वर्ष पहल बनाया गया बिल आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इससे यह ज्ञात होता है कि शायद इस बिल की आवश्यकता केन्द्र सरकार को नहीं है। यह भी ज्ञात होता है कि शायद केन्द्र सरकार को देश की वास्ताविक प्राकृतिक आपदा की जानकारी ही नहीं है और शायद यह बिल की पास होने की स्थिति में शायद उन अधिक से अधिक निचले राज्य डूब के राज्यों के प्रतिस्थापन, विस्थापन एवं मुआवजा उससे अधिक उस डूब राज्यों, जो प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को हटाने से लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना आदि संबंधित नीति बनाने का अधिकार मिल जाता, जिससे कि बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सकता है।

मेरा मानना है कि आज जितनी बड़ी नदियां हैं, वे सभी प्रतिवर्ष बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रदेश से लेकर उन जिलों को तबाह करता है। आज मैं देखती हूं कि लगभग सभी बड़ी नदियों की स्थिति एक समान सी हो गई है जो अपने समय में खतरे के निशान से ऊपर ही चलती है। क्या आजादी के बाद हमने इसका जिक्र संविधान के उन पन्नों में भी स्वर्ण अक्षरों से इंगित किया था और आज भी उन पन्नों में वही स्वर्ण अक्षरों से इंगित है। इससे यह बात की जानकारी होती है कि देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण जायजा मालूमात दौरान ही संविधान के निर्माणकर्ताओं ने इसका उसमें उल्लेख किया था और उस ओर विशेष गति के साथ देश की लोक महत्व की रक्षा, जान माल की रक्षा एवं उनके विकास को ध्यान में रखकर इसकी विशेष रचना की।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मुझे आज यह बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि आज इतने बड़े देश का भूभाग आज भी बाढ़ और सूखे से जूझ रहा है। क्या कारण है कि आज भी हमारे पास इस ओर कार्य करने की इच्छाशक्ति क्या हमारे पास नहीं है या उन राज्यों को अपना हिस्सा मानने को तैयार नहीं है जो इस आपदा से प्रतिवर्ष जूझते हैं।

देश के विकास और विनाश की चिंता सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए और उसकी योजना के लिए सरकार कटिबद्ध होना उसके आवश्यक गुण में होना नितांत आवश्यक है।

मेरा मानना है कि आज भी जिस प्राकृतिक आपदा के रूप में हम बाढ़ एवं सूखे का प्राकृतिक दर्शन करते हैं, परंतु पिछली लंबित संबंधित योजना पर शायद हम क्रियान्वयन करना नहीं चाहते। आज जहां बाढ़ है और जहां सूखा है क्या इस सामान्य करने की कोई योजना बनी ही नहीं या हमने उसका क्रियान्वयन करने पर विचार ही नहीं किया। नदियों को जोडने की योजना शायद लंबित पड़ी है इस योजना को भारत जेसे विशाल राष्ट्र को अतिआवश्यक है जिससे हम इस आपदा से निजात पा सकते हैं और एक विकासशील राष्ट्र को दुनिया में प्रखरता से रख सकते हैं।

आज पर्यावरण की स्थिति की चिंता दुनिया का हर देश कर रहा है। पानी को बचाने एवं वृक्ष को समान स्वरूप देने की चिंता दुनिया ने की है, परंतु यदि हम नदियों को समान स्वरूप यदि देना चाहते हैं तो इन नदियों को जोड़ने की योजना के माध्यम से हम देश को दोनों ही स्वरूपों के माध्यम से हम हर कार्य को सम्पूर्ण रूप प्रदान कर सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। पानी सुरक्षित होगा एवं देश के उन राज्यों को कमजोर की श्रेणी से विकास की श्रेणी में खड़ा करेंगे एवं देश की उन्नतिशील राज्यों के रूप में उनका पूरा स्वरूप बदलते हुए हम एक दुनिया के उन्नतशील राष्ट्र के रूप में खड़ा होने में हमें कोई नहीं रोक सकेगा।

आज देश की कही जाने वाली राजधानी की स्थिति उस निचले भूभाग वाले राज्यों जैसी हो गई, जहां यमुना जी भी राजधानी के उस निचले कमजोर तबके को अस्त-व्यस्त कर दिया, जिसे ठीक से खड़े होने की क्षमता या शक्ति ही नहीं है जब राजधानी जैसे उस तबाही के दर्शन की बात हो या उस विशाल नदियों की बात करे लगभग स्थिति को सहज रूप से देखे तो सभी समान रूप का दर्शन कराती है और फिर हम इसके लिए राज्यों को हम पूरा सहयोग और उन्हें पूरी तरह मजबूत करने के लिए सरकार का ध्यान इसमें समर्पित क्यों नहीं है।

आज देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला किसान इस बाढ़ एवं आपदा सूखे से ऐसा पीड़ित है कि या तो वह आत्महत्या कर लेता है या अपनी उस मां जैसे भूमि को छोडकर पलायन कर लेता है। ऐसा क्यों है महोदय। क्या उसकी इस दुर्गति में संभावनाएं किसकी होती है उस प्राकृतिक आपदा या सरकार की क्रियान्वयन में कंजूसी हमें दिल को बड़ा करना होगा एवं उस कमजोर राज्य एवं किसानों की चिंता करनी होगी और वह समय आ चुका है कि आज हमें देश को जीवित रखने वाला किसान को विशेष महत्व देने के साथ उसे वह सभी उन कार्या को कानूनी रूप देकर उन्हें बचाना होगा।

मुझे लगता है कि सूखा-बाढ़ की प्रबंधन समिति का यहां सभी तथ्यों पर खुलासा सा हो गया है। आज भी इस प्रबंधन में कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था इंटरनेट आदि की व्यवस्था नहीं है। शायद यह निंदनीय है आपदा का पैसा कैसे खर्च हुआ, कहां हुआ और किस जगह हुआ इसकी जानकारी स्वयं आपदा प्रबंधन को ही नहीं है।

अत: आपसे अंतिम एवं वर्तमान समय को देखते हुए अधिकांश राजनैतिक दल सुखाड़ राहत के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाने की मांग करते हुए इस दिशा में भी कोई अत्यंत महत्वपूर्ण सरकार कदम उठाकर महत्वपूर्ण नीति बनायें ताकि बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित राज्यों में रहने वाले परिवारों को न्याय मिल सके।

***श्री नारनभाई कछाड़िया** (अमरेली): सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि बाढ़ और सूखे के संबंध में 193 के अधीन चर्चा कराई जा रही गई है।

आज हमारे देश को आजाद होने के पश्चात से 63 वर्ष हो गए हैं और सरकार को यह भी पता है कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश को सूखे या बाढ़ की स्थिति से ग्रसित होना पड़ता है। महोदय हमलोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्रकृति कि देन है और इसे रोका नहीं जा सकता, परन्तु इसकी आपदा से लोगों को बचाया जा सकता है।

महोदय स्थिति के आकलन से यह पता चलता है कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष हजारों लोग इस आपदा की चपेट में आते हैं, और जब लोग चपेट में आते हैं तो सरकार मुआवजे की बात करती है। यहां सरकार मुआवजे के बजाय बाढ़ संभावित इलाकों के लोगों को पहले से ही सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित क्यों नहीं कर देती, इससे सरकार को मुआवजा भी नहीं देना पड़ता और लोगों की जान भी बच जाती।

यह एक राष्ट्रीय आपदा है, और प्रत्येक वर्ष इस आपदा से हमारे देश को इस आपदा से करोड़ों का नुकसान एवं हजारों लोगों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

को अपने जान को जोखिम में डालना पड़ता है, तो कहीं दूसरी ओर हजारों लोग सूखे से ग्रसित हो जाते हैं और इस तरह से प्रत्येक वर्ष लोग बाढ़ और सूखे से ग्रसित होते रहते हैं, और सरकार मुआवजा देने की काम करती है और यह प्रक्रिया आजादी के 63वें वर्ष से चलती आ रही है।

महोदय सरकार की वाटर डिजास्टर मैनेजमेंट की जितनी भी नीतियां है वह केवल पेपर तक ही सीमित है, और उनका वास्तविक रूप में कोई परिणाम नहीं आता है और मैं यहां सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है और इसपर सरकार को सभी पार्टियों के सहयोग से इस समस्या का स्थाई रूप निवारण होना चाहिए।

***श्री कौशलेन्द्र कुमार** (नालंदा): आज पूरे देश में सूखा है कहीं-कहीं बाढ़ भी है। आखिर इसका कारण क्या है? कभी इस कारण को जानने की कोशिश नहीं की गयी। पूरे देश में वर्षा से 4000 क्यूबिक मीटर पानी आता है, जिसका 18 प्रतिशत ही जमा हो पाता है, बाकी बर्बाद हो जाता है। अगर इसका ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे। यह चेतावनी विश्व बैंक ने भारत को सन् 2005 में ही दे दी थी और इस पर अमल करने को बोला था। लेकिन आज इस चेतावनी को दिये पांच वर्ष बीत गये, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। आज जिस तरह प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, केवल कंक्रीट का जंगल तैयार किया जा रहा है, यह पर्यावरण के लिए भयंकर खतरा है। आज रियल एस्टेट कम्पनियों के शेयर ऊपर चढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट कम्पनियों द्वारा किसानों को बहला फुसलाकर उनकी कृषि योग्य सिंचित जमीन पर कंक्रीट का जंगल तैयार किया जा रहा है, यह बेहद अफसोसजनक बात है। सरकार भी रियल एस्टेट कम्पनियों को बढ़ावा दे रही है और किसानों को दबा रही है। आज किसान चारों तरफ से मजबूर हैं, प्रकृति की मार से मजबूर है, सरकार की मार से मजबूर है, भूमि के अधिग्रहण से मजबूर है, महंगाई की मार से मजबूर है, खाद नहीं मिलने की मार से मजबूर है, उनके कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य नहीं मिलने से मजबूर है। बिचौलियों की मार से मजबूर है।

आज जिस तरह आधुनिकता आगे बढ़ रही है, वो प्रकृति को बुरी तरह से नष्ट कर रही है जिसका परिणाम, दूषित पर्यावरण है, सूखा पड़ना तथा कभी ओले पड़ना, बादल फटना, जमीन फटना जैसी घटनाएं इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। लेकिन सरकार इस ओर से आंख मूंदे हुए है, वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेरे संसदीय क्षेत्र, नालन्दा में पिछले दो वर्ष से लगातार सूखा पड़ रहा है परिणामस्वरूप धान की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। केवल 24 प्रतिशत ही रोपाई है, पिछले वर्ष इससे भी भयंकर सूखा पड़ा था, केवल 16 प्रतिशत ही रोपाई हुई थी। अगर यही हाल रहा तो किसान की कमर ही टूट जायेगी। आधी तो टूट ही गई है, उन्हें कोई मुआवजा, केन्द्र सरकार के तरफ से नहीं मिलता है और न कोई बेहतर सिंचाई सुविधाओं के लिए कोई योजना। किसान इस धरती का सबसे सहनशील जीव होता है किसान की तुलना भगवान से की गई है, कृषि पेशा को सबसे उत्तम पेशा कहा गया है। लेकिन आज क्या उसका सही अर्थ रह गया है? किसानों की रोजी रोटी छिनी जा रही है। उनको बेघर किया जा रहा है लेकिन फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं और दुगुने उत्साह से दूसरे फसल की तैयारी में जुट जाते हैं। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचन्द की कहानी, "पूस की रात" भारतीय किसान का सही कथा-चित्रण पेश करती है।

आज बेहतर जल प्रबंधन और सिंचाई सुविधा की जरूरत है लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नह दे रही है। सिंचाई मंत्रालय का नया नाम जल संसाधन मंत्रालय किया गया है लेकिन वो अपना पुराना काम भी नहीं कर पा रही है।

बिहार के 38 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था यहां पर पिछले दिनों केन्द्रीय टीम भी गई थी। उन्होंने खुद मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों की स्थिति का अध्ययन किया है, उनसे पूछा जा सकता है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान की हालत कितनी खराब है। अगर केन्द्रीय टीम की अनुशंसाओं को लागू भी किया जाता है तो पुराने दर पर ही मुआवजा दिया जाएगा जिसका कोई फायदा किसानों को नहीं पहुंचेगा।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि शक्तिशाली मंत्री समूह खुद जाकर मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा एवं साथ-साथ अन्य जिलों का दौरा करे तभी कड़वी सच्चाई सामने आ पायेगी। हर बार केन्द्रीय टीम जाती है, चल आती है और एक रिपोर्ट भर प्रस्तुत कर देती है, जिसका पुराने दर पर मुआवजा दे दिया जाता है लेकिन कभी उसके स्थायी हल पर नहीं सोचा जाता है। खुद शक्तिशाली मंत्री समूह जाएंगे तो उन्हें किसानों की सही स्थिति मालूम होगी।

मैं केन्द्र सरकार से यह भी मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा जिले के प्रत्येक प्रखण्ड की हरेक पंचायत में पेयजल के लिए दस-दस डीप बोरिंग चापाकल तथा सिंचाई के लिए दो-दो डीप बोरिंग सवमर्सिबल पम्प सेट (20 एचपी का) लगवाने की व्यवस्था की जाये। तभी किसानों की जान बचेगी और उनके खेतों की सिंचाई हो सकेगी और उन्हें उनके बच्चे तथा पूरे परिवार को साफ, स्वच्छ जल, पीने को मिल सकेगा। अभी जब मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा में पिछले दो वर्ष से लगातार सूखा पड़ने से किसी

के घर में चावल नहीं है तो उन्हें कम से कम राशन की दुकान से प्रत्येक परिवार को महीना में कम से कम चालीस किलोग्राम चावल तथा बीस किलोग्राम गेहूं एवं 20 लीटर किरासन तेल, केन्द्रीय सरकार बिल्कुल रियायती दर पर उपलब्ध कराये ताकि वो लोग जिन्दा रह सकें तथा उनके दोनों वित्तीय वर्ष का के.सी.सी. ऋण माफ किया जाये। उन्हें खाद, उत्तम बीज तथा कीटनाशक एवं खेती के अन्य सामानों की व्यवस्था केन्द्र सरकार करे। बेहतर सिंचाई के लिए छिड़काव यंत्र, (स्प्रिंकल इरीगेटिड वाटर इन्स्ट्रमेंट)किसानों को मुफ्त दिया जाये ताकि कम पानी में खेतों की बेहतर सिंचाई हो सके। कीटनाशी छिड़काव यंत्र भी किसानों को मुफ्त सप्लाई दिया जाये। प्रत्येक पंचायत में जुताई के लिए, दो-दो बड़ा ट्रैक्टर का प्रबंध, केन्द्रीय सरकार करे ताकि किसानों की जमीन की जुताई हो सके और यह सारा प्रबंध केन्द्रीय सरकार यथाशीघ्र करवाये ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। बाद में दिए जाने से इसका पूरा फायदा किसानों को नहीं मिलेगा।

मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि वह कुछ ऐसा करे ताकि किसानों को जमीन पर कुछ दिखाई दे कि उन्हें केन्द्र सरकार ने कुछ लाभ दिया है।

अगर उन्हें लाभ नहीं दिया जाता है, उनकी स्थिति बद से बदतर होती जाएगी और यही उनकी हाहाकार धीरे-धीरे उग्रवाल की आवाज हो जाती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस पर मनन करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इस पर यथाशीघ्र अमल करने की जरूरत है।

***श्री राम सिंह कस्वां** (चूरू): आपने मुझे देश में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। सूखा और बाढ़ की समस्या देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। क्या हम इन समस्याओं का मजबूती से सामना करने में सक्षम हैं। इस संकट से निपटने के लिए चौतरफा प्रयास होने चाहिए, क्या वे नजर आ रहे हैं। हाल ही में बारिश से बेहाल-पंजाब-हरियाणा की बाढ़ ने वर्ष को आपदा में तबदील कर दिया है। वहां इतने दिनों जो व्यापक नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। हर वर्ष बाढ़ से देश के कई हिस्से तबाह हो जाते हैं लेकिन इसे रोकने के लिए केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा 33 वर्ष पहले बनाया गया बिल अभी तक विभिन्न राज्यों के सामने पास होने के लिए पड़ा हुआ है। मणिपुर और राजस्थान को छोड़कर किसी भी राज्य ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। हर साल बाढ़ से भारी जन धन की हानि होती है लेकिन राज्य सरकारें इससे कोई सबक नहीं ले रही है। केन्द्र सरकार भी थोड़ी बहुत सहायता व किसानों को अनुदान देकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेती है। यह हर क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि वह बरसात का मौसम शुरू होने से पूर्व ही इसका आकलन करके रखे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बाढ़ के मूल कारणों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। अगली बारिश तक लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। सच्चाई यह है कि बाढ़ की समस्या वनविनाश, अनियोजित नगरीकरण और खनन, भौतिकवादी जीवनदर्शन से सीधे जुड़ी हुई है।

1981 को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ था। जिसमें राजस्थान का हिस्सा 8.6 एमएएफ तय किया गया था। भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल राजस्थान को हिस्सेदारी का 8 एमएएफ जल का ही आबंटन कर रहा है। काफी प्रयासों के पश्चात् भी शेष 0.60 एमएएफ पानी राजस्थान को नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से सिधमुख नौहर के लिए राजस्थान के हिस्से का 0.47 एमएएफ पानी में से 030 एमएएफ पानी ही दिया जा रहा है। शेष 0.17 एमएएफ पानी काफी प्रयासों के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान में सिंचाई के पानी के साथ पीने के पानी की भी विकट समस्या है। राजस्थान नहर का निर्माण पूरा हो चुका है। इस क्षेत्र की इतनी बड़ी क्षमता है कि अगर पूर्ण पानी मिले तो उपरोक्त क्षेत्रों की बाढ़ की समस्या के हल होने के साथ-साथ अन्न का संकट भी काफी हद तक हल हो सकता है। लेकिन इस पर न तो केन्द्र सरकार गंभीर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पानी का वाजिब हक देने को तैयार नहीं है। राजस्थान हमेशा कम वर्ष से सूखे की चपेट में रहा है। कहीं पानी की अधिकता विनाश का कारण बनी हुई है। दोनों स्थिति में ऐसे राज्यों के प्रभावितों को राहत के लिए अरहों रुपये की दरकार रहेगी। वाजपेयी सरकार के समय अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि जैसी समस्या पर पार पाने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना सामने आई थी। उस योजना का क्या हुआ, सरकार बदलते ही योजना क्यों भुला दी गई? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि सरकार बदलने का असर क्या राष्ट्रीय योजनाओं पर भी पड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक आपदा को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारे कर्त्ता-धर्त्ताओं को गंभीरता से विचार करना ही होगा। मानसून का मिजाज कब बिगड़ जाए भविष्यवाणी करना असंभव है। ऐसे में एक ही विकल्प नजर आता है कि आसमान से बरसी हर बूंद को चाहे वह कहीं भी गिरे और कभी भी गिरे सहजने की कला हमें आ जाए।

तीन राज्यों में आ रही बाढ़ के पानी को सहेज सकने की क्षमता हो तो सूखा प्रभावित राज्यों के लिए यही पानी अमृत बन सकता है। हम प्रतिवर्ष बाढ़ व सूखा पर अरबों रुपये खर्च करते हैं लेकिन नदी जोड़ो प्रोग्राम पर एक धेला भी खर्च करने को तैयार नहीं है। आज चीन एक-एक बूंद का कैसे उपयोग कर रहा है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर बांध बना रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सोचने का विषय है। धीरे-धीरे नीचे का पानी खत्म हो रहा है। मानसून का कोई भरोसा नहीं। नदियों की हालत क्या होने जा रही है उन्हें उथला होने से बचाना पड़ेगा। सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर इस पर कार्य करना चाहिए। नहीं तो हमारे हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। जल प्रबंधन की जरूरत को हम समझ गए तो सूखा और बाढ़ दोनों पर हम काबू पा सके हैं। जैसे-जैसे देश विकास कर रहा है उसके किसानों की आबादी घटती जा रही है फिर हमारे किसान क्या करें, कहां जाएं, देश के 60 करोड़ किसानों का भविष्य क्या है, किसान चाहकर भी मन मुताबिक फसलों की खेती नहीं कर सकता। खेती किसानों के लिए दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जा रही है। किसान बारिश की आशा में आकाश की तरफ टकटकी लगाए रहता है। लोग खेती और गांव से किनारा करते जा रहे हैं। पहले तो अच्छी पैदावार नहीं होती यदि होती भी है तो किसानों को उनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। इस वर्ष वर्ष पश्चात राजस्थान में अच्छी फसल होने जा रही है। कल मैं मेरी तहसील के गांव रामसरा-टीबा गया। मैंने कहा इस बार तो आपके मूंग की बहुत अच्छी फसल है। ग्रामवासियों ने कहा कि हमें क्या आज का भाव मिलेगा अगर आधा भी मिल जाए तो भी ठीक है। किसान भाव को लेकर काफी निराश हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे वाजिब भाव मिलेगा। ऐसी हालत में सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। किसान की खेती कैसे बचे इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। राहत कार्य सदैव से विवाद और भ्रष्टाचार की कहानी कहते रहे हैं। कई बार तो लगता है कि इस नाम पर जो घोषणा होती है उससे पूरा इलाका लखपति हो सकता है बशर्ते पैसा सीधे पीड़ित को मिले। सूखा के बाद इश्योरेंस कवर का लाभ किसानों को काफी समय बाद मिलता है। कभी-कभी मिलता भी नहीं। इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

***श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** (गिरिडीह): आज इस सदन में बांध सुरक्षा विधेयक, 2010 को लाया गया है। इस विधेयक में कई प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन, भूकम्प विज्ञानी केन्द्र का संस्थापन जलाशयों का आरंभिक भराव आदि शामिल है।

आज हमारे देश में जो कानून बने हुए हैं, उसका अनुपालन सही ढंग से हो तो आज हम आमजनों की समस्याओं से निपटने में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। लेकिन स्थितियां इसके विपरीत हैं। आज हम विधेयक के माध्यम से कानून में बदलाव कर रहे हैं लेकिन इस बदलाव से समस्याओं का समाधान संभव नहीं है बल्कि कानून पालकों को अपनी कर्तव्यनिष्ठा से और कानून के उचित अनुपालन से समस्याओं से निजात दिला सकते हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमारे क्षेत्र में 1954 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी के कार्यकाल में कोनार डैम की स्थापना की गई। सोच अच्छी थी, लेकिन हमारे देश के इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, प्रबंधक की सोच जनहित से अलग हटकर दूसरे ओर जाने के कारण देश में समस्याओं का अंबार खड़ा है। इस डैम पर 3 मे0गा की एक पारम्परिक इकाई (हाइडल पॉवर प्रोजेक्ट) लगाने हेतु अनुशंसा डीवीसी द्वारा की गई थी। एनएचपीसी ने इस संबंध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की इसके बाद केन्द्रीय जल आयोग ने कह दिया कि कोनार बांध में क्रेक आ जाने के कारण पन विद्युत परियोजना स्थापित करने में दिक्कत है। फिर सीडब्ल्यूसी ने कहा कि इस डैम को 4-5 वर्ष तक जांच करने के बाद हाइडल प्रोजेक्ट निर्माण की स्वीकृति दी जा सकती है। मेरा कहना है कि जब कोनार बांध में दरार था तो एनएचपीसी ने हाइडल प्रोजेक्ट निर्माण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति क्यों दी है? इस कार्य में डीवीसी, सीडब्ल्यूसी और एनएचपीसी तीनों की सहभागिता है। दो विभाग हाइडल प्रोजेक्ट का प्रस्तावक है और सीडब्ल्यूसी 5 वर्ष तक जांच करने के बाद यह निष्कर्ष पर आयेगा कि हाइडल प्रोजेक्ट स्थापित किया जायेगा। यह सारा खेल दिग्भ्रमित करने वाला है। प्रबंधन और तकनीकी विभागों के द्वारा जांच के नाम पर राष्ट्रीय सम्पत्ति और जनता के पेसों का अपव्यय किया गया और किया जायेगा और जनता मूलभूत समस्याओं से जूझती रहेगी।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इस विधेयक के माध्यम से कानून बनाने जा रहे हैं,उसका अनुपालन सही ढंग से हो। प्रत्येक राज्य में राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना हो और इस कार्य का मानिटरिंग करने के लिए माननीय सांसदों को एक प्रभावी शक्ति प्रदान करें। साथ ही साथ सेंट्रल वॉटर कमीशन (सीडब्ल्यूसी) को बांधों की सुरक्षा के लिए प्रभावी बनाया जाये और कोनार बांध में दरार के कारणों को शीघ्र जांच कर हाइडल पॉवर प्रोजेक्ट निर्माण के कार्या की शीघ्र स्वीकृति प्रदान हो और झारखंड राज्य में बांध बनाने के लिए जो भी भूमि अधिग्रहण किया गया है तो संबंधित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से मुआवजा और नौकरी आदि की व्यवस्था की जाये ताकि इस प्रदेश में बांध निर्माण कार्य में प्रदेश की जनता की सहभागिता बढ़े।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं देश में प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सूखे से उत्पन्न स्थिति के प्रबंधन से संबंधित चर्चा में बड़ी संख्या में भाग लेने और अत्यंत उपयोगी सुझाव देने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें इस बार होने वाली समस्या जो प्रत्येक वर्ष लाखों, लोगों, विशेष कर समाज के निर्धन वर्ग को, प्रभावित करता है, से निपटने के लिए निवारक उपायों को सुदृढ़ करना चाहिए ...*(व्यवधान)* यह वास्तव में विचित्र परिघटना है कि एक ही साथ देश का कुछ भाग बाढ़ से और कुछ भाग सूखे से प्रभावित

हैं। हमारा देश एक विशाल देश है और यद्यपि यह अजीब लग सकता है हमे इसके साथ जीना होगा....*(व्यवधान)* हमें सूखा और बाढ़ दोनों से निपटने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा।

मैं माननीय सदन के साथ यह जानकारी बांटना चाहूंगा कि वर्तमान दक्षिण-पश्चिम मानसून में 1 जून से 25 अगस्त 2010 की अवधि के दौरान 36 मौसम-विज्ञान उपखण्डों में से नौ उप-खण्डों में ज्यादा वर्षा हुई है और छह उप-खण्डों में कम वर्षा हुई है।

वर्तमान वर्ष के दौरान 19 राज्य और दो संघ शासित प्रदेशों को बाढ़ चक्रवात और विभिन्न आकार के भूस्खलन का सामना करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में बाढ़ वस्तुत: भीषण प्रकृति की थी। बिहार और झारखण्ड सरकार ने सूखे की घोषणा की है। उदाहरण के लिए बिहार सरकार ने आरम्भ में 28 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया और बाद में 10 और जिलों को भी सूखा प्रभावित घोषित किया। झारखण्ड ने पूरे राज्य 24 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है।

क्षति के प्रारम्भिक आकलनों के अनुसार 911 लोगों की जान गई है, 7000 पशु मारे गए, 3.55 लाख मकान पूर्णत: या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 4.55 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लगी फसल बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित हुई है। सूखा और बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को स्पष्टत: पहले हरकत में आना पड़ता है; उन्हें बचाव, राहत और पुनर्वास के कार्य करने पड़ते हैं।

केन्द्र सरकार राहत सामग्री और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर इन प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अत: जब जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल में पहले बाढ़ का प्रकोप आया और जब बिहार और झारखण्झ में सूखा पड़ा तब हमने हमेशा उन राज्यों द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं को तत्परता से पूरा किया है।

हमने सेना, एयर फोर्स, सीमा सड़क संगठन, एनडीआरएफ, जो कि एक विशेषीकृत बल है, आईटीबीपी को तैनात किया है; हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नावों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तुरंत चिकित्सक और दवाइयां भेजी हैं; दूर संचार मंत्रालय ने आपातकालीन संचार सुविधाएं स्थापित की हैं; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों को दुरूस्त करने और यातायात बहाल करने का प्रयास किया है; खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने भी बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ भेजे हैं।

मंत्रीमंडल सचिव और गृह सचिव द्वारा लगभग रोज ही स्थिति की समीक्षा की जाती है; और संबंधित मंत्रालयों, जिनका अभी मैंने उल्लेख किया, के सचिव भी राज्यों में अपने प्रतिपाष्टियों के सम्पर्क में रहते हैं।

जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं वर्ष 2005-10 के दौरान राज्यों को 21,333 करोड़ रु. की राहत धनराशि प्रदान की गई, और नए वित्त आयोग के गठन के बाद वर्ष 2010-15 के लिए अब यह 33,580 करोड़ रुपये है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए केन्द्र सरकार का अंशदान अब 90 प्रतिशत है। यह स्मरण रहे कि वित्तीय सहायता राहत के लिए दी जाती है। इसे क्षति के लिए मुआवजे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विचार तत्काल राहत बचाव और पुनर्वास उपलब्ध कराने का होता है। क्षतिपूर्ति एक अलग मुद्दा है। इसके लिए सीआरएफ और एनसीसीएफ होते हैं। राहत का प्रमुख उद्देश्य अपने आर्थिक कार्यकलाप पुन: आरम्भ करने के लिए प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना होता है। राहत का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल नि:शुल्क सहायता उपलब्ध कराना होता है।

महोदय, राहत प्रदान करने के मानक सुस्थापित मानक हैं। उत्तरोत्तर सरकारों ने मानकों में संशोधन किया है। पिछली बार हमने जुलाई 2007 में मानकों में संशोधन किया था। हम प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक बाढ़ के बाद स्पष्टत: मानकों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। पिछली बार हमने 12वें वित्त आयोग के निर्णय के बाद जुलाई 2007 में इसमें संशोधन किया था। अब 13वें वित्त आयोग के बाद हमने मानकों में संशोधन करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी है। मेरे मंत्रालय ने 27 अक्तूबर, 2009 को एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। विशेषज्ञ समूह ने सभी राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया है; उन्हें राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से सुझाव भी मिले हैं। समूह ने अपना प्रतिवेदन 30 जून 2010 को प्रस्तुत कर दिया है। हम प्रतिवेदन की जांच कर रहे हैं और प्रतिवेदन की एक बार जांच हो जाने के बाद हम वित्त मंत्रालय के परामर्श से मानकों में संशोधन के मामले को लेगें।

राहत प्रदान करने के लिए हमने हमेशा एक निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया है। हम राज्यों के दौरे के लिए टीम भेजते हैं। टीम वापस आती है और अपना प्रतिवेदन देती है। यह प्रतिवेदन एक अंतर मंत्रालीय समूह के पास जाता है और उसके बाद यह उच्च-स्तरीय समिति के पास जाता है और उच्च स्तरीय समिति प्रदान किए जाने वाले राहत के बारे में अंतिम निर्णय लेती है।

प्रत्येक राज्य को क्रमिक वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनके राहत कोष में एक निश्चित धनराशि आबंटित की जाती है।

अपराह्न 3.14 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

ये अ-व्यपगत कोष है और चाहे प्राकृतिक आपदा हो या न हो जैसे ही हमें राज्य से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होता है हम राज्यों को केन्द्र का अंशदान जारी कर देते हैं। हमने इसी पद्धति का अनुपालन किया है; इस पद्धति से कोई दुराव नहीं है।

कुछ राज्य जब वे राहत के लिए अपना अनुमान लगाते हैं तब वे मानकों के आधार पर अपना अनुमान तैयार नहीं करते हैं बल्कि मानकों से भिन्न अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए ज्ञापन भेजते हैं। केन्द्रीय टीम और आईएमजी द्वारा इसे ठीक किया जाता है और अंत में उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया है। यह अधिनियम 2005 में पारित हुआ था और 26 दिसम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उल्लेखनीय कार्य किया है, उन्होंने पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं; उन्होंने हेंडबुक प्रकाशित की है, उन्होंने सभी भाषाओं में निर्देश प्रकाशित किए हैं; उन्होंने सैंकड़ों लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है; उन्होंने राज्यों को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना में राज्य सरकारों की सहायता की है। आज आपदाओं से निपटने की हमारी क्षमता 5 वर्ष पहले से काफी बेहतर है।

महोदय, एनडीएमए पर आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करने का उत्तरदायित्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये योजनाएं जिला स्तर पर ठोस आकार लेगी तब आपदा से निपटने में जिला स्तर पर एक बेहतर प्रणाली होगी।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रत्येक बाढ़ और प्रत्येक सूखा के मामले में सरकार केन्द्रीय टीम के प्रतिवेदन की जांच अत्यंत सावधानीपूर्वक करेगी और आईएमजी प्रतिवेदन की भी सावधानीपूर्वक जांच करेगी और एचएलसी सहानुभूति पूर्वक और सहृदयतापूर्वक निर्णय लेगी ताकि सूखा और बाढ़ से प्रभावित राज्यों को पर्याप्त राहत प्रदान किया जा सके।

सभापति महोदय: क्या किसी को कोई स्पष्टीकरण चाहिए?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं और अपने हाथ खड़े करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप सब लोग क्यों खड़े हैं। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा लेकिन पहले आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए और अपने हाथ खड़े कीजिए। मैं कुछ सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): महोदय, बिहार में लगातार तीन साल से पहले बाढ़ आई, फिर सूखा आया, इस बार वहां सूखा भी है और बाढ़ भी है। बिहार की सरकार ने जब भी केन्द्र से धनराशि मांगी, हमें राशि नहीं मिली है। बिहार सरकार अपने दम पर काम कर रही है। आज वहां तबाही है।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने कितना पैसा मांगा है और आपने बिहार सरकार को कितनी मदद दी है? बिहार में बाढ़ और सूखे की वजह से जो तबाही हुई है, क्या आपने उसका कोई आकलन किया है? उस आकलन के आधार पर क्या बिहार की जनता को आप न्याय देंगे?. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया सदन की कार्यवाही में बाधा न डालें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखा और बाढ़ दोनों हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण मैं आपको बोलने का समय दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा है। इनसे पूछिए क्या किया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपने सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, यदि आप नहीं सुनेगें तब मैं अगले मद को लूंगा। मैं आपको बोलने का एक अवसर दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागीः महोदय, बुंदेलखण्ड में किसान सूखे से तबाह हो गए हैं और उत्तर प्रदेश एवं केन्द्र, दोनों सरकार चुप बैठी हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपया अपना आचरण ठीक रखें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः मुलायम सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति जी, आप सबको दो-दो मिनट का समय दे दें, सब शांत रहेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय नहीं बोल सकता है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दे रहा हूं। मैंने सदस्या का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती भावना पाटील गवली (यवतमाल-वाशिम): सभापति जी, महाराष्ट्र में बाढ़ आई, लेकिन राज्य सरकार ने उसमें कोई दखल नहीं दिया और न ही केन्द्र सरकार ने उस पर कोई ध्यान दिया, जबकि दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वहां के किसानों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए यहां से घोषणा की जाए और वह राशि तुरंत राज्य सरकार को दी जाए। इसके अलावा फसल बीमा योजना का जो पैसा राज्य सरकार को दिया है, उसने किसानों में अभी तक वितरित नहीं किया है। मेरा आरोप है कि राज्य सरकार जानबूझ कर काम नहीं कर रही है और केन्द्र सरकार भी सहायता नहीं कर रही है। मैं चाहती हूं कि वहां के किसानों को जल्द से जल्द राहत मिले और मुआवजे की रकम मिले।

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति जी, अन्य राज्यों में काफी बारिश हुई, लेकिन बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी सूखा पड़ा है। बिहार में धान की रुपाई भी नहीं हो पाई है। वहां पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहां पर 47 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और लोग सड़कों पर आ गए हैं। लोगों को दाल-भात भी खाने को नहीं मिल रही है। बाढ़ और सूखा, बिहार में पिछले पांच साल से लगातार पड़ रहा है। अगर राज्य सरकार के सहारे लोग रहेंगे तो बिहार में बड़े पैमाने पर लोग भूख से मरने वाले हैं। इसलिए केन्द्र अपने स्तर पर वहां मदद करे और उसकी मानिटरिंग भी करे। बिहार की स्थिति काफी खतरनाक हो रही है। झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बिहार से भिन्न नहीं है। बुंदेलखंड की स्थिति भी काफी खराब है। इसलिए वहां पशु के लिए चारा और कृषि विभाग से बात करके मोटे अनाज को पैदा करने का काम कराया जाए। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री जी जो इस विभाग को देख रहे हैं, वे इस पर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग तो चुनाव में व्यस्त रहेंगे। इसलिए आप बिहार और अन्य प्रदेशों की जल्द से जल्द मदद करें।

श्री घनश्याम अनुरागी: सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बुंदेलखंड में, विशेषकर रमाबाई नगर, इटावा, औरेया, फतेहपुर और अन्य कई जनपदों में पूरी तरह से भीषण सूखा पड़ा हुआ है। इस कारण वहां स्थिति अत्यंत गम्भीर हो गई है। वहां का किसान आज भुखमरी की कगार पर है, क्योंकि खेत सूखे पड़े हुए हैं। वहां पिछले पांच साल से सूखा पड़ा हुआ है। इस वजह से वहां किसानों द्वारा अपने खेतों में जो बुवाई होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण केवल प्रश्न पूछे जाने चाहिएं।

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी: वहां पर किसान और मजदूर भूखे मर रहे हैं। हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वह यह बताएं कि वहां जो सूखा पड़ा है, उसके लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं और कौन सी राहत दी जा रही है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए कितनी धनराशि की मांग की है? मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां के किसानों, मजदूरों और आम जनता के हित के लिए दवाएं, पढ़ाई और किसानों के विकास के लिए शीघ्र 30,000 करोड़ रुपए की राशि पैकेज के रूप में वहां के विकास के लिए उपलब्ध कराई जाए, जिससे वहां के लोगों का विकास हो सके और सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए स्थाई प्रबंध किए जा सकें। यह पैसा किसी अन्य मद में प्रदेश सरकार खर्च न कर सके या उसका दुरुपयोग न कर सके, इसलिए उस पैसे की मानिटरिंग केन्द्र द्वारा की जाए। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार मूर्तियों, पार्का के निर्माण पर ही किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च कर रही है। यदि केन्द्र द्वारा उक्त पैकेज नहीं दिया जाता है, तो हम समझेंगे कि केन्द्र सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों की जनता के साथ अन्याय कर रही है और गरीबों तथा किसानों के साथ हमदर्दी नहीं रखती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: प्रत्येक दल से एक व्यक्ति को बोलने की अनुमति दी जाएगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप कृपया करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी: यह विषय बहुत गंभीर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया सदन का समय नष्ट न करें। प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय नहीं बोल सकता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, इसमें कई चीजें हैं। इसमें बाढ़ और सुखाड़ और हर तरह की तबाही के सवाल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उठे हैं। सभापति जी, मैंने कई बार नोटिस दिया है, एक विवादास्पद मुद्दा यह भी है कि सेंटर और स्टेट्स रिलेशन्स जो हैं, राज्य सरकारों और भारत की सरकार के बीच में जो रिश्ते हैं, जो राज्यों का शेयर होना चाहिए, उस पर भी बहुत विवाद है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज तो बाढ़ और सुखाड़ पर होम-मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया। आपका बुंदेलखंड का मामला छूट गया है। वह ज्यादा जोर से नहीं उठ सका है, पूरे सदन ने बहस की है। मैं केवल आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि समय आज और कल का ही बचा है। यह जो सेंट्रल-स्टेट रिलेशन्स हैं इस पर बात नहीं करेंगे तो इस देश में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच में तनाव बढ़ते रहेंगे और तनाव इतनी दूर तक चले जाएंगे कि इससे समस्याएं बढ़ती रहेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप स्पीकर महोदया से कहें कि इस पर बहस कराने का काम करें।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ठेंकानाल): महोदय, मेरा केवल एक प्रश्न है जो दो भागों में है। वर्ष 2008 में उड़ीसा में बाढ़ आई थी; वर्ष 2009 में राज्य में सूखा पड़ा था और वर्ष 2010 में राज्य के कुछ भागों में सूखा है और कुछ भागों में बाढ़ है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ढेंकानाल और अंगुल में सूखे जैसी स्थिति है। इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। माननीय गृह मंत्री ने जो कहा वह बड़ा ही प्रभावोत्पादक भाषण था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें राहत का प्रावधान है। लेकिन मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहूंगा कि क्या मुआवजे का कोई प्रावधान है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से कोई दीर्घकालीक उपाय करने की योजना बना रही है ताकि जहां कहीं भी बार-बार सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है, दोनों का सामना किया जा सके। ऐसा नहीं है कि नए क्षेत्र में बाढ़ आ रही। एक ही क्षेत्र में बार-बार बाढ़ आती है। क्या भारत सरकार की ओर से उड़ीसा राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों के सहयोग से यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूखा और बाढ़ जैसी स्थिति का सामना, वो निर्धन कृषक करते हैं जिनकी इस सदन में कोई आवाज नहीं है के कहर से समय रहते बचाया जा सके इसके विपरित इस सदन में उन लोगों की आवाज है जो केवल परमाणु शास्त्रों की बात करते हैं और उनकी आवाज इस सदन में सुनी भी जाती है...*(व्यवधान)*

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): महोदय, मैं सूखा और बाढ़ के मुद्दे पर, विशेषकर मेरे राज्य उड़ीसा में, मेरे सहकर्मी श्री तथागत सत्पथी के साथ अपने आपको सम्बद्ध करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नवजोत सिंह सिद्धू (अमृतसर): सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय जी ने जवाब दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यहां वाद-विवाद नहीं हो रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्योंकि इनीसिएट मैंने किया था, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि वे बहुत ही तालीम वाले हैं। यह बात मैं पिन-पाइंटिडली कहना चाहता हूं कि ''तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नीयत में खराबी है।''

महोदय, यह बात सही है। ....*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह बात सही नहीं है।. ..*(व्यवधान)* सदन में क्या यह बात करने का तरीका है। ...*(व्यवधान)*

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): महोदय, इन्हें सिर्फ सवाल पूछने के लिए कहा गया है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह विषय प्रांतीय सरकारों का है। अगर ये नीयत की बात करते हैं, तो ये राज्य सरकार की नीयत देखें।...*(व्यवधान)* ये सदन में गलत बात कह रहे हैं।

श्री नवजोत सिंह सिद्धू: मैं बिलकुल सही कह रहा हूं। . ..*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, हर बात को यहां ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं है। यह विषय प्रांतीय सरकारों का है।

[अनुवाद]

आपके प्रत्येक बात को यहां नाटकीकरण नहीं करना है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांति लाल भूरिया: महोदय, इन्हें सदन की मर्यादा को देखना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री नवजोत सिंह सिद्धू: मैं बिलकुल सही कह रहा हूं। . ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय: आप पहले ही बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, पिछली बार वाद-विवाद समाप्त हो गया था। एक अन्य दिन भी इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि वाद-विवाद समाप्त हो गया है। वे केवल कार्यवाही में व्यवधान डालना चाहते थे *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं श्री सिद्धू को अपना प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं क्योंकि उन्होंने ही इस चर्चा का प्रस्ताव किया था

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवजोत सिंह सिद्धू: महोदय, आप मुझे बोलने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, एसटीएसी विषय पर चर्चा होनी है, फिर जीरो आवर होगा और फिर आधे घंटे की चर्चा की जानी है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, यहां ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। वाद-विवाद किसी और दिन पहले ही समाप्त किया जा चुका है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नवजोत सिंह सिद्धू: मैंने तब भी जिक्र किया था कि सरकार का खतरे को टालने का क्या प्रावधान है। हर साल लोग डूबते हैं और हर साल आप भरपाई करते हैं। आप लोग जिंदा आदमी का मोल नहीं लगाते हैं, लाशों का मोल लगाते हैं। छोटा-मोटा खर्चा करके खतरे को आने से पहले टाला जा सकता था। अगर पचास हजार मुआवजा बनता है, तो पांच हजार देकर टालमटोल करते हैं। आप खतरे को टालने का काम नहीं करते हैं।*...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। आगे चर्चा के लिए कोई समय नहीं है। माननीय मंत्री अब उत्तर दे सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: पिछले दिन मैंने विशेष रूप से घोषणा की थी कि वाद-विवाद समाप्त हो चुका है और केवल माननीय मंत्री ही जवाब देंगें *...(व्यवधान)* यह मुद्दा तो आज के लिए कार्यसूची में शामिल भी नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: केवल माननीय मंत्री के वक्तव्य को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा और इसके अतिरिक्त किसी अन्य बात के वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं। अन्यथा, मुझे दूसरे मद को लेना होगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: माननीय मंत्री अपना उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

सभापति महोदय: यदि सदस्यगण इच्छुक नहीं हैं तो, मैं कार्यसूची में शामिल दूसरे मत को लूंगा

अपराह्न 3.36 बजे

(दो) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध बढ़ रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब सभा 19 अगस्त, 2010 को श्री गोपीनाथ मुंडे द्वारा उठाए गए मद सं. 14-देश में अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति पर आगे की चर्चा ''पर कार्यवाही आरंभ करेगी।''

श्रीमती सुमित्रा महाजन।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर)**:** माननीय सभापति जी, इस विषय पर हमेशा कुछ न कुछ चर्चा होती ही है। कई मामले ऐसे होते हैं तो हम सदन में बात उठाते हैं, शोरगुल होता है और बात समाप्त हो जाती है। मैं एक-एक मामला तो नहीं उठाना चाहती हूं। इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आजादी के इतने सालों बाद कई योजनाएं चलाई जाती हैं और इनके उत्थान का प्रयास भी रहता है लेकिन कहीं न कहीं कोई गलती हो रही है। हमारे काम करने के तरीके या समझ में गलती हो रही है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी लेकिन आज हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। साधारणतया देखा जाता है कि आदिवासी पर अत्याचार होता है, वह लड़की हो या लड़का लेकिन उम्र में छोटे होते हैं, उनकी अवस्था अध खिली कली जैसी होती है। यहां जो लोग बड़ी बातें कहते हैं और नारिवादी कहलाते हैं, उनके अपने राज्य की घटना, जो कि ताजी घटना है, का मैं उदाहरण दे रही हूं।

पश्चिम बंगाल वीरभूमि में घटना होती है, 16 साल की आदिवासी लड़की के साथ घटना होती है, उसे नग्न करके तीन-चार गांवों में घुमाया जाता है। यहां कई सीपीआई के लोग ऑनर किलिंग पर बड़े लंबे भाषण दे रहे थे और उनके अपने प्रदेश में घटना होती है। मैं चिंता दूसरी बात की प्रकट कर रही हूं कि घटना होने के बाद भी दखल नहीं दिया जाता है। घटना महीना भर बाहर आने से रोकी जाती है। मीडिया में महीने या डेढ़ महीने बाद बड़ी मुश्किल से बात उजागर हो जाती है। बात उजागर होने के बाद लोग सक्रिय हो जाते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं। हमारी राष्ट्रीय मंत्री वहां उनसे मिलने गई थीं, देखने गई थीं लेकिन वहां आलम यह था कि कर्फ्यू जैसी स्थिति निर्मित कर दी गई थी। घरों में लोग नहीं थे, हो सकता है उन्हें बाहर भगा दिया गया हो। एक सम्पूर्ण दिवस पुलिस को साथ लेकर उस गांव में बात करने के लिए लोग ढूंढने पड़े, कोई बोलने तक के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद बड़ी मुश्किल से जानकारी मिलती है कि लड़की को किसी नारी निकेतन में रखा गया है। जब वे उस लड़की से मिलने जाती हैं तो उस लड़की की स्थिति घायल परिंदे जैसी होती है। 16 साल की लड़की है लेकिन 16 साल में ही दीया बुझा दिया गया। मैं घटना का उल्लेख इसलिए कर रही हूं क्योंकि यह आगे की बात है कि इससे मन में एक डर पैदा होता है, सरकार द्वारा दखल किया नहीं जाता बल्कि बात दबाने की कोशिश होती है और कोई अरैस्ट नहीं होता है। यहां बड़ी-बड़ी बातें होती हैं।

लेकिन यदि ऐसी घटनाएं होती रहें तो यहां से जो हमारी राष्ट्रीय मंत्री गई थीं और उन्होंने उस लड़की की आंखों में जो भाव देखे, वह प्रश्न पूछ रही थी कि मेरा दोष क्या है केवल किसी दूसरी जाति के लड़के से मेरा प्रेम था, यह संशय होने पर मेरी यह स्थिति हो जाती है। आप कल्पना कीजिए 16 साल की लड़की के साथ यह घटना होती है तो इसका परिणाम यह होगा कि या तो दीया बुझ जायेगा या दूसरी बात भी हो सकती है कि वह कल अग्निशिखा बनकर पूरे समाज से विद्रोह भी कर सकती है। आज सामाजिक विद्रोह की जो बातें हमारे सामने आती हैं, उसका नाम हम अलग-अलग देते हैं, उन्हें कभी नक्सलवाद कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं या कभी ऐसी लड़की दस्यु बन जाती हैं अथवा पूरा समाज कहीं खौल उठता है तो एक भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है। इस दृष्टि से इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं कोई पश्चिम बंगाल सरकार का दोष निकाल रही हूं, ऐसी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम सभी लोग केवल चर्चा करते हैं। लेकिन उस लड़की को सामने रखकर मेरे मन में एक बात आई कि ऐसी अवस्था में एक साइकोलोजिकल ट्रीटमैन्ट भी आवश्यक होता है। समाज को भी अलग तरीके से ट्रीटमैन्ट मिल रहा है। आज कुछ बाहरी तत्व यहां आकर मूल निवासी की बात उठा रहे हैं और आदिवासी लोगों को भड़काया जा रहा है। यहां एक बात यह भी होती है कि मुक्ति तत्व ज्ञान अभियान की बात फैलाकर भी इन लोगों में अलगाववाद पैदा किया जा रहा है। उसमें यदि इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं तो हिंदुस्तान की जो एकरसता है, उस एकरसता पर प्रहार होता है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि सरकारी योजनाएं बहुत सारी लागू की गई हैं। जिन पर करोडों रुपये खर्च होते हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया है, मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमैन्ट की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी। मैं अलग-अलग प्रदेशों में जाती थी और पूछती थी कि कितने करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। मुझे करोड़ रुपये तो बताये जाते थे। फिर मैं पूछती थी कि सक्सैज स्टोरी तो बताओ, कितने लोग जो बीपीएल श्रेणी में थे, जिनके लिए योजना शुरू की गई थी, ऐसे आदिवासियों या ऐसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों में से कितने लोग तुम्हारी योजना के कारण बीपीएल से ऊपर उठ गयेइसका कोई रिकार्ड नहीं है। जितने करोड़ खर्च किए गए, उस अनुपात में कितने लाभार्थी हैं और लाभार्थियों में सक्सैज स्टोरी क्या है। कोई ढंग का रिकार्ड नहीं है। करोड़ रुपये सरकार के खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह जो सामाजिक एकता की बात है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं होते। ऐसे बाहरी तत्व यहां आकर अलगाववाद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मुझे केवल इतना ही कहना है

कि हम इन घटनाओं का उल्लेख करते हैं कि कहां ज्यादती हुई, उस समय हम उनका उल्लेख कर देते हैं, उसके बाद कुछ मुआवजा दिया जाता है। कुछ लाख रुपये का मुआवजा देकर जो टूटी हुई जिंदगी है, जो टूटा हुआ व्यक्तित्व है, जो टूटा हुआ समाज है, क्या वह समाज फिर से खड़ा हो सकता है?वह टूटी हुई जिंदगी, जो मानसिक रूप से टूट जाती है, क्या वह फिर से ठीक तरीके से एक अच्छा सिटीजन बनकर खड़ी हो सकती है, यह सोचने वाली बात है और इस दृष्टिकोण से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें साइकोलोजिकल ट्रीटमैन्ट भी बहुत आवश्यक है। यह मेरा कहना है। केवल नारी निकेतन में ऐसी लड़की दो साल के लिए रही और फिर वह बाहर आई तो क्या वह और उसका परिवार उस हादसे से बाहर आ सकता है मेरा इतना ही कहना है कि केवल एट्रोसिटीज के कुछ उदाहरणों का उल्लेख करने से काम नहीं चलेगा। यह हमारे समाज का अंग है और कहीं वह सड़ न जाए, वह किसी भी तरीके से कहीं दुर्बल न हो जाए, इस दृष्टि से इस सारी बातों की तरफ यदि हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा उचित रहेगा।

श्री अशोक तंवर (सिरसा): सभापति महोदय, इस गम्भीर मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी की लगभग एक-चौथाई आबादी दलित और आदिवासियों की है। यह मुद्दा उनकी गरिमा और उनके स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, पिछले सप्ताह 20 अगस्त को इस मुद्दे पर चर्चा शुरु हई थी। कई माननीय सांसदों ने अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की। मैं समझता हूं कि दलितों पर अत्याचार की समस्या देश की समस्या है। अगर हम समय रहते इस समस्या का समाधान कर लेते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आयेंगे। आज हम सब लोग बात करते हैं कि हिन्दुस्तान 21वीं सदी का उन्नत राष्ट्र है। अगर दलितों की समस्या का समाधान नहीं होता तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। इस मुद्दे पर समय समय पर हर लोकसभा के टेन्योर में चर्चा होती रही है। दलितों पर केवल अत्याचार का एक मामला नहीं है बल्कि उन पर कई तरह के अत्याचार होते हैं। नौकरी में नौकर पर, मजदूर पर मजदूरी में, गांव या शहर हो रात-दिन हर समय कहीं न कहीं इस तरह की घटनायें पूरे हिन्दुस्तान में देखने को मिलती हैं। आज यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाओं को रोकें। हम सब अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुये पूरे हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हिन्दुस्तान का कोई ऐसा भू-भाग नहीं है, कोई ऐसी कांस्टीटुवंसी नहीं है जहां दलितों या आदिवासियों की आबादी न हो। इस देश में जहां दलितों पर आत्याचार होते हैं, उन्हें रोकने का काम हमारे प्रशासन का भी है, राज्य की अलग-अलग सरकारों का दायित्व भी है। इसमें राजनीति करने की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिये क्यों कि यह देश और समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

सभापति महोदय, मैं इस सदन का आयु में सब से छोटा अनुसूचित जाति का सदस्य हूं। जो अधिकार हमें संविधान के माध्यम से दिये गये हैं, जो अधिकार हमें कानून के माध्यम से दिये गये हैं, उनका उपयोग अनूसचित जाति एवं अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा के लिये करना चाहिये। उन कानूनों के माध्यम से हमें जो सुरक्षा दी गई है, उन पर उचित कार्यवाही होनी चाहिये। सदन में उन पर बहस होनी चाहिये। में एक कवि की कविता की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा -

'नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न-भिन्न कर डालो'
'लेकिन पंख दिये हैं तो, व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालो।'

जो व्याकुल उड़ान में दलित समाज या जो हमारे अनुसूचित जनजाति से हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वह इस देश के लिये ठीक नहीं है, समाज के लिये ठीक नहीं है। इसलिये मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि हमें इसके लिये ठोस रणनीति तैयार करनी चाहिये, एक एक्शन प्लान तैयार करना चाहिये जिससे हम कह सकें कि आजादी के इतने साल बाद हम कुछ कर पायें हैं। हमारे समाज में जाति व्यवस्था दो-तीन हजार साल पुरानी है, उस व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था को टूटने में समय लगता है। संविधान और कानून-व्यवस्था के माध्यम से हिन्दुस्तान की जो सरकारें रही हैं, चाहे किसी दल की रही हो, इस बात को लेकर हम उनका समर्थन करेंगे जिन्होंने इस बात की अपनी तरफ से पहल की। लेकिन जो मानसिकता है, उसे बदलने की जरूरत है, उसके व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। आज जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम इसे अच्छे तरीके से कर पायेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इस समस्या का बेहतर ढंग से समाधान कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया 25.06.2009 की कटिंग है जिसमें लिखा है-

[अनुवाद]

> ''दलित बच्चे विद्यालय का शौचालय उपयोग नहीं कर सकते परन्तु उन्हें वह साफ जरूर करना पड़ता है।''

[हिन्दी]

तो बच्चों से लेकर जब इस तरह के अत्याचार हैं, तो मैं समझता हूं कि जैसा आगे दिया गया है-

[अनुवाद]

''बीच में विद्यालय छोड़ने वालों की दर अधिक इसलिए है क्योंकि जातीय आधार पर भेदभाव बरता जाता है'' सर्वेक्षण के अनुसार।

[हिन्दी]

इसमें बिहार और दूसरे प्रदेशों का जिक्र आया है। मैं यहां प्रदेशों की चर्चा न करके एटीट्यूट और किस सैक्शन को यह प्रभावित करता है, उसके बारे में यहां पर चर्चा कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह मानवाधिकारों का भी हनन है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अशोक तंवरः महोदय, यह मेरा पहला भाषण है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे थोड़ा और समय दिया जाए।

सभापति महोदयः आप एक मिनट तक और बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अशोक तंवरः इसके साथ ही साथ आज यहां बाढ़ और सूखे की भी चर्चा हुई। मैं उस विषय में भी कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में फ्लड के दौरान मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया और उसके बाद जो केसेज सामने आये कि बाढ़ के दौरान जो गरीब आदमी होता है, उसकी जमीन पर कुछ पॉवरफुल लोग कब्जा कर लेते हैं। इस तरीके के जो इंसीडेंट्स हैं, मैं समझता हूं कि इलेक्टिड रिप्रजेंटेटिव भी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी, क्योंकि बाढ़ के दौरान गरीब आदमी की झोपडी बह जाती है, उसे खेत-खेलिहान छोड़कर जाना पड़ता है, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि बाढ़ के तुरन्त बाद अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, एट्रोसिटीज होती हैं, कहीं किसी की जमीन पर कब्जा होता है तो मैं समझता हूं कि हमें पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उसे छुड़वाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं अपने प्रदेश और जो अन्य प्रदेशों की भी चर्चा करना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों बृजपुर में, हमारे हिसार जिले में एक इंसीडेंट हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अशोक तंवरः महोदय, मेरा भाषण काफी लंबा है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ मेरे मोटे तौर पर सुझाव हैं, उन्हें मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

[अनुवाद]

लोगों के विचार, अभिरूधियों और व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। यह भी सोशल इंजीनियरिंग का एक भाग है, यह भी सोशल इंजीनियरिंग का एक तरीका है। डॉ. अम्बेडकर और गांधी जी ने इसकी शुरूआत की थी। गांधी जी ने लोगों के दिलो-दिमाग में परिवर्तन लाने के लिए हरिजन सेवक संघ की शुरूआत की थी और इस तथ्य को माना था कि लोगों का व्यवहार और नैतिकता में तदनुसार परिवर्तन होना चाहिए।

[हिन्दी]

पीछे यह एजेंडा बैक बर्नर पर चला गया। हमें इस एजेंडें को आगे लेकर आना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री अशोक तंवरः मैं सोशल वैलफेयर मिनिस्ट्री से गुजारिश करूंगा कि यह जो हमारा सोशल एवेयरनैस का एजेंडा है, इसे आगे लेकर आये और इसे स्टेंथेन करें। जो कस्टमरी लॉज हैं, स्टाइल ऑफ पनिशमेंट हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें चेंज करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ, वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब श्री प्रेमदास कथीरिया बोलेंगे। माननीय सदस्य, कृपया अपने भाषण को चार मिनट में ही समाप्त करें

[हिन्दी]

श्री प्रेमदास (इटावा)**:** महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर उत्पीड़न हो रहे हैं, वे पूरे देश में किसी से छिपे नहीं हैं।

हमारे अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कानून कितना भी अच्छा बनाया जाये, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो कानून सबसे खराब होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछली बार इस पर कई घंटे तक चर्चा हुई थी, लेकिन आज फिर हम लोग संक्षिप्त चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। आपने मुझे बोलने के लिए कम समय दिया है। पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर उत्पीड़न के आंकड़े सामने आये हैं और उनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब के बाद अगर किसी ने हरिजनों के उत्थान के लिए बात की है तो वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने की है। पंचायतों से लेकर जिला पंचायतों तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरपंच, अध्यक्ष, ब्लांक प्रमुख बनाने का काम, प्रधान बनाने का काम नेता जी ने किया। हमारे तमाम साथी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। सदन अपनी बात रखने का सबसे बड़ा माध्यम है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उत्पीड़न, अत्याचार, अन्याय वहां होता है, जहां गरीबी होती है, जहां अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जहां कमजोर लोग होते हैं, जहां अशिक्षा होती है। अगर इसे समाप्त करना है तो इस सरकार को शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में और गरीबी हटाने के बारे में कुछ न कुछ मजबूत प्रयास करने पड़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सदन ने इस विषय पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा। मैं कहना चाहूंगा कि लोहिया जी ने कहा था कि एक बड़ी रेखा है और एक छोटी रेखा है। अगर बड़ी रेखा को काटोगे तो लोग विरोध करेंगे, छोटी रेखा को आगे बढ़ा दोगे तो समानता आयेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गरीब को ऊपर लेकर आना है। इस देश में जितनी अमीरी और महंगाई की वजह से गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। मैं अपनी बात एक शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा -

"अगर इस वतन के किस्से सुनाने लगेंगे, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे।

अगर हम सब लोग यह भूल गए, तो इस सभा को बनाने में जमाने लगेंगे।"

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में हम यहां चर्चा कर रहे हैं लेकिन आजादी के 62 वर्ष बाद विषमतावादी समाज की विचारधाराओं के कारण ही हमारे संविधान की जो समतामूलक समाज बनाने की इच्छा है, वह आज पूरी नहीं हुई। इसके पीछे एक कारण है कि जिनको विषमतावादी समाज से लाभ है, उन्हीं के हाथ में विषमतावादी समाज से प्रताड़ित होने वाली इन जातियों के कल्याण का काम रहा। मैं बात को आगे न बढ़ाकर कहना चाहता हूं कि केवल कड़े कानून बना देने मात्र से ही हम एस.सी. और एस.टी. के अधिकारों को नहीं दे सकते और न उनके उत्पीड़न को रोक सकते हैं। इसे जन-आंदोलन बनाना होगा और जन-आंदोलन इसलिए बनाना होगा चूंकि विषमतावादी समाज की व्यवस्थाओं के कारण इन जातियों की यह गति हुई है। इसलिए इन जातियों को संपूर्ण समाज को कानून के साथ-साथ आगे बढ़कर गले लगाना होगा। जब तक इनको हम गले नहीं लगाएंगे, तब तक इनके लिए बनने वाली योजनाओं को हम आगे नहीं ले जा सकते।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि समतामूलक समाज बनाने की ओर बाबा साहब बी.आर.अंबेडकर, छत्रपति शाहूजी महाराज, स्वामी पेरियार, नारायण गुरु आदि लोगों ने एक बार कोशिश की थी। बाबा साहब बी.आर.अंबेडकर ने लंदन में इनके लिए कोशिश की थी कि हमारे ही देश में कितने दुर्भाग्य के बाद जिन लोगों ने चर्चा की थी कि हमारे देश में वोट देने का अधिकार वकील और मुख्तार को होगा, आजाद भारत में वोट देने का अधिकार केवल बड़ी खेती वालों को होगा, आजाद भारत में वोट देने का अधिकार केवल राजा-महाराजाओं को होगा, अकेले बाबा साहब बी.आर.अंबेडकर ने संपूर्ण एस.सी. और एस.टी. जातियों को वोट दिलाने और महिलाओं को वोट दिलाने का काम किया।

महोदय, पूरे देश में एस.सी. और एस.टी. की जातियों को मांगने वाला समाज बना दिया गया था। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि आज केवल उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के नेतृत्व में यह मांगने वाला समाज देने वाला समाज बना है, बाकी पूरे देश में यह मांगने वाला समाज आज भी मांगने वाला समाज ही बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। 1831 में जनगणना होती है और उस जनगणना में अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है। अंग्रेजी भाषा में वोट को हम कहीं वोट कहते हैं और कहीं पर उच्चारण में उसे भोट कहते हैं। आज भी पूरे देश में एस.सी. और एस.टी. की हजारों जातियां उच्चारण के कारण एस.सी. और एस.टी. में होते हुए भी जाति प्रमाण-पत्र के लिए तरस रही हैं। केवल उच्चारण की गलती के कारण ऐसा हो रहा है। मैं जिस राजभर समाज से आता हूं, वह राजस्थान में एस.टी. है, छत्तीसगढ़ में एस.टी. में है, मध्य प्रदेश में एस.टी. में है और अंग्रेजी में जब भर लिखेंगे तो भार लिखेंगे, महाराष्ट्र में उसको भार उच्चारित करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरह से तुरहा जाति है। जब अंग्रेजी में उसे पढ़ते हैं तो तुरया पढ़ते हैं। इसी तरह से खरवाड़ जाति है, उसको अंग्रेजी में खरवार पढ़ सकते हैं। पूरे देश में ऐसी अनेक जातियां हैं जो एस.सी. और एस.टी. में होने के बावजूद भी उच्चारणों की गलती के कारण मानी नहीं

जातीं। क्योंकि हमारी एक मानसिकता है और संविधान में जो नोटिफिकेशन है, उसमें जाति का शब्द कुछ हो सकता है, लेकिन समाज ने एक नाम दिया है। अगर हम भर हैं तो बोलचाल में उसे भरवा कहा जाता है, अगर हम पासी हैं तो बोलचाल में उसे पसिया कहा जाता है, अगर हम ब्राह्मण हैं तो बोलचाल में उसे बाभन कहा जाता है। बोलचाल के नाते इन जातियों की जो दुर्गत हो रही है, जाति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण इन सबका विकास रुका हुआ है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यदि सही मायनों में इनको आगे ले जाना है तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर भारत सरकार पूरे देश में एक शासनादेश जारी करे कि जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इन दलित एस.सी. और एस.टी. के मोहल्ले से शुरू करेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

आज केवल उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का कोटा बैकलॉग पूरा किया गया। क्यों नहीं, भारत सरकार फरमान जारी करती है कि चाहे जितने विभाग हैं, उनमें जो एससी, एसटी का कोटा बाकी है, उसे टाइमबाउण्ड प्रोग्राम करके पूरा किया जाएगा। जितनी विकास की योजनाएं बनें, वह इनकी भागीदारी से बनें। आज एडमिशन में अधिकारी 6 महीने और एक साल तक सीट खाली रखते हैं, एसटी और एससी की सीट खाली रखते हैं, ताकि उसे सामान्य बनाकर दूसरे लोगों को भर सकें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): सभापति महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आजादी के 63 वर्ष के बाद भी इस देश की सर्वोच्च पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्पीड़न के संबंध में चर्चा हो रही है, यह मेरे और देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

महोदय, जिस देश में एक चौथाई हिस्सा, एक चौथाई आबादी एससी और एसटी की रहती हो, उस देश में उसके उत्पीड़न की चर्चा इस सदन में हो, यह मुझे बहुत ही शर्मनाक लगता है।

महोदय, यह बात सही है कि आज गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के चलते दलितों की समस्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 1947 के पहले जिस स्थिति में दलित और अनुसूचित जाति के लोग थे, उसका मूल कारण गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी है। मैं जिस इलाके से आता हूं, बिहार का जमुई लोक सभा क्षेत्र, वह एक सुरक्षित क्षेत्र है। वहां नक्सलवाद भी पनप रहा है। लोग कहते हैं कि वहां उसका सैन्टर है। मैंने करीब से देखा है कि किस तरह से गरीब की हालत दयनीय है। उनको भरपेट खाना और कपड़े नहीं मिलते हैं। यदि गांव में दस-बीस घर हैं, तो विकास की दृष्टि उन तक नहीं जा पाती है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं, क्योंकि केन्द्र सरकार की यह जवाबदेही है, हर राज्य केन्द्र का अंग है, हर राज्य उनके हाथ-पांव हैं। यदि हाथ-पांव सुरक्षित नहीं होंगे तो यह शरीर किसी काम का नहीं है।

महोदय, मैं इतिहास की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि-"वह फुटपाथ पर सोया था, वह फुटपाथ पर पड़ा था, वह भूख से मरा पड़ा था और जब कफन उठाकर देखा तो उस कफन के नीचे जिंदाबाद लिखा हुआ था।"

महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं- "छेड़ने से मुख भी वाचाल हो जाता है। टूटने से शीशा भी काल हो जाता है। इस तरह दलितों को मत छेड़ो, वरना जलने से कोयला भी लाल हो जाता है।"

अपराह्न 4.04 बजे

[**डॉ. गिरिजा व्यास** *पीठासीन हुईं*]

महोदया, जिस तरह से दलित की महिलाएं ईंट-भट्टे पर काम करने आती हैं, जंगलों में वह पत्ता और महुआ चुनने आती हैं, उनका जिस प्रकार से शोषण और अन्याय होता है, उसकी कहीं सुनवायी नहीं होती है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि यदि आप दलितों का उद्धार चाहते हैं, अनुसूचित जनजाति का उद्धार चाहते हैं तो उसके लिए अलग से योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने उन दलितों का सर्वे कराया, उन दलितों में भी जिनकी हालत जरजर थी, जो निरीह थे, जो समाज से टूटा हुआ था, जो मुख्यधारा से अलग था, उनका सर्वे करा के बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नितीश कुमार ने महादलित आयोग का गठन किया है और उसी की तर्ज पर विशेष पैकेज और सुविधा देकर दलितों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री ने महादलित आयोग का गठन किया है। दलित और अनुसूचित जनजाति के उद्धार और उत्थान के लिए एक नये पैकेज का प्रावधान करें, तभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उद्धार संभव है।

सभापति महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री नारनभाई कछाड़िया** (अमरेली): महोदया सबसे पहले मैं आपको और हमारे पार्टी के मुंडे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर संसद में चर्चा उठाई है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदया आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में कुल जनसंख्या का एक चौथाई जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति का है, और यह वे लोग हैं जो वर्ष से जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे रहते आ रहे हैं। और इन्हें समाज से दूर रहने के कारण इसका समाजिक बौद्धिक एवं नैतिक ज्ञान का विकास नहीं हो पाया है।

महोदया यह एक बहुत दुख की बात है कि इन्हें एक मनुष्य होते हुए भी एक जानवर जैसी जिन्दगी जीना पड़ रहा है, और न इन्हें न अपने अधिकार के बारे में पता है और न ही अपने देश की कानून व्यवस्था के बारे में। इन्हें भी एक मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य कि जिन्दगी जीने का अधिकार है। और इसके लिए हमें इन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ना होगा।

महोदया मैं जानता हूं सरकार ने इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई हैं लेकिन यह नीतियां केवल पेपर तक ही सीमित है, और इन्हें वास्तविक रूप से देखा जाय तो इसका परिणाम कुछ नहीं आता है। मैं जानता हूं इसकी नीतियों में प्रत्येक वर्ष संशोधन होता रहता है और कुछ न कुछ लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़ते भी रहते हैं।

महोदया लेकिन यह कोई ठोस कदम नहीं है और यदि ऐसा सिलसिला चलता रहा तो देश में कभी भी इनकी संख्या में कमी नहीं आएगी और चार जुड़ेंगे तो आठ पैदा होंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। हम लोग नक्सली की बात करते हैं, नक्सली का काम कौन करता है, जब एक आम इंसान के पास कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा तो वह किसी से चोरी या तो डकैती करेगा।

महोदया, इस समस्या का स्थाई रूप से निवारण करने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है, और सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उस नीति को पेपर तक नहीं बल्कि उसे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और ऐसे लोगों को मुख्य धारा में जोडो नाम का एक सीमित अवधि तक अभियान चलाना होगा। और स्पेशल पिछड़े लोगों के लिए एक भावी रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी तभी इस समस्या का अंत हो सकता है।

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरू): महोदया दलितों के खिलाफ होने वाले मामलों में कमी नहीं आ रही है। दलितों को निशाना बनाए जाने के मामले में कोई भी राज्य पीछे नहीं है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि दलितों के खिलाफ अपराधिक मामले उन राज्यों में बढ़ रहे हैं जहां सत्ता में दलितों की अच्छी खासी भागीदारी है जो सरकार दलित के नाम पर बनी है राज्य की मुख्यमंत्री दलित है मुख्यमंत्री खुद दलित कह कर वोट मांगती है लेकिन उनके राज्य में दलितों के खिलाफ सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं और ऐसे मामले साल दर साल बढ़ते ही जाते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दलितों की हिस्सेदारी 21 फीसदी है इनकी बड़ी आबादी का वोट बैंक के तौर पर कुछ पार्टियां इस्तेमाल करना चाहती हैं लेकिन उनके हक और हित की चिंता इन दलों को नहीं है।

दलितों के खिलाफ जितने मामले दर्ज होते हैं उससे कई गुना ज्यादा मामले वास्तविकता में होते हैं जो दर्ज नहीं होते हैं दरअसल दलितों को निशाना बनाए जाने के पीछे समाज की सदियों से पुरानी मानसिकता काफी हद तक जिम्मेदार है। इसी मानसिकता का नतीजा है कि दलितों के खिलाफ अपराधिक मामलों को अंजाम दिया जाता है। खास बात यह है कि यह आंकड़े सरकार की निगाह में होने के बावजूद स्थिति बदलने में कुछ खास नहीं किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चौका देने वाले कुछ आंकड़ों और निष्कर्ष के साथ एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि भारत में दलित और खासकर दलित महिलाओं को पूरी तरह से हाशिये पर धकेल दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर 18वें मिनट कोई न कोई दलित अत्याचार का शिकार होता है।

दलित अपराध में दूसरा नम्बर आंध्र प्रदेश का है। राजस्थान भी दलित अपराध में पीछे नहीं है। राजस्थान तीसरे स्थान पर है। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा चार ऐसे अधिकारियों को दंडित करने व कर्त्तव्य में लापरवाही के लिए जेल भेजने की अनुशंसा करती है। इन प्रकरणों की जांच डी.एस. पी. कैडर का अधिकारी करता है। कुछ मामलों में एस.सी., एस. टी. के अधिकारी होने के बाद भी राजनैतिक दबाव, लालचवश इन मामलों को खत्म कर दिया जाता है। कई मामलों में निर्दोष लोगों को भी फंसाने का काम किया जाता है। यह अधिकारी का धर्म और कर्त्तव्य है कि अत्याचार करने वाले को बचाए नहीं। निर्दोष को फंसाए नहीं लेकिन यह हो रहा है।

सरकार को इस मामले में सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए।

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और सदन में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। आजादी के 63 साल बाद भी आज यही बात हो रही है। मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारे बहुत कम सांसद होंगे, जो दलित समाज एवं पिछड़ी जाति के होंगे। हर राज्य में यह समस्या उठ रही है। एक जमाना था, जब हम पेपर में पढ़ते थे और आज हम टी.वी. पर देख रहे हैं। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि इन राज्यों में ये घटनाएं हो रही हैं। वहां सत्ता पक्ष किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरी विनती है। मुझे लगता है

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जहां अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोग न रहते हों।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये हम सब की और समाज की जिम्मेदारी है, पता नहीं हम कितने दिन तक सदन में रहने वाले हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि हर वर्ग के पिछड़ी जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सिर्फ अत्याचार हो नहीं रहे, बल्कि बढ़ रहे हैं। समाज के कुछ ऐसे बलशाली लोग हैं, जो इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में सही पहल होनी चाहिए और ये अत्याचार कम हों, इसके लिए हमें ऐसी चीज को सामने लाना चाहिए, मैं आगे के पचास-सौ साल की बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सीधा इस विषय पर आता हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर बढ़ते हुए अत्याचार और अनाचार पर नियम 193 के तहत जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं, मैं चाहूंगा कि सरकार भी उन पर अवश्य विचार करे।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार होते हैं, वे कई विषयों से संबंधित हैं। पहला मैं सबसे बड़ा समझता हूं कि स्वाभिमान से संबंधित है। स्वाभिमान से संबंधित जो घटनाएं होती हैं-जैसे दूल्हे को घोड़ी से उतार लिया, इस तरह की दुर्घटनाएं स्वाभिमान से संबंधित होती हैं। सामाजिक समानता से संबंधित भी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं-जैसे मंदिर में प्रवेश की घटना, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, रोक दिया, ये समाजिक समानता से संबंधित हैं। इस देश में कुछ माइंड सेट से संबंधित घटनाएं होती हैं-जैसे मिड-डे-मील में खाना बना और उसे किसी ने नहीं खाया। शादी समारोह में गए और वहां खाना नहीं खाया, ये माइंड सेट से संबंधित घटनाएं हैं। कुछ अत्याचार से संबंधित घटनाएं हैं-जैसे अभी हरियाणा में मिर्चपुर की घटना हुई, अन्य भी कई जगह घटना होती है, ये अत्याचार से संबंधित घटनाएं हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आजादी के 63 वर्ष बाद भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ये घटनाएं रुकती क्यों नहीं हैं मैं सरकार को इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं, जैसे अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने एक सूत्र दिया था कि हमें राजनीतिक आजादी मिल गई है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, तब तक राजनीतिक आजादी अधूरी रहेगी, हमें इस विषय पर सदन में ज्यादा विचार करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है और अपराधों में बढ़ोतरी का जो बड़ा कारण गैर-बराबरी है, केवल कानून के सहारे यह संभव नहीं है। अत्याचारों का निस्तारण शीघ्र हो, न्यायालयों में पृथक से समरी ट्रायल हो, बर्डन ऑफ प्रूफ दलित पर न होकर सामने वाली पार्टी पर हो, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी ऐसा संशोधन होना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है।

सभापति महोदया, मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि जिस जिले में घटनाएं होती हैं, उस जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एस.पी. है, वह भी रेस्पोंसिबल होने चाहिए। आज ज्यादातर जब ये घटनाएं होती हैं तो एसडीएम, तहसीलदार या किसी डीएसपी को सस्पैंड कर देते हैं और बड़े अधिकारी इसमें बच जाते हैं। ये जो बचने की प्रवृति है, इस पर रोक लगनी चाहिए।

किसी जिले में जिंदा जलाने, घोड़े से दूल्हे को उतारने की घटना, बलात्कार की घटना, और साथ में मौत की घटना होने पर एस.पी. और जिला कलैक्टर को दोषी ठहराया जाना चाहिए, ऐसा इसमें मेरा मानना है।

दूसरा, मैं यह कह रहा हूं कि जनसंख्या के अनुपात में जे. डी.ए., डी.डी.ए., हाऊसिंग बोर्ड, यू.आई.टी., म्यूनिसिपैलिटी और कितने भी बोर्ड हों, उनमें दुकानों और मकानों का आबंटन जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के साथ होना चाहिए। अभी उसमें वह नहीं है, जबकि वह जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। सेना, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, राज्य सभा, विधान परिषद् और प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान में 85वें संशोधन तो हमने कर दिया और रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया। जब एन.डी.ए. की गवर्नमेंट थी तो संविधान में संशोधन हुआ और 16(4)(ए) अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया, लेकिन इसमें फिर भी न्यायालयों के निर्णयों के कारण और पूरी व्याख्या नहीं होने के कारण वह लागू नहीं हो रहा है।

मैं राजस्थान से आता हूं। अभी हमारे यहां पर ग्रुप बी, डी और ग्रुप ए में भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि एक एम.नागराज का केस 19.6.2006 को आया है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है। उसमें उन्होंने तीन चीजें बताई हैं। पहला-सोशल बैकवर्डनैस तय करो। अगर आप प्रमोशन इन रिजर्वेशन लागू करना चाहते हो तो सबसे पहले सोशल बैकवर्डनैस तय करो। दूसरा-उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति

का एडीक्वेट रिप्रेजेण्टेशन है या नहीं, यह तय करो। तीसरा-उन्होंने बताया कि इन लोगों में इनएफीसिएंसी होती है, इसलिए इसको कैसे ठीक करोगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में एक नेशनल कमीशन बनाने का प्रावधान है और उसकी हर साल रिपोर्ट प्रस्तुत होती है तो सोशल बैकवर्डनैस तय करने में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सोशल वैकवर्डनैस तो तय हो ही जाती है और यह सब जानते हैं कि एस.सी. और एस.टी. सोशली बैकवर्ड हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देने की कहां जरूरत है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि एडीक्वेट रिप्रेजेण्टेशन है या नहीं है, इस संसद में कई बार इस पर चर्चा हुई है और कई बार लोगों ने कहा है कि एस.सी. और एस.टी. का जो रिजर्वेशन है, वह परसेंटेज नहीं भरा गया है। यह सब को पता है। एस.सी. एस.टी. कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, उसमें भी यह है तो फिर यह नया नियम उन्होंने कहां से लागू कर दिया कि एडीक्वेट रिप्रेजेण्टेशन है कि नहीं, यह पता करो। तीसरा उन्होंने कह दिया कि इनएफीसिएंसी है, मैं कहना चाहता हूं कि इनएफीसिएंसी का आधार उन्होंने खाली ए.सी.आर. से लिया। मेरा यह मानना है कि अनुसूचित जाति के कर्मचारी की और अधिकारी की ए.सी. आर. भरते समय पता नहीं क्या कारण होता है कि कभी ए.सी. आर. अच्छी भरी ही नहीं जाती है। जब ए.सी.आर. अच्छी नहीं भरी जाती है तो कैसे कह सकते हो कि वह कैपेबल नहीं है, इसलिए यह आधार भी ठीक नहीं है। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि और एट्रोसिटीज तो हो ही रही हैं, लेकिन इस सिस्टम में ज्यूडीशियल एट्रोसिटी भी हो रही है। उस ज्यूडीशियल एट्रोसिटी को ठीक करना बहुत जरूरी है। 16(4)(ए) में रिजर्वेशन इन प्रमोशन इसी सदन ने लागू किया, फिर भी अभी तक वह लागू नहीं है। अलग-अलग न्यायालय अलग-अलग निर्णय दे रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

मैं अगला बिन्दु आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जैसे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की सर्विसेज होती हैं, इनके लिए ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस गठित क्यों नहीं हो रही है। लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन वह गठित इसलिए नहीं होती, क्योंकि जैसे ही इंडियन ज्यूडीशियल सर्विस बनेगी, एस.सी. एस.टी. का रिजर्वेशन होगा। ज्यूडीशियरी के लोग नहीं चाहते कि ज्यूडीशियरी में एस.सी. एस.टी. के लोग आयें, इसलिए यह अब बहुत जरूरी है कि ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस गठित होनी चाहिए।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि एस.सी. एस.टी. की जो वैलफेयर एसोसिएशन हैं, जैसे रेलवे में है, बैंकों में हैं, उनको ट्रेड यूनियन जैसी सुविधाएं नहीं दी जातीं। वे भी एसोसिएशन हैं, एस. सी. एस.टी. के वैलफेयर के लिए हैं। ट्रेड यूनियनों को ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं तो यह विभेद भी बन्द होना चाहिए।

सभापति महोदयाः कृपया कन्क्लूड करिये।

श्री अर्जुन राम मेघवालः मैं दो मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं।

दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि एस.ई.पी. और टी.एस.पी. के लिए प्लानिंग कमीशन ने हैड तय कर रखे हैं। एस.ई.पी. के लिए 789 और टी.एस.पी. के लिए 796, लेकिन प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइंस को माना नहीं जाता है और इन योजनाओं का जो धन दिया जाता है, वह डाइवर्ट हो जाता है तो इस डाइवर्शन की प्रवृत्ति पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

चौथे मैं कहना चाहता हूं कि जो रेवेन्यू लॉज हैं, उनमें भी आवश्यक एमेंडमेंट हो। कटानी के रास्ते के विवाद, जमीन पर अतिक्रमण के विवाद अधिक होते हैं और रैगुलर कोर्ट के पास मामले अधिक होने के कारण वर्ष तक सुनवाई और न्याय नहीं होते हैं, अतः रेवेन्यू प्रकरणों में भी स्पेशल कोर्ट हों। रेवेन्यू प्रकरणों में सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित होते हैं, वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं।

शिक्षा के अवसरों में भी विभेदीकरण है, इसलिए एस.सी. एस. टी. के लिए पूर्ण शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट हो। यह केवल सरकारी स्कूलों तक ही सीमित नहीं हो, अपितु जो स्टैण्डर्ड के स्कूल हैं, उनमें भी यह प्रावधान होना चाहिए।

आज एक परंपरा कोचिंग की बन गयी है। मैं राजस्थान से आता हूं। कोटा में बंसल कालेज है और और भी दूसरे बड़े-बड़े कालेजेज हैं। वहां एससी, एसटी का विद्यार्थी एडमीशन ही नहीं ले सकता, क्योंकि वहां 2-3 लाख रुपये फीस है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज कोचिंग की परंपरा बढ़ रही है। कोचिंग संस्थानों में अत्यधिक फीस होने कारण एससी, एसटी के लड़के-लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। अतः कोचिंग संस्थानों की फीस की भी रिंहर्समेंट की व्यवस्था होनी चाहिए।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें संशोधित हों। अभी क्या हो रहा है? जिसकी एक लाख या डेढ़ लाख रुपये की वार्षिक आय है, उस मां-बाप का बच्चा छात्रवृत्ति की श्रेणी में नहीं आता है। इसका मतलब है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बच्चा छात्रवृत्ति नहीं ले सकता है। आपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति की दरें बहुत पुरानी हैं, इसमें तुरंत संशोधन होना चाहिए। यह डिमांड काफी समय से है।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि खाप पंचायत के निर्णय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरोध में आते हैं, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए। इस देश में बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन जब हमने एक प्रश्न पूछा तो उसका जवाब आया कि किसी भी बैंक में 15 डायरेक्टर होते हैं, लेकिन आज किसी भी बैंक में एससी, एसटी और ओबीसी का एक भी डायरेक्टर नहीं है। यह कैसा सिस्टम है? उनकी इतनी बड़ी जनसंख्या और किसी भी बैंक में कोई डायरेक्टर क्यों नहीं है। गवर्नमेंट एडवोकेट जो पैनल पर लगते हैं,...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री जगदम्बिका पाल जी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: वे लगभग बीस हजार होते हैं। इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। हमारे देश की 16.2 पर्सेंट अनुसूचित जाति की आबादी है और 8 प्रतिशत एसटी की आबादी है। लगभग 25 प्रतिशत इस देश की जनसंख्या में जिसकी हिस्सेदारी और भागीदारी है, उस पर बढ़ते हुए अत्याचारों के प्रति चिंता इस सदन में व्यक्त की जा रही है और मैं भी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं। यह बात निश्चित तौर से मन को बहुत दुख पहुंचा रही है कि जहां हम दुनिया की प्रतिस्पर्धा में हम खड़े हैं, दुनिया के दूसरे देशों के विकास के साथ, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के साथ हम अपनी तुलना कर रहे हैं। वहीं आज आजादी के 63 वर्ष के बाद भी एक ऐसा समाज नहीं पाए हैं जिस समाज में किसी जाति के आधार पर कोई अत्याचार या अन्याय न हो रहा हो, कोई जुल्म न हो रहा हो और इस नाते उसका गुनाह हो कि वह किसी अमुक जाति में पैदा हुआ है, किसी ऐसी मां की कोख से पैदा हुआ है जिसके नाते वह समाज का एक नागरिक होने के बाद, इस समाज के मुस्तकबिल के बनाने में बराबर की भागीदारी के बावजूद भी आज उसके साथ पक्षपात और अन्याय न हो रहा हो। आज हमें इस सदन में केवल अत्याचार पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस सदन में केवल हमें घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए, बल्कि आज इस सर्वोच्च सदन को जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम आने वाले समय में भारत में ऐसा समाज बनाने का कार्य करेंगे कि इस तरह की बात आगे हमें इस सदन में उस समाज की चर्चा भी न करनी पड़े कि हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचार की घटनाओं पर चर्चा इस सभ्य समाज में करें? उनकी बराबर की भागीदारी हो। शिक्षा के क्षेत्र में मेघवाल जी ने कहा और पी. एल. पुनिया जी ने बहुत विस्तार से पूना पैक्ट की बात कही। उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने जो देखा था कि समाज में अगर हम समरसता पैदा करना चाहें, समन्वय स्थापित पैदा करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर जो गैर बराबरी के लोग हैं, हैव या हैव नॉट्स में जो अंतर है, अगर उस खाई को हम पाटने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से एक नया समाज बनेगा और एक नया सवेरा होगा और देश के लोगों और दुनिया के सामने हम आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या आज भी हमारा एक समाज ऐसा है? जब प्रधानमंत्री जी भी चिंता करें कि आज भी एसटी एससी पर अत्याचार हो रहा है, उसमें केवल तीस पर्सेंट लोगों को ही सजा मिल रही है, क्या हम ऐसा कोई मैकेनिजम नहीं बना सकते कि अगर एससी, एसटी पर कोई लोग नस्ल के आधार पर या जाति के आधार पर अत्याचार कर रहे हों, तो उनको सजा दिलाने के लिए जो कानून है, उसको इफेक्टिव ढंग से लागू करके उनको सजा दिलायी जा सके जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो? भारत के प्रधानमंत्री चिंता करें कि क्या हम इनको विकास की प्रक्रिया में इस देश के सभी राज्यों में बराबर की भागीदारी नहीं दे सकते हैं कि एससी, एसटी के लोग भी बराबर की भगीदारी करेंगे? उन्होंने इस बात को कहा और मैं कहता हूं कि आज भी भारत के समाज का सही चित्रण क्या है? आज भी हर 18वें मिनट में एक दलित पर अत्याचार हो रहा है। आज भी देश के तमाम राज्यों में 33 पर्सेंट गांव ऐसे हैं, जहां दलित के घर पर कोई स्वास्थ्यकर्मी जाता है, तो वह किसी दूसरे समाज के घर पर बैठ जाएगा।

वह उसके घर टीका, वैक्सीन या इमुनाइजेशन करने नहीं जाएगा, बल्कि दूसरी जाति के किसी व्यक्ति के घर में बैठ जाएगा। हम कब इस समाज को बदलेंगे? जो हमारे लोक सेवक हैं, जो कर्मचारी हैं जिनका यह दायित्व है कि अगर वे बच्चों का टीकाकरण कर रहे हैं, तो जातियों के आधार पर टीकाकरण नहीं करेंगे। आप गांव की वास्तविक स्थिति देखने के लिए गांव जाएं और देखें। शायद अनुसूचित जाति के लोगों के घर स्वास्थ्य कर्मी जाने से मना करता है। आज स्थिति यह है कि सरकारी स्कूलों में 38 प्रतिशत दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में हमारी एक बहन दलित मुख्य मंत्री हैं। हम सबको अपेक्षा हुई थी, बड़ी उम्मीद बढ़ी थी कि हमारी एक दलित बहन अगर मुख्य मंत्री बन रही हैं तो निसन्देह उत्तर प्रदेश में दलित लोगों पर अत्याचार कम होगा या हमारी जो घटनाएं बढ़ रही हैं, वह रुकेंगीं। लेकिन पिछले दिनों एक आदेश निकला, हमने स्वागत किया कि उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल्स में मिड डे मील को बनाने के लिए दलित रसोइये रखे जाएंगे। दलित रसोइए रखे गए और वह कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया। हमारी बहन ने दलित मुख्य मंत्री होने के बावजूद पूरे प्रदेश से उस आदेश को वापिस ले लिया और आज उत्तर प्रदेश में..

.*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम एक तरफ बराबरी की बात करें, एक तरफ विकास की भागीदारी की प्रक्रिया में शामिल करें।...*(व्यवधान)* मैं यहां खड़ा हूं और कहना चाहता हूं कि यह जुल्मों का सिलसिला कब थमेगा। यह हमारे आंकड़े नहीं हैं, यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े हैं। वर्ष 2007 में 6,628 आपराधिक घटनाएं एससी, एसटी के अगेन्स्ट हुई थीं जो 2008 में बढ़ गयीं। हमारे सब साथी आ गए।. ..*(व्यवधान)* मैं यूपी के बारे में बता रहा हूं।...*(व्यवधान)* यूपी में वर्ष 2007 में 6,144 हुआ।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया शान्त रहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप कनक्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कम से कम हमारे बहुत से ऐसे साथी आ गए जिनके मन में चिन्ता है, लेकिन वे अपने को कहीं असहाय पाते हैं कि आज दलितों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं या दलितों पर अत्याचार रुकने की बात है, आखिर वे क्यों नहीं रुक रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। वहां वर्ष 2006 में...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: माननीय सदस्य महोदय, आप प्लीज कनक्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: मैं राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े रख रहा हूं, कोई अतिरंजित आंकड़े नहीं रख रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप उनकी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे, तब वे भी सुन रहे थे।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: मै अपने आंकड़े नहीं रख रहा हूं। मेरे साथियों को बोलने का मौका मिलेगा। वे मेरे आंकड़े नोट कर लें। अगर मैं गलत हूं तो वे उन आंकड़ों को संशोधित कर देंगे। मैं उन्हें कबूल कर लूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अब आप कनक्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: मैं एक-दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

वर्ष 2006 में 229 दलित महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में रेप हुआ। 2007 में 318 दलित महिलाओं के साथ रेप हुआ। 2008 में 375 दलित महिलाओं के साथ रेप हुआ। एक सभ्य समाज में रेप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था इनकी पार्टी के हाथों में हैं। इसके बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: (गौतम बुद्ध नगर): हरियाणा में देखिए, क्या हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)* आज हमने एससी, एसटी का जो प्रिवैंशन ऑफ एट्रॉसिटीज कानून है...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह: (हमीरपुर): रेप की बात मत कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जगदम्बिका पाल: आप उत्तरदायी हैं। मैं नहीं जानता कि यह किसने किया है। परंतु यदि आप सरकार में है तो आप उत्तरदायी हैं। आपको बताना होगा कि यह सब क्यों किया गया। अपकी जवाबदेही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। हम शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स के ऊपर हो रही एट्रॉसिटीज के बारे में डिसकस कर रहे हैं। मेहरहानी करके इसे मजाक का विषय मत बनाइए।

जगदम्बिका पाल जी, अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप कनक्लूड कीजिए, प्लीज।

....*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

आज विश्व की सामाजिक स्थिति की जो रिपोर्ट है। ...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। ...*(व्यवधान)* गोरखजी, आप बैठ जाइये। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। ...*(व्यवधान)* आज विश्व सामाजिक स्थिति की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार एक हजार दलित बच्चों पर 83 बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं।...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट और लूंगा। ...*(व्यवधान)* एक हजार जो दलित बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 83 बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं। ...*(व्यवधान)* एक हजार बच्चे ऐसे हैं, जिनमें से 119 बच्चों की मौत पांच साल में हो जाती है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: माननीय सदस्य महोदय, अब आप कन्कलूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: जगदम्बिका पाल जी, आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आज एक हजार बच्चों में 119 बच्चों की मौत पांच साल में हो जाती है। एक हजार बच्चों में 83 बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं। इसमें 42 परसेंट ऐसे बच्चे हैं, जिनको न्युट्रिशियन नहीं मिल रहा है। हमें इस बात की चिन्ता करनी चाहिए, जिसमें कोई दलगत भावना नहीं है। चाहे हम इस दल में बैठे हों, उस दल में बैठे हों या कहीं भी बैठे हों। आज अगर हमें देश की विकास की प्रक्रिया में बराबर भागीदार बनना है, तो जो कानून है, उस कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अब श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार की बात ही रिकार्ड में जायेगी।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

***श्री प्रशांत कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): माननीय सभापति महोदया, हमारे देश में अ.जा./अ.ज.जा., पिछड़े समुदायों के सदस्यों और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह तथ्य है कि देश मुख्यत: अमीरों सम्पन्न व्यक्तियों जिनका सभी संसाधनों पर नियंत्रण होता है द्वारा शासित है और प्रशासन में ऐसे लोगों की संख्या न के बराबर है जिनके पास संसाधनों का अभाव है। नगरों और गांवों में पुलिस अधिकारी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। जिला एसपी के उत्तरदायित्व तय नहीं है और इसी कारण से कुछ भी नहीं हो पा रहा है सत्तासीन सरकार को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए।

भारत के संविधान में अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि इन दुर्भाग्यशाली गरीब लोगों को इनका हक मिले। मैं ऐसे असंख्य उदाहरणों को उद्धत कर सकता हूं जिनके द्वारा यह सिद्ध हो सके कि पिछड़े वर्ग के लोग हर मामले में पिछड़ रहे हैं। वर्ष 2009-10 में भारत सरकार के जनजातीय विभाग को जनजातीय निधि हेतु 3220 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। परन्तु अब तक केवल 1616 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसका आशय यह है कि अभी तक तकरीबन 50% धनराशि खर्च नहीं हो पायी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जनजातीय व्यक्तियों के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग छठे वेतन आयोग की दूसरी किश्त का भुगतान करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए इसका लाभ किसने उठाया? समाज के उच्च वर्ग ने जो वेतनभोगी हैं सार्थक ढंग से नियोजित हैं; उन्हें लोगों ने इसका लाभ उठाया है। यह धनराशि समाज के करीब लोगों के उत्थान, विकास और प्रगति के लिए नियत की गयी थी इस धनराशि से बहुत कुछ किया जा सकता था। परन्तु वे लाभों से वंचित ही रह गए जिनके लिए धनराशि निर्धारित की गयी थी। यही नहीं, अपितु नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है परन्तु वास्तव में जनजातीय व्यक्तियों की कहीं भर्ती नहीं हो पायी। कारण है कि यह भ्रांति फैली हुई है कि अ.ज./अ.ज.जा., पिछड़े वर्गों के लोग कम शिक्षित होते हैं।

यह बिल्कुल गलत है। हमें स्वतंत्र हुए 63 वर्ष बीत गए हैं। क्या हम इन लोगों को समूह 'घ' सेवाओं में भी नौकरी नहीं दे सकते हैं? सच्चाई कुछ और है। भर्ती संबंधी विज्ञापन इस तरह प्रकाशित किए जाते हैं कि वंचित लोग वास्तव में ऐसे भर्ती अभियानों के बारे में जान ही नहीं पाते हैं। दूसरी ओर, समाज

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के सम्पन्न वर्गों के लोग जाली जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर साक्षात्कारों में उपस्थित होकर सभी नौकरियां हड़प कर जाते हैं। साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य भी अधिकांशत: अमीर व्यक्ति होते हैं जो संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। महोदय, कृपया आप उचित जांच आयोग गठित करें जिससे सच्चाई का पता लगे और आपको प्रशासन में व्याप्त कदाचार का पता चल सके।

शैक्षणिक परिदृश्य में, बड़ी अनियमितताएं गयी हैं। यदि आरक्षण नीति गंभीरता से लागू की जाए तो निजी संस्थाओं को कैपिटेशन शुल्क के नाम पर मिलने वाले लाखों रुपए से वंचित होना पड़ेगा। यही स्थिति सरकारी क्षेत्र में भी है। लगभग सभी राज्यों में अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय के लोग अपने हक से वंचित हैं। कहीं भी आरक्षण नीति को पिछड़े समुदायों के नाम के लिए लागू नहीं किया गया है। इनके उत्थान के लिए आबंटित धनराशि को सदैव अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग में लाया जाता है और अधिकांश निधियां जिला प्रशासन द्वारा हड़प कर ली जाती हैं। हर बार जांच की मांग की जाती है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

मेरे बालूरघाट संसदीय क्षेत्र में बालूरघाट पुलिस स्टेशन के निकट एक बड़ा विद्यालय है लेकिन वहां भी जनजातीय लोगों को आबंटित धनराशि उन्हें नहीं दी जाती है। धनराशि को बेईमानी से दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है।

इतना ही नहीं, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन निवासियों, जनजातीय लोगों को भूमि विलेख दिए जाने थे। किन्तु आज तक यह कार्य नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त, विकास और प्रगति के नाम पर इन लोगों का विस्थापन किया जाता है और उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता है। सिंचाई के उद्देश्य से कई एकड़ वन भूमि को मूल वन निवासियों से छीन लिया जाता है। यह सरासर अन्याय है। देश के बहुमूल्य कोयला और मैंगनीज भंडारों को भी बड़े उद्यमियों को दिया जा रहा है और वास्तविक स्वामियों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार, देश को भारी राजस्व हानि हो रही है।

माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों के राष्ट्रीयकण का बीड़ा उठाया था। किन्तु जनजातीय लोगों को उनकी जरूरत के समय बैंक ऋण नहीं मिलता है। बैंकिंग सेवाएं पिछड़े समाज की पहुंच से अब भी दूर है। भूमि सुधार अधिनियम का अभी कार्यान्वयन नहीं किया गया है। लोगों को अपनी भूमि का अधिकार अभी नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया है और हजारों भूमिहीन कामगारों, गरीबों, अ. जा./अ.ज.जा. के लोगों को इससे लाभ हुआ है। किन्तु अन्य राज्यों में यह स्थिति बड़ी गंभीर है।

मध्याह्न भोजन योजना भी कई विवादों से घिरी है। यदि पिछड़े समुदायों की महिलाएं भोजन बनाती हैं तो विद्यालय के समृद्ध छात्र उस भोजन को खाने से मना कर देते हैं और इस प्रकार उन महिलाओं के मध्याह्न भोजन बनाने की अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिम्मेदारी तय किए जाने के साथ-साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को अ.जा./अ.ज.जा. और पिछड़े समुदायों के लोगों के प्रति अत्याचार विरुद्ध अभियान चलाने के लिए वामदलों को आगे आना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मधु कोड़ा (सिंहभूम): महोदया, आज सदन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में काफी गंभीरता से विचार हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग ऐसे वर्ग से आते हैं जो सभी दृष्टिकोण से पीछे हैं, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो। हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने उस तबके के लोगों के लिए जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी ओर से कोई बोलने वाला नहीं है, संविधान में विशेष प्रावधान किया है। उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रावधान किया। जिस घर में कोई बच्चा अगर थोड़ा कमजोर होता है, निर्बल होता है, तो परिवार का मुखिया, चाहे माता हो या पिता, उस बच्चे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देता है। वैसे ही इस देश में शुरुआती दौर से ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्ग के लोग, जो सुदूर जंगल क्षेत्र में, पहाड़-पर्वत क्षेत्र में निवास करते हैं जहां जीने के लिए, पेट भरने के लिए आस-पास मिलने वाले थोड़े-बहुत साधन होते हैं, उन्हीं से अपना भरण-पोषण करते हैं।

सभापति महोदया, उन आदिवासियों के लिए संविधान में अधिकार के रूप में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे उन्हें आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विकास तब ही सम्भव है, जब हम उनके विकास और संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों को, जो हमें संविधान में अधिकार दिया है, उनकी पालना सही ढंग से कराएं और उन्हें लागू करने वाले तंत्र को दुरुस्त करें।

मैं देख रहा हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गा के सामाजिक विकास की बात तो सब करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। इन वर्गा का सामाजिक और आर्थिक विकास क्यों नहीं हो पाया है, हमें सबसे पहले इसके कारणों पर जाना होगा। मैं केन्द्र सरकार से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अपने अधिकारों के लिए बरसों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अगर एक राज्य में किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग सूचीबद्ध हैं तो दूसरे राज्य में उन्हें उसकी मान्यता नहीं मिलती है।

मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। झारखंड से कोई 100 वर्ष पहले अंग्रेजी शासक हमारी कई अनुसूचित भाई-बहनों को असम में चाय बागानों में काम करने के लिए ले गए थे। उनकी पहचान को लेकर पिछले दिनों असम में घटना घटी, जो कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई है। यहां पर गृह राज्य मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस विषय को गम्भीरता से लें। वैस्ट बंगाल में झारखंड के अनुसूचति जनजाति के लोगों को उस श्रेणी में मान्यता नहीं मिलती है। इसी तरह उड़ीसा में भी उन्हें मान्यता नहीं दी जा रही है। वहां पर अलग-अलग जाति और उप जाति के नाम देकर उन्हें माइनोरिटी में लाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह काफी ज्वलंत विषय है इसलिए मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि वह इस पर विशेष रूप से ध्यान दे। विकास के लिए फिफ्थ और सिक्स्थ शिड्यूल क्षेत्रों में जो राशि इन वर्गा के लिए यहां से दी जाती है, उसे सही तरीके से खर्च करने की व्यवस्था की जाए।

मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदया, अनूसूचित जाति और जनजाति पर देश में हो रहे अत्याचारों के विषय पर सदन में हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे अध्ययन और जानकारी के मुताबिक देश की आजादी के 63 साल के बाद भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार और उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। वह अत्याचार और उत्पीड़न आज का ही नहीं है, वह अत्याचार और उत्पीड़न हजारों साल से चला आ रहा है। आजादी के बाद भी, वह अत्याचार और उत्पीड़न आज भी चल रहा है। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है लेकिन चलता रहता है। जिस जिले, जिस प्रदेश के जनजाति आदिवासी, शैड्यूल्ड कास्ट्स लोग, थोड़ी सी अपनी हिम्मत को दिखा पाए, उस जगह अत्याचार कम हुआ लेकिन जहां के लोग हिम्मत नहीं दिखा पाए, वहां ज्यादा होता है। मैं कुछ सुझाव इस सदन में रखना चाहता हूं।

आज यहां माननीया सोनिया जी तथा ट्राइबल्स अफैयर्स के माननीय मंत्री भी मौजूद हैं, इसलिए मैं यहां अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं यहां, एक बार डा. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराना चाहूंगा। उन्होंने एक बड़ा ओजपूर्ण वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था, ''राजनीतिक शक्ति एक मुख्य कुंजी है जिसके द्वारा किसी भी ताले को खोला जा सकता है चाहे वह बड़े या छोटे हम इस महान भारत देश के जनजातीय और अनुसूचित जाति के लोग एक ऐसे कमरे और एक ऐसे डिब्बे में बंद कर दिए गए हैं जिसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती है। हमें हवा बंद डिब्बे में रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

गैस-चैम्बर में जिस ढंग से हिटलर ने लाखों यहूदी लोगों की निर्ममता से हत्या की थी, हमारे ऊपर भी आज तक हुआ जुल्म उसी तरह का है। यह जो अत्याचार और उत्पीड़न आदिवासियों, शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइबल्स पर चल रहा है, उसे अगर मैं हिटलर ने जिस ढंग से 6 लाख यहूदियों को मारा, ऐसी तुलना करने से खराब ढंग से इस बात को दिखा सकता है। पर तरीका तो बराबर वही है।

इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अमरीका में जिस ढंग से सिर्फ 25 करोड़ आबादी के लिए 50 स्टेट बन चुके हैं और वह आज सारी दुनिया में अपने आपको एक शक्तिशाली देश के रूप में दिखाने में सक्षम हो रहा है।

[अनुवाद]

भारत में केवल 33 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ही क्यों हो?

[हिन्दी]

जिस देश की आबादी 1.2 बिलियन हो, इसलिए मेरा आग्रह है कि कम से कम इस हिंदुस्तान में जहां-जहां आदिवासी, ट्राइबल्स और शैड्यूल्ड कास्ट्स लोगों की बहुसंख्यक आबादी है या थोड़ी कम है, उन क्षेत्रों को लेकर कम से कम 25 अलग प्रदेश बनाने की जरुरत है।इसलिए मेरी मांग है कि इस हिंदुस्तान में कम से कम 25 संख्या के छोटे-छोटे अलग प्रदेश शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों के लिए बनाने की जरुरत है।

[अनुवाद]

देशभर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को मिलाकर 25 से अधिक छोटे नए राज्यों का गठन किया जाना

चाहिए। इस महान देश में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों के सर्वांगीण विकास, सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने में यही तरीका मदद करेगा। आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में इस सदन के भीतर या बाहर इस तरह या उस तरह से केवल बात करके इन्हें नहीं बचा सकते हैं।

[हिन्दी]

इसलिए मेरी मांग है कि इस हिन्दुस्तान में कम से कम 25 संख्या के छोटे-छोटे अलग प्रदेश शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइल्स लोगों के लिए बनाने की जरूरत है।

सभापति महोदया: आप बैठ जाइए, अब आपका भाषण रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डॉ. तरूण मंडल (जयनगर): सभापति महोदया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों में सारे देश में वृद्धि हो रही है। प्रशासनिक रिपोर्टों में यथा प्रस्तुत अत्याचारों की वार्षिक घटनाओं आधिकारिक संख्या वास्तविक अत्याचारों से काफी कम होती है।

पिछड़ेपन, अशिक्षा, सामाजिक कमजोरी की वजह से, पीड़ित रिपोर्ट करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं अथवा पुलिस स्टेशन अथवा किसी आयोग इत्यादि में रिपोर्ट करने की पहुंच नहीं रखते हैं।

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डॉ. तरुण मंडल: महिलाओं और बेचारी बालिकाओं को सबसे अधिक अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। *...(व्यवधान)* पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और राज्य प्रशासनों का स्वागत और व्यवहार भी शिकायतों में बाधा के रूप में कार्य करता है। कई बार उनके मामलों का पंजीकरण नहीं किया जाता है और कभी-कभी उपद्रवी तत्व पुलिस पर अपना प्रभाव जमा कर अपने मामलों को बहुत कमजोर करा लेते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पंजीकृत मामलों की हालत देखकर और पुलिस अथवा प्रशासन से कोई प्रभावकारी समाधान नहीं मिलने के कारण, इस वर्ग के लोग हतोत्साहित हो जाते हैं और निराशा में अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कराते हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार रोकने के लिए, समाज में एक सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है। भारतीय पुनर्जागरण काल में राममोहन राय, विद्यासागर महात्मा फुले, ज्योतिप्रसाद अग्रवाल, रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरत चन्द्र चटर्जी, नेताजी सुभाष, भगतसिंह, नजरूल इस्लाम जैसी विभूतियों द्वारा जो अलख जगाई गई थी वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत में आज भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। सांस्कृतिक आन्दोलन और सुधार त्वरित राजनीतिक एजेंडे में कहीं पीछे छूट गए। तथाकथित शिक्षित महानुभाव भी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के लोगों को हिकारत भरी नजरों से देखने से बाज नहीं आते। इससे शोषितों में विभाजन होता है जिससे सरकार के मौजूदा पूंजीवादी रूप का अस्तित्व बनाए रखने में मदद मिलती है। वास्तविक सामाजिक व्यवस्था में ही, मुझे विश्वास है, ऐसे अत्याचारों को पूरी तरह से रोका जा सकता है।

मेरा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति का संसदीय क्षेत्र है, सात में से, छह विधानसभाएं जहां अनुसूचित जातियों का बाहुल्य है और एक विधानसभा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का बाहुल्य है। मेरे संसदीय क्षेत्र में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समुदाय के लोग रहते हैं और यह आर्थिक रूप से पिछड़ा है और वहां रोजगार बहुत कम हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक समस्या है-जंगल और गहरे समुद्र के कारण-अनुसूचित जाति-जनजाति समुदाय के लोग मछलियां पकड़ने जाते हैं और जीविका के लिए, उन्हें जंगल जाना पड़ता है। वहां पर भी उन्हें चीतों, दस्युओं और मगरमच्छों का शिकार बनना पड़ता है। सरकार से मुआवजा प्राप्त करना भी एक कठिन कार्य है और मछली पकड़ने और जंगलों को जाने का लाइसेंस प्राप्त करना भी बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन मामलों को गहराई से देखे और इनका हल निकाले।

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): महोदया, सर्वप्रथम डॉ. अम्बेडकर जी का नमन करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि वे ऐसे नेता थे, जिनके हृदय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए वेदना थी। तभी उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को ललकार कर कहा था-कितनी देर से तुम समाज की चक्की में पिसते जा रहे हो। तुम्हारे मुखों की दयनीय दशा देख कर तुम्हारी हताश निराश वाणी सुनकर मेरा हृदय फट जाता है। तुम पैदा ही

क्यों नहीं मर जाते हो। तुम ऐसे तिरस्कारपूर्ण जिन्दगी क्यों व्यतीत करते हो? डॉ. अम्बेडकर की बातें सुनकर अनुसूचित जाति के लोगों में जोश भर जाता था और आज हम चंद लोग जो अनुसूचित जाति के चुनकर सदन में आए हैं, इससे इस देश की स्थिति नहीं सुधर जाती है। इस देश में आज क्या स्थिति है, इससे सभी लोग अवगत हैं। आज अनुसूचित जाति के लोग दलित है, खेतिहर मजदूर हैं, श्रमिक हैं। उनकी न जमीन है, न घर है, न घाट है। वे लोग कुपोषित हैं। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। वे गंदगी में रहने को मजबूर हैं और इनके लिए दवाइयों का इंतजाम भी नहीं होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 42 हजार करोड़ रुपया दलितों के नाम पर गरीबी उन्मूलन के नाम पर भेजती हैं, लेकिन वह पैसा भ्रष्ट नौकरशाहों और ठेकेदारों की जेब में चला जाता है। आज दलितों की स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों ने छुआछूत का जो दंश सहा है, वह अभी मिटा नहीं है। आज समाज में दलितों की क्या दशा है, उसे मैं थोड़े-से शब्दों में समझाना चाहती हूं।

सभापति महोदयाः आप कन्कलूड करें, आपकी पार्टी से चार मैम्बर बोल चुके हैं।

श्रीमती सुशीला सरोजः महोदया, संविधान ने अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया है और आज यह अपराध घोषित हो गया है। मैं आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भारत के गांवों में छुआछूत अध्ययन के आंकड़े रखना चाहती हूं। 33 फीसदी गांवों में स्वास्थ्यकर्मी दलितों के घर जाने से मना कर देते हैं। करीब 38 फीसदी सरकारी स्कूलों में दलितों के बच्चों को भोजन के दौरान अलग बिठाया जाता है। 33 फीसदी गांवों में दलितों को चिट्ठी नहीं मिलती है। 48 फीसदी गांवों में जल स्रोतों से पानी लेने के लिए दलितों पर रोक है। दलितों पर अत्याचार की बात यहीं नहीं थमती है। 27 फीसदी गांवों में दलितों को थाने जाने से रोक दिया जाता है। ये आंकड़े 11 राज्यों में 565 गांवों में किए गए अध्ययन पर आधारित हैं। पिछले पांच साल से पुलिस विभाग से जुटाए गए आंकड़ों पर निगाह डाली जाए तो तस्वीर बहुत भयावह है। इन आंकड़ों के मुताबिक हर सप्ताह 13 दलितों की हत्या होती है, पांच दलितों के घर जलाए जाते हैं, छः दलितों का अपहरण होता है। मेरा संसदीय क्षेत्र, जहां से मैं चुनकर आई हूं, सीतापुर जनपद में अवस्थी जी के घर में डकैती पड़ी, अवस्थी जी कैंसर के मरीज थे, उनके सिर पर फोड़ा था। डकैतों ने लाठी मारी और उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे और बहू के हाथ तोड़ दिए गए। उत्तर प्रदेश में पासी बिरादरी की जनसंख्या एक करोड़ से ज्यादा है, यह मार्शल और बहादुर कौम समझी जाती है। जब यहां पासी बिरादरी के लोग देखने गए तो थानेदार ने उन लोगों को थाने में ले जाकर बंद कर दिया। यही नहीं वहां उन्हें बर्फ की सिलियों पर लिटाकर, उनके कानों में करंट लगाकर मारा गया। वहां जाकर लोग देख सकते हैं। पासी बिरादरी की महिलाओं और पुरुषें के कानों में करंट लगने से कान लाल-काले हो गए हैं। दमन की बात यहीं नहीं थमती है। एक शादी में उनकी पत्नी घूंघट ओढ़े हुए थी, उस थानेदार ने बारातियों के सामने उस औरत के कपड़ों को तार-तार कर दिया और उसके सारे जेवर उतारकर ले गए। अम्मा ने वहां बार-बार बोला है लेकिन कमलापुर थाने के थानेदार...* पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः रिकॉर्ड से नाम हटा दिया जाए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला सरोजः आज इस बिरादरी के लोगों में हताशा है, निराशा है। लोग डरे हुए हैं, घर छोड़कर भाग गए हैं। दलित अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री दलित समाज की हैं, वहां दलित महिलाओं और पुरुषों पर इतना अत्याचार हो रहा है। मैं मांग करती हूं कि इसकी जांच कराई जाए और दोषियों को दंड दिया जाए।

****श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर)**:** देश में अनुसूचित जाति जनजाति को गरीब लोगों पर होते आ रहे अन्याय, अत्याचार पर मैं कहूंगा कि यह अत्याचार किसी समूह या वैयक्तिक नहीं बल्कि यह अत्याचार सरकार की गलत नीतियों के चलते तथा देश में विद्यमान कानून नियमों के पालन न होने से ही यह अत्याचार समाप्त नहीं हो रहे हैं। उन दलित भाईयों को जो हजारों वर्ष से पीढ़ियों से मैला ढोने का कार्य करते चले आ रहे हैं, सरकार घोषणा करती है, इस वर्ष समाप्त कर देंगे। अभी समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी तक यह मैल ढोने की परंपरा बंद नहीं हुई। सभी राज्य सरकारों को निर्देश मिले तथा अधिक धनराशि की व्यवस्था के साथ इस कलंकीय प्रथा को बंद किया जाये।

इन जनजाति-जाति के भाइयों पर आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा, उच्च समाज का देखने का नजरिया सिर्फ गुलामी, बंधुआ मजदूर, काम करने वाला सस्ता मजदूर यही नजरों से देखा जाता रहा है। इन्हें शिक्षण, उच्च शिक्षण अपने अधिकारों का अहसास, ज्ञान प्राप्त कराने में सरकार असफल रहीं। इसकी जरूरत है। सरकार द्वारा अनदेखा करना भी अपराध तथा इन जनजाति-जाति के लोगों पर अन्याय, अत्याचार है। इसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। तुरंत संज्ञान लेकर इस और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

आर्थिक पिछड़ापन वर्ग में गांव में रहने वाले इन भाइयों को आदिवासियों को वन क्षेत्रों में अपने परंपरागत व्यवसाय से रोका गया। वन कानून के चलते इन जनजाति के भाइयों को वन उपज

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पर अपना जीवनयापन करने से मनाही वन बहुल क्षेत्रों खेती का विकास नहीं, सिंचाई सुविधा नही, अत्यंत खेती पर उपज पर जीने वाले इन भाइयों को जीवन भर पेटभर खाना नहीं मिला। पहनने को नहीं मिला, कर्ज में डूबे अनेक बीमारियों से ग्रस्त यह आदिवासी बेरोजगारी से तंग आ रहे हैं। सरकार ठोस कार्यक्रम नहीं देती। भूखे, अर्धनग्न रहने के लिए मजबूर इस समाज की सरकार की गलत नीतियों को अनदेखापन, जिम्मेवार मानता हूं। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

इन भोले-भाले भाइयों पर अगर अत्याचार कम करना है, अन्याय दूर करना है तो इन्हें पहले शिपित, आर्थिक संपन्न करना ही होगा।

इन्हें वनभूमि के पट्टे देने में विलंब दूर हो, सिंचाई परियोजनाएं अधिकाधिक वन क्षेत्रों में बनाए, उपचार, शिक्षण हेतु केन्द्र सरकार स्वयं शिक्षा केन्द्र, आरोग्य केन्द्र, उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज, टैक्नीकल, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहां जनजाती के साथ जाति के भी लोग रहते है। इन्हें काम मिले। प्रकृति आरोग्य शिक्षण व साथ में खेती उपज पर निर्भर इन लोगों को विजली, पानी, सिचांई व्यवस्था पूरी तरह हो। इस हेतु आग्रह से कदम उठाने की मांग करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदया: जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं वे अपनी स्पीच टेबल पर ले कर दें।

माननीय मंत्री जी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, मैं अपनी बात एक मिनट में कहूंगा। बहुत दिनों बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विषय पर चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से एक या दो मैम्बर बोलने वाले होंगे। मैं चाहूंगा आप पांच बजे जवाब दिलवा दीजिए।

सभापति महोदया: जो लोग बोलने वाले रह गए हैं वे अपनी स्पीच टेबल पर ले कर दें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: आप उन्हें बुलवा लीजिए।

सभापति महोदया: अभी आधे घंटे की चर्चा होनी है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदया, पांच मिनट में क्या हो जाएगा?

सभापति महोदया: स्पीच टेबल पर ले कर दीजिए। आपकी पार्टी से तीन सदस्य बोल चुके हैं।

श्री पकौड़ी लाल।

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज): सभापति महोदया, आपने मुझे दो मिनट का समय दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आदिवासी हूं और जिस क्षेत्र से आया हूं, वह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो चार लाइन लिखकर लाया हूं, वही पढ़कर बता दूंगा। मै सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

महोदया, मेरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सोनभद्र है। वह आदिवासी, अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल एरिया है। हमारा जनपद बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से सटा हुआ है। वहां आदिवासी बहुल जो अनुसूचित जनजाति कहे जाते हैं, वे बहुत गरीब हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। वहां के लोगों को दो जून की रोटी मिलनी मुहाल हो गई है। जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सलाइट्स की धरपकड़ शुरू होती है तो हमारा क्षेत्र जंगल और पहाड़ है। नक्सलाइट्स वहां भागकर चले आते हैं और हमारे आदिवासी भाइयों के घरों में जाकर जबरदस्ती खाना बनवाते हैं, खाते हैं। यदि उनके लिए वे लोग खाना नहीं बनाते हैं तो वे हमारे आदिवासी भाइयों को मारते हैं। इसके बाद जब वे रात में खाना खाकर चले जाते हैं तो सुबह पुलिस पहुंचती है और पुलिस भी उन्हें मारती है। इस तरह से उन पर गरीबी, सामन्तों की मार और दूसरी पुलिस की मार पड़ती है।

यहां अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में चर्चा हो रही है। हमारे यहां अनुसूचित जनजाति बहुल एरिया है, जिसमें गोड़, खरवार, पनिका, बैगा, धुरिया, नायक, ओझा, राजगोड़, खैरवार, बरहीया, पंखा, चेरो, भुइया, भुनिया, पठारी और अगरिया 16 जातियां हैं। वर्ष 2001 की जनगणना में इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया था और 16 जातियां अनुसूचित जाति के लाभ पाती थीं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2003 में इन 16 जातियों को अनुसूचित जनजाति में डाल दिया गया, जिसके कारण उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। आज लोक सभा, विधान सभा के चुनाव बीत गये। अब प्रधानी और जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। लेकिन इन 16 जातियों को चुनाव लड़ने का अधिकार आरपित कोटे से नहीं है।

मेरी सरकार से विनती है कि जब तक इन 16 जातियों को आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक पूर्व की भांति इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी का जो लाभ मिलता था, वह लाभ इन्हें दिया जाए और इन्हें चुनाव भी लड़ने का अधिकार दिलाया जाए। मेरी सरकार से पुन: प्रार्थना है कि इन जातियों के आंसुओं को पोंछा जाए। ये जातियां सामन्तों और पुलिस से पहले से ही परेशान हैं। यदि ये जातियां उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार से भी परेशान हो जायेंगी तो ये जातियां अनाथ हो जायेंगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए वहां के गरीबों की दयनीय दशा देखकर उन्हें इसी पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के कोटे से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए आपको पुन: धन्यवाद।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति महोदया, यदि इन्हें आरक्षण नहीं मिला तो ये अनुसूचित जातियां और जनजातियां चुनाव लड़ने से वंचित रह जायेंगी। इनके जनप्रतिनिधि नहीं चुने जायेंगे। इसलिए इन 16 जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण तब तक दिलाया जाए, जब तक इन्हें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं मिल जाता।

***डॉ. विनय कुमार पाण्डेय** (श्रावस्ती): महोदया, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों हेतु आरक्षण की व्यवस्था है। परंतु मेरे निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर एवं श्रावस्ती जनपदों में घुमन्तू एवं खानाबदोश जातियां रही ढ़ाढी, चमरमंगता, शिकारी, बंजारा, थारू आदि जातियों को अनुसूचित नहीं किया गया है और न ही उन्हें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। अत: उन्हें आरक्षण की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। मैं सदन एवं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर संविधान की मंशा के अनुरूप कार्यवाही चाहूंगा।

[अनुवाद]

***श्री सुखदेव सिंह** (फतेहगढ़ साहिब): मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचारों संबंधी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का मौका दिया। मैं बड़े गर्व के साथ इस सम्मानित सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदैव अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के दबे-कुचले लोगों के साथ होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध रही है। मेरी पार्टी सदैव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों और भारत की पद्दलित जनता के साथ है। मैं पंजाब का हूं और मेरा संसदीय क्षेत्र फतेहगढ़ साहिब है जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार सदस्य के लिए आरक्षित है। मैं इस सम्मानित सभा को बताना चाहता हूं कि मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और पद्दलित लोगों के अधिकारों के लिए पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से लड़ रहा हूं। मैं अपने जीवन के अनुभव को इस सम्मानित सभा के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और पद्दलित लोगों पर होने वाले अत्याचारों का खात्मा शिक्षा के माध्यम से, अनुसूचित जाति/जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों का सही ढंग से कार्यान्वयन करके, निष्पक्ष रूप से जीवन के सभी क्षेत्रों में अवसर देकर, खाद्य सुरक्षा मुहैया कराके, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराके और अंत में मान्यता देकर किया जा सकता है।

अशिक्षा सभी बुराइयों की प्रमुख वजह है। यदि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और देश के पद्दलित लोगों को दी तो समाज से स्वत: ही अत्याचारों का समूल नाश हो गया होता। वे भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और देश की प्रगति में भागीदारी करते हैं और हाथ बटाते हैं। यदि समाज के एक चौथाई लोग उपेक्षित हैं तथाकथित तो उच्चवर्ग द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के कारण सारा समाज पंगु बन जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियां हमारे समाज के कमजोर वर्ग के सर्वाधिक सुविधाहीन घटक हैं, उन पर अत्याचार किए जाते हैं जिनकी वजह उनका गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के भूस्वामियों पर आश्रित होना, शैक्षिक पिछड़ापन और सामाजिक भेदभाव है। अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन जातियां अस्पृश्यता के कलंक का भी सामना करती हैं। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्रदान किया गया है, कई सुरक्षा उपाय हमारे संविधान में किए गए हैं; अनुच्छेद 15 के तहत कोई भी नागरिक धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी निर्योग्यता, दायित्व के अधीन नहीं होगा, सम्मानित सभा भली-भांति अवगत है कि हमारे भारतीय समाज में संवैधानिक अधिकारों का कार्यान्वयन कैसे किया जाता है।

दूसरी बात यह कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के पद्दालित लोगों को उचित अवसर मुहैया कराइए। उनका कोटा उन्हें ईमानदारी से मुहैया कराइए। इसके अलावा मैं बड़े दु:ख के साथ यह सूचित करना चाहता हूं कि समाज के अ. जा./अ.ज.जा. और दलित लोगों का समाज के अगड़ी जातियों चाहे वे शिक्षित हों या न हो, द्वारा शोषण हो रहा है, यदि वे साक्षर नहीं है तब भी अत्याचार का कोई बहाना नहीं है लेकिन यदि वे शिक्षित हैं और सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं उन्हें कभी भी उत्कृष्ट एसीआर प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वे अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित हैं, उनकी शैक्षिक क्षमताएं, दक्षता, निर्णय लेने की शक्ति, शिक्षा इन सब बातों को वरिष्ठ अधिकारियों जो मुख्यत: अगड़ी जाति के होते हैं, द्वारा नजर अन्दाज किया जाता है, यदि अगड़ी जाति कें लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है तब वे और भी ज्यादा अत्याचार के शिकार होंगे। देश के कानून का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

समाज के अन्य वर्गो द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. पर अत्याचार खाद्य सुरक्षा की कमी के कारण भी हैं, यदि सरकार ईमानदारी से

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अ.जा./अ.ज.जा. और दलितों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती है तो इससे भी अत्याचार कम होंगे।

अस्पृश्यता भी अ.जा./अ.ज.जा. और दबे-कुचले लोगों के लिए कलंक है। वे समाज के अपेक्षित वर्ग होने के नाते हमेशा हीन भावना से ग्रसित रहे हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएं भी समाज के अ.जा./अ.ज.जा. और दलित लोगों को समुचित रूप से उपलब्ध नहीं कराई जाती है। एक कमजोर व्यक्ति स्वास्थ्य व्यक्ति का सामना कभी नहीं कर सकता है यदि हमे अ.जा./अ.ज.जा. के प्रति हो रहे अत्याचारों को दूर करना है तब हमें देश के अ.ज./अ.ज.जा. और दलितों को समान सुविधाएं और स्वस्थ्य वातावरण उपलब्ध कराना होगा।

[हिन्दी]

***श्री अशोक कुमार रावत** (मिसरिख): हमारे देश में जब भी दलितों, शोषितों की रक्षा के लिए, उन पर होने वाले अत्याचार-अन्याय के निवारण के लिए कानून बनते हैं तो समाज के वर्चस्वशाली वर्ग की एक ही किस्म की प्रतिक्रिया नजर आती है- ऐसे कानूनों के कथित दुरूपयोग का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद 17 के अनुसरण में 2 अधिनियम बनाए गए (1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 (2) अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989। इन अधिनियमों का उद्देश्य एस.सी./एस.टी. के लोगों के प्रति होने वाले अपराध, अस्पृश्यता को रोकना है।

परन्तु सिर्फ अधिनियम बना देने भर से न्याय नहीं मिल जाता, जब तक कि उनका इनफोर्समेंट विधिपूर्ण तरीके से न हो। जबकि वर्ष 2008 के आंकड़ों के आकलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भी अनेकों मामले न्यायालयों में विलम्बित हैं।

यह सच है कि विलम्ब से न्याय, न्याय नहीं मिलने के समान है जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो न्याय का मतलब नहीं रह जाता - "न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए" लेकिन यहां न्याय दिखना तो दूर की बात है न्याय होता ही नहीं, विलम्बित रहता है, अत्याचार बढ़ रहा है।

दलित शोषित पहले से ही दबे कुचले हुए हैं उनके विषय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने खुद विशेष घटक का प्रावधान लाया था-परन्तु आज विशेष घटक के 750 करोड़ रुपये कॉमनवैल्थ गेम्स में खर्च दिए गए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रोजगारों में जानबूझकर विभेद किया जा रहा है। बैकलॉग के पद जानबूझकर नहीं भरे जा रहे हैं। संविधान के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही सरकारी उपक्रमों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद पर पूर्ण योग्यता रखने वाले अनु. जाति/जनजाति के अधिकारियों का चयन नहीं किया जा रहा है। साथ ही पदोन्नति में भेदभाव बरता जा रहा है - मेरी जानकारी में एक मामला आया है-ओरडिनेंस फैक्ट्री कानपुर में संयुक्त महाप्रबंधक के पद पर तैनात अनु. जाति के अधिकारी श्री ओ. पी. रावत जिनका ए.सी.आर. 1995 से 2008 तक रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी और समीक्षा अधिकारी द्वारा बहुत अच्छा मार्क किया गया था परन्तु उनके महत्वपूर्ण पदोन्नति के समय जानबूझकर दुराशय के साथ उनका ए.सी.आर. खराब किया जा रहा है जिससे उनकी पदोन्नति न हो सके। इस मामले में मैं सरकार से न्याय दिलाने की मांग करता हूं।

जब तक हम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात नहीं करते जिससे हर दलित, हर दूसरे नागरिक के साथ समता सम्मान और मानव गरिमा के साथ खड़ा हो सके, तब तक महज अस्पृश्यता के खात्मे का ऐलान ही काफी नहीं होगा। जैसाकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 भी कहता है कि सभी भारत के लोगों को मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। मेरी मांग यह है कि इन दलितों, शोषितों, उत्पीड़ितों को ज्यादा नहीं तो मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, सम्मान और समता मिले।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। चिदम्बरम जी, कृपया ध्यान देकर सुनें। क्योंकि जो बात मैं कहूंगा, वह किसी ने नहीं कही है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दुनिया की धरोहर प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जिसका नाम जारवाह है, जो आज खतरे में है। हमारे यहां दुनिया की धरोहर प्रिमिटिव ट्राइब्स जैसे ओंगीज, अंडमानीज, शोम्पेन्स, सैन्टिनेलीज आदि हैं, इनकी ग्रोथ आज कम हो गई है। ये लोग मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। इनकी सुरक्षा करनी जरूरी है, क्योंकि ये लोग दुनिया की धरोहर हैं।

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री यहां बैठे हैं, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया जी बैठी हैं। स्व.श्री राजीव गांधी ने अंडमान निकोबार का आईडीए बनाया था। उस अंडमान की धरती पर मुंडा, ओरांव, खरिया जाति के लोग झारखंड, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों से आये थे। लेकिन उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला। वैसी हालत में जब अंडमान और निकोबार बसाया गया था तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और बंगलादेश आदि से लाकर अंडमान में सैटल किया गया था। वे लोग उस

प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में वे ब्राह्मण, पंडित ऊंची जाति के लोग बन गये। मेरी श्रीमती सोनिया गांधी, यूपीए चेयरपर्सन और गृह मंत्री से से मांग है कि अंडमान और निकोबार में उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए।

***श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बेतूल): मैं उन गरीब, असहाय जो आजादी के बाद भी विकास से कोसो दूर हैं, उनके बारे में बात कहना चाहूंगी। आज भी उनका जीवन जंगलों, पहाड़ों, दूरांचल जगह में मुख्यधारा से दूर कट रहा है। उनके जीवन में आज भी परिवर्तन नहीं आया है। वह केवल साथ से साथ को देख कर अपना जीवन परिवर्तन करने को मजबूर हैं।

वे आज भी सरकार की असंख्य योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि वे जंगल में रहने और मनुष्य की बजाय जीव की भांति जीवन व्यतीत करते दिखाई देते हैं। शायद उन्हें बदलने की हमारे अंदर पूरी ताकत नहीं है। हमें अपनी पूरी ताकत के साथ समर्पित भाव से काम करने की आवश्यकता है। उनके लिए बहुत नीतियां बनी हैं, लेकिन फिर भी बदलाव संभव नहीं हो पाया है। इसके मूल कारण जानने का हमने प्रयास भी नहीं किया है। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जैसे प्रयास किए जाने चाहिए थे, मेरी दृष्टि में शायद वे नहीं किए गए हैं। उन्हें जिस रूप में मदद मिलनी चाहिए थी, वैसा स्वरूप नहीं बनाया गया है और इसका ही कारण है कि वे आज भी समाज में शोषित हो रहे हैं और शायद भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। मेरा मानना है कि आज नक्सल का प्रभाव जिन विशेष क्षेत्रों मे है, वहां इनको निशाना बनाया जाता है और ये गरीब ही निशाना बनते हैं और इसका कारण उनकी सच्चाई, ईमानदारी, भोलापन है। उसे यहां भी नहीं छोड़ा जाता है। आज यदि सरकार की मदद उन तक पहुंचती है, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं कि आदिवासी जैसा ईमानदार, विश्वासी और कोई नहीं है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलवाद से लड़ने को भी तैयार खड़ा है। वह नक्सलवादी या माओवादी नहीं है, वह एक सच्चा इंसान है, जो देशभक्तों की तरह देश के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी लोग आगे आएं और इन्हें भी अपने परिवार का एक सदस्य मानकर अपने दिल में और दिल के पास जगह दें। मुझे विश्वास है कि ये बदलेंगे, जिसका इनको इंतजार है। यह समाज देश के एक निष्ठावान नागरिक के रूप में आज भी बड़े विश्वास से आपकी ओर देख रहा है।

इनके नाम पर बहुतायत से एनजीओज सामने आए हैं। इनके विकास के नाम पर स्वयं उन्होंने अपना का विकास किया और सरकार को केवल गुमराह किया है। अत: इनसे सावधान हो कर हमें इनके विकास में ऐसे सरकारी नीतिगत कठोर नियम एवं कानून का निर्माण करना होगा, जो इनके विकास में सहायक सिद्ध हो सकें। आज आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण नीतिगत नियम लागू कर इनके विकास में सरकार को एक महत्वपूर्ण योगदान करने की आवश्यकता है। आज भी ऐसी अनेक आदिवासी जातियां हैं, जो आरक्षण की श्रेणी में हैं, लेकिन उन्हें नहीं लाया गया है। मध्य प्रदेश की 28 ऐसी उपजातियां हैं, जिन्हें आरक्षण की श्रेणी से अलग किया गया है। अत: इन गरीब असहाय लोगों के विकास के बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

***श्री चार्ल्स डिएस** (नामनिर्दिष्ट): मैं ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति बढ़ते अत्याचार'' पर चर्चा में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं।

इस माननीय सभा में चर्चा के लिए यह विषय प्रासंगिक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 23% है। आजादी के 63 साल बाद और अ.ज./अ.ज.जा. के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीमों और परियोजनाओं के आरम्भ किए जाने और हजारों करोड़ रु. खर्च किए जाने के बाद भी अ.जा./अ.ज.जा. की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया है।

वे ऊपर नहीं आ पाए हैं जैसा कि हम चाहते थे और उनके रहन-सहन में ज्यादा सुधार नहीं आया है। मेरे विचार से सदियों से हमारे देश में प्रचलित कठोर जाति व्यवस्था ने काफी हद तक अ.जा./अ.ज.जा. की प्रगति को बाधित किया है।

मेरे विचार से अ.जा./अ.ज.जा. के प्रति बढ़ते अत्याचार शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण हैं। उनके प्रति अत्याचार के लिए सजा भी कठोर और प्रभावकारी होना चाहिए।

अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को उनके पिछड़ेपन से निकालने के लिए प्रभावकारी उपायों से उनकी सहायता करनी चाहिए। रंगनाथन मिश्रा आयोग ने सिफारिश की है कि उन अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों जिन्होंने इसाई और इस्लाम धर्म अपना लिया है, को अपना 'जाति उपनाम' रखने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वे सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ और आरक्षण प्राप्त कर सकें। इस पहलू पर ध्यान दिए जाने और अ.जा./अ.ज.जा. की सर्वतोमुंशी प्रगति के लिए उनको ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने तथा अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को प्रताड़ित करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल): आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध बढ़ रहे अत्याचारों पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज आप जब भी समाचार पत्र को उठाएंगे तो प्रतिदिन उसमें एक न एक समाचार इसी से संबंधित होगा। इसलिए इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए। आज हमें आजाद हुए 63 वर्ष हो चुके हैं परन्तु फिर भी हम अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए किसी ठोस योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाये हैं। अभी बहुत से सम्माननीय सदस्यों का मानना है कि जातिगत जनगणना होने से हर जाति की स्थिति मालूम होगी। देश में इससे पहले जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद अब हम जातिगत आधार पर जनगणना करने जा रहे हैं, तो आज हमें इस बात का अंदाजा लगेगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या का, उनके रहने-सहने के स्तर का एवं उनके जीवन यापन के साधनों का ज्ञान होगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने इन वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिए एस.सी. और एस. टी. आयोग की स्थापना तो की है परन्तु अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में वह कहीं पीछे रह गया। उसके लिए इस आयोग को कुछ विशेषधिकार दिए जाने चाहिए।

अभी हाल ही में समाचार पत्र में घटना छपी थी कि एक जगह स्कूल में एस.सी. जाति की एक महिला को बच्चों के मिड डे मील के अन्तर्गत खाना पकाने पर नियुक्त कर दिया गया तो वहां कुछ लोगों ने यह आपत्ति की कि इसे हटाया जाना चाहिए। हमारे बच्चे इसके हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इसी प्रकार इन वर्गा की महिलाओं से अभद्रता आदि की खबरें अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है। यदि आप पिछले कुछ वर्ष के आंकड़ें उठाकर देंखे तो आप पायेंगे की कितने अत्याचार इन लोगों पर हुए हैं कितने केस दर्ज हुए तथा कितने नहीं हो सके। जो दर्ज हुए तो उनमें कितने मामलों में दोषियों को सजा हुई। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

आज भी हमारी सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर ही चल रही है। इसे समाप्त करने के उद्देश्य से ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था। महात्मा गांधी, डा. पेरियार आदि अनेक महापुरूषों ने भी इस व्यवस्था को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए मानवता की बहाली के लिए अनेक संघर्ष किये।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखण्ड के जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील थैलीसैंण के अंतर्गत विकास खंड़ बीरोंखाल की पट्टी सावली में धार की अरकण्डाई नामक गांव में जयानन्द भारतीय जी हुए थे। जयानंद भारतीय जी ने गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन 1 दिसम्बर, 1933 को किया था। आजादी की लड़ाई के साथ-साथ उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए सदैव कार्य किया। उस समय में दलितों के उद्धार व सामाजिक समता के लिए उन्होंने डोला-पालकी आन्दोलन चलाया था।

मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हमें जाति प्रथा से ऊपर उठना चाहिए। सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। समाज में व्याप्त विषमता के उन्मूलन के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें देखना चाहिए की गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए ठोस योजनाएं बनाकर उन पर अमल करना चाहिए। महात्मा गांधी नेशनल रूलर एम्पलाएमेंट योजना के तहत उनको रोजगार के अवसर मुहैया करवाये जाने चाहिए। शिक्षा का सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सब स्कूल जाये पढ़े इसके लिए कार्य करना चाहिए। जब हम इस समाज को बराबर के अवसर उपलब्ध करवा देंगे तो यह समाज भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इंदिरा आवास योजना के तहत इन लोगों को मकान उपलब्ध करवाने चाहिए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में कठोरता से आरक्षण की सुविधा देने के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के माध्यम से, पंचायतों में आरक्षण प्रदान करने से दलितों का मनोबल बढ़ा है। उनमें भी यह विश्वास जागृत हुआ है कि हमें भी बराबरी का दर्जा प्राप्त है।

मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अलावा हमारे उत्तराखण्ड में तोलछा, भोटिया, थारू एवं बोक्सा जनजातियां हैं, जो घुमन्तु हैं। उनके उत्थान तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी विशेष पैकेज एवं ठोस योजनाओं की आवश्यकता है। सरकार को इस तरफ भी विशेष ध्यान केन्द्रित करना होगा।

इसी के साथ ज्यादा न कहते हुए मैं सरकार से इतना ही अनुरोध करूंगा की वह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। इन जातियों की महिलाओं का जो शोषण, उत्पीड़न होता है वह बन्द होना चाहिए। आये दिन जो घटनाएं प्रकाश में आती हैं कि उक्त समाज की इस महिला को जला दिया, इसका आर्थिक शोषण किया, इसका शारीरिक शोषण हुआ इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए तथा दोषियों को सख्त से सख्त सजा

मिलनी चाहिए। केन्द्र सरकार को इस प्रकार के कानून बनाने चाहिए कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, अत्याचार व अन्याय न हो। हमारे देश में सबको समानता, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए इसके लिए यही उपयुक्त समय है।

अपराह्न 5.00 बजे

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): माननीय सभापति महोदया, मैं गत दो दिनों के दौरान हुए अत्यन्त ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। पहले दिन इस विषय पर लगभग 14 सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए और आज अन्य 14 या 15 सदस्यों ने इस विषय पर अपना विचार प्रकट किया है।

यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम सब समझते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर ऐतिहासिक अत्याचार हुआ है। वास्तव में यह, जैसा कि हम जानते हैं समाज के उद्रभव और समाज के विभाजन से आरम्भ होता है। वर्षों से इन विभाजनों के कम होने के बजाए, ये और काफी गहरे हो गए हैं। समाज में अन्य विभाजन भी हैं लेकिन सर्वाधिक क्रूर, सर्वाधिक अपमानजनक और अमानवीय है कुछ जातियों का ''अस्पृश्य'' होना। इसके परिणाम-स्वरूप आज अनेक जातियां ऐसी हैं जिनका उल्लेख अनुसूचित जाति के रूप में होता है।

अनुसूचित जनजातियों के प्रति अन्याय का इतिहास उनके रहने की जगह और उनका समाज जिस प्रकार संगठित है के कारण अलग प्रकार का है। वर्षों से हमने ऐसे रास्ते पाने का प्रयास किया है जिसके द्वारा हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को हम मुख्यधारा में लाने का प्रयास और इन विभाजनों, जो अन्याय को जारी रखने में मदद करते है, से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि समाज के ये विभाजन ही इन अन्यायों का कारण है और इसे जारी रखते हैं, तब तक हम अन्यायों को दूर नहीं कर सकते हैं और न ही उनसे अकेले निपट नहीं सकते हैं। ये विभाजन ही बुरे हैं।

इसके परिणामस्वरूप उन्होंने विकास के रूप में सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से कष्ट उठाना पड़ा है और वे अपराधों और अत्याचारों का शिकार हुए हैं। इस वाद-विवाद में माननीय सदस्यों ने आम मुद्दों को रेखांकित किया है। उन्होंने विशिष्ट उदाहरणों से स्पष्ट किया है और प्रत्येक उदाहरण हमारा सर शर्म से झुका देता है। गत कुछ माह में ही, हमें पड़ोसी राज्य में ऐसे उदाहरण मिले हैं। कुछ समय पहले एक बुरी घटना हुई थी जिसमें तीन या चार सप्ताह पूर्व एक निर्णय दिया गया था। मैं जगह और राज्य का नाम नहीं बतलाना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर प्रकाश डालता है कि पूर्वाग्रह कितनी गहरी जड़े जमाए हुए हैं और किस प्रकार जो समृद्ध और अधिकार सम्पन्न हैं उस धन संपत्ति और शक्ति का इस्तेमाल अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार करने के लिए करते हैं।

मेरे सहयोगी श्री मुकुल वासनिक ने उस दिन सभा को उनके मंत्रालय द्वारा जिन मुद्दों पर कार्य आरंभ किया गया और जो पहलें की गईं उनके संबंध में संक्षेप में बताया। वास्तव में उनका मंत्रालय अनुसूचित जातियों संबंधी मामले को देखने वाला शीर्ष मंत्रालय है और जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों संबंधी मामलों को देखने वाला शीर्ष मंत्रालय है। हम गृह मंत्रालय में, दाण्डिक न्याय प्रशासन को देखते हैं, और यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति होने वाले अपराधों और अत्याचारों से निपटने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जरिया है।

महोदया संसद ने अनेक कानून बनाए है, जिनमें सामान्य कानून, भारतीय दंड संहिता और अन्य कानून शामिल है। परन्तु हमने दो विशेष कानून बनाए हैं पहला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जिसे संक्षेप में पीसीए कहा जाता है और दूसरा है अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 जिसे संक्षेप में पीओए कहा जाता है। मेरे विचार से ये दोनों अधिनियम यदि राज्य का कार्रवाई करने का इरादा, मन तथा इच्छा हो तो राज्यों को कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार देते है। वास्तव में, माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि कानूनों में वृद्धि करते जाने से इसका कार्यान्वयन अधिक प्रभावी नहीं होता है। बल्कि विद्यमान कानूनों का कार्यान्वयन तथा कानूनों को लागू करने का इरादा, कानूनों को कार्यान्वित करने की इच्छा ही कानूनों के प्रवर्तन को प्रभावी बनाती है। हम अधिकारिक कानून बनाते हैं। परन्तु यदि उनका प्रवर्तन ढीला ढाला है यदि प्रवर्तन ठीक नहीं है तो कानूनों में वृद्धि करते जाने से हालात में सुधार नहीं होगा।

महोदया, मैं स्वीकार करता हूं कि आंकड़े यह नहीं बताते हैं कि अत्याचारों में कोई गिरावट आई है। इसके विपरीत क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी दर्शाती है कि वास्तव में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति दर्ज किए गए अत्याचारों के मामलों की संख्या बढ़ रही है। मेरे पास 2006 से 2008 के आंकड़े हैं बाद के वर्षों के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जातियों का मामला लें। वर्ष 2006 में अनुसूचित जातियों के प्रति दर्ज किए गए अत्याचारों के मामलों की संख्या 26,665 थी। यह अपने आपमें एक न्यूनोक्ति है। बहुत से मामले तो दर्ज ही नहीं किए जाते। वर्ष 2007 में ये मामले 29,825 और वर्ष 2008 में 33,365 थे। अतएव यह स्पष्ट दर्शाता है कि इस प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। मैं इन सबसे यह एक

या दो अनुमान लगा सकता हूं। प्रथमत: यह कि अनुसूचित जातियों के प्रति किए जा रहे अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई है। दूसरा अंदाजा जो कोई लगा सकता है वह है, संभवत: केन्द्र सरकार जनता के विचारों द्वारा और गैर सरकारी संगठनों द्वारा राज्य सरकारों पर डाले जा रहे दबाव के कारण अब राज्य इस समस्या से निपटने के लिए अधिक इच्छा शक्ति दर्शा रहे हैं। इसलिए अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। संभवत: यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका जो भी उचित निष्कर्ष निकाला जाए यह ऐसी बात नहीं है जिस पर हम गर्व कर सके। हम इन आंकड़ों से प्रसन्न नहीं हो सकते कि एक वर्ष में अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों के लगभग 33,000 मामले दर्ज हो रहें हैं। इसे और भी चिन्ताजनक यह तथ्य बनता है कि हांलाकि इतने सारे मामले दर्ज किए जा रहे हैं दोष सिद्धी की दर लगभग 30% के आसपास है। इसे दोगुना कष्टकारी यह तथ्य बनाता है कि अत्याचारों में वृद्धि हुई है परन्तु जब आप मुकदमा चला कर दोष सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोष सिद्धी की दर मात्र 30 प्रतिशत है यह 28 प्रतिशत, 31.4 प्रतिशत, और 32 प्रतिशत थी। बरी होने के मामले अत्यधिक हैं। न केवल बरी करने के मामले अधिक है अपितु लंबित मामलों की स्थिति 80 प्रतिशत है। किसी भी दिए गए समय में 80 प्रतिशत मामले लंबित होते हैं अतएव जिस तरीके से हम इन मामलों से निपट रहे हैं उसमें गंभीर खामी है। अंतत: हमारी प्रणाली में कार्यपालिका केवल मुकदमा चला सकती है। कार्यपालिका निवारक उपाय कर सकती है और यदि अपराध किए जाते हैं; यदि अत्याचार किए जाते है, कार्यपालिका केवल मुकदमा चला सकती है सजा देने का कार्य न्यायपालिका का है। मुझे चिन्ता इस बात की है कि मामलों का निपटान बहुत धीमा है; दोष सिद्धी की दर बहुत कम है। अतएव इस निष्कर्ष पर पहुंचना समुचित होगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मध्य यह भावनाएं हैं कि इन सभी कानूनों इन सभी वक्तव्यों इन सभी घोषणाओं से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। यह भावना बहुत अधिक बलवती है और मैं कहूंगा कि उनका यह मानना उचित भी है।

हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। यदि इन लोगों के प्रति किए जाने वाले अपराधों को देखा जाए तो किए जा रहे यह अपराध सर्वाधिक घृणित अपराध हैं। जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, भगा के ले जाना और आगजनी। यह छोटे मोटे अपराध नहीं हैं यह पूर्वनियोजित अपराध हैं उनमें से कुछ अपराध क्षणिक आवेग में हो सकते हैं परन्तु अधिकांश पूर्व नियोजित अपराध हैं भारतीय दंड संहिता में सर्वथा घृणित अपराधों में हत्या, बलात्कार, आगजनी, अपहरण, और भगा के ले जाना हैं यह दर्शाता है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां कितनी असुरक्षित हैं।

महोदया हम किसी न किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए कृपया मुझे गलत न समझें कि मैं राज्यों पर उंगली उठा रहा हूं भाषण के दौरान, यदि मैं कुछ राज्यों का उल्लेख करूं तो कृपया मुझे याद दिलादें और मैं आपको अपने राज्य के संबंध में भी बताऊंगा। इस में कोई परेशानी नहीं है। प्रत्येक राज्य में स्थिति कमोबेश एक समान है।

अंतत:, हमें मानना होगा कि पुलिस और कानून और व्यवस्था राज्य के विषय है। यह वही लोग हैं जो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को चुनते हैं। हम सभी का निर्वाचन संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तथा केन्द्र सरकार बनाने के लिए हुआ है और यही लोग हम जैसे लोगों को राज्य सरकार बनाने हेतु राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित करते हैं। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता से कहा कि पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय रहें। अतएव जब यह अत्याचार किए जाते हैं राज्य इन अत्याचारों को करने वालों को सजा देने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, दृढ़निश्चय और उद्देश्य प्राप्ति के प्रति दृढ़ता नहीं दर्शाते?

हममें से कुछ जो यहां हैं और भविष्य में राज्य विधानसभा में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए श्री मुंडे, जिन्होंने चर्चा आरंभ की, कई वर्षों तक राज्य विधान सभा में थे। उनमें से कुछ जो राज्य विधानसभाओं में हैं संसद में आ सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मैं सिर्फ यह बात उठा रहा हूं कि अंतत:, यदि जिस प्राधिकरण में शक्ति निहित है राज्य सरकार अपने ही लोगों के प्रति किए जा रहे अत्याचारों और अपराधों की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेती, तो यह शर्म की बात है। एक या दूसरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले हम सभी की एक तरह से, सम्मिलित रूप से जवाबदेही बनती है कि हमारे राज्य अत्याचार करने वालों को सजा देने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

महोदया, एक अप्रैल, 2010 को मेरे मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयोग और अन्यों की सिफारिशों के आधार पर एक बहुत व्यापक सलाह सूची जारी की। सलाह सूची में विस्तार से बताया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों और अत्याचारों से निपटने के लिए राज्य विधि प्रवर्तक तंत्र को किस प्रकार संवेदनशील बनाया जाए। हमने इस बात पर बल दिया कि जब तक विधि प्रवर्तक तंत्र में इन समुदायों को शामिल नहीं किया जाता इन अत्याचारों और अपराधों का निवारण नहीं हो सकता इसके लिए किसी को दंडित किया जा सकता।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक समुदाय में ऐसे सामान्य श्रेणी के लोग भी होते हैं जो मूलत: अच्छे मनुष्य होते

हैं और जो नहीं चाहते हैं कि अ.जा. और अ.ज.जा. के विरुद्ध ऐसे अत्याचार हों। मुझे विश्वास नहीं है कि प्रत्येक गैर-अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ऐसे अत्याचार में शामिल होते हैं या इनकी अनदेखी करते हैं। प्रत्येक समुदाय में ऐसे लोग हैं जो, यदि उन्हें व्यवस्था में लाया जाए, कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ खड़े होंगे और यह सुनिश्चित करेंगें कि ऐसे अत्याचार न हों। प्रत्येक गांव में ऐसे लोग हैं। प्रत्येक शहर में ऐसे लोग हैं और प्रत्येक मुहल्ले में ऐसे लोग हैं।

मुद्दा यह है कि कानून लागू करने वाला तंत्र ऐसे समुदाय से एकदम कटा रहता है। उन्हें इन कानूनों को लागू करने में इस समुदाय को शामिल करना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय को शामिल करना ही चाहिए कि ये अत्याचार न हो।

इसलिए हमने कहा है कि उनके पास हिंसा, दुरूपयोग और शोषण के मामलों को रोकने के लिए एक सामुदायिक निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। यदि कोई शिकायत की जाती हो तो प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और उस प्राथमिकी की जांच तेजी से की जाए। यदि ऐसे क्षेत्र हों जहां अत्याचार और अपराध का लंबा इतिहास रहा है तो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन क्षेत्रों में और प्रभावी तरीके से पुलिस व्यवस्था की जाए। यदि अत्याचार और अपराध हो तो राज्य तत्काल कार्रवाई करे और अत्याचार के पीड़ितों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए उपायों को कार्यान्वित किया जाए।

मैंने लगभग दो महीने पहले एक राज्य का मामला देखा-मैं उस राज्य का नाम नहीं लूंगा। कई संसद सदस्य और उनके मित्र आए और उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उस गांव से निकाल दिया गया है और वे 100 मील दूर जाकर एक अन्य स्थान पर बस गए है उस गांव के आस-पास के कई गावों में भय का माहौल था। मैंने एक टीम को यहां से वहां तैनात किया था। वे उन ग्रामीणों से मिले। मैं आपको सूचित कर प्रसन्न हूं कि जिन लोगों ने गांव छोड़ा उनमें से अधिकांश लोगों को गांव लौटने के लिए मनाया गया और हमें उस गांव के अन्य निवासियों से आश्वासन मिला कि वे इन लोगों पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे और वे उनके साथ मान और सम्मान से पेश आएंगे। किन्तु यह तो केवल एक ही घटना है। मैं मानता हूं कि ऐसे कई मामले हैं जहां ऐसे प्रयास नहीं किए जाते है। मेरे विचार से राज्य सरकार द्वारा प्रमुखत: ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए।

राज्य यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और मान के साथ अपने रहने के परम्परागत स्थानों अथवा अपने निवास स्थान पर जीवन यापन कर सके। हमने उन्हें कुछ उपाय करने को कहा है उनमें यह है कि इन दो अधिनियमों के उपबंधों को सख्ती से लागू किया जाए; लागू करने वाली एजेंसियों को असंदिग्ध निबंधनों पर अनुदेश दिया जाए तथा उन्हें कमजोर और असहाय वर्गों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए; प्रशासन को इन समुदायों को शामिल करने के लिए और अग्रसक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, और इन कानूनों के संबंध में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

वास्तव में प्रशिक्षण समाप्त हो गया है एक बार पुन: हम प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने जा रहे हैं। प्रत्येक अधिकारी को आवधिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किन्तु वे जब प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो उन्हें सामान्यत: हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है; सामान्यत: फारेन्सिक जांच में प्रशिक्षण दिया जाता है; किन्तु इन कानूनों के प्रति इन्हें संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता या इस पर उन्हें व्याख्यान नहीं दिया जाता है। यदि आप सात दिनों के प्रशिक्षण के लिए किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो यह समय हथियार प्रशिक्षण और फारेंसिक जांच संबंधी प्रशिक्षण में ही बीत जाता है। ये चीजें पुलिस की नौकरी के ग्लैमर भरे पहलू है। किन्तु मुद्दा यह है कि उन्हें इस पहलू पर भी पर्याप्त समय, पर्याप्त पाठ और पर्याप्त व्याख्यान दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों के समक्ष मामले की पृष्ठभूमि और अध्ययन इत्यादि के माध्यम से पर्याप्त संख्या में वास्तविक मामलों को रखा जाना चाहिए और उन्हें इन कानूनों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। अब हमने कहा है कि सभी प्रशिक्षण में ऐसा प्रशिक्षण भी शामिल होना चाहिए जहां उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से जुड़े कानूनों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।

तब जब आप एक प्राथमिकी दर्ज करते हैं तो इसे मामला दर्ज करने वाले अधिकारी की सनक पर नहीं छोड़ा जाता है। उन्हें पीड़ित का बयान लेना चाहिए और प्राथमिकी में पीड़ित के ब्यान को उपयुक्त तरीके से दर्शाया जाना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति अशिक्षित हो सकता है; इसलिए ऐसा न हो कि पीड़ित व्यक्ति कुछ ब्यान दे और अधिकारी कुछ और दर्ज करे। पीड़ित के ब्यान को रिकार्ड किया जाना चाहिए और पीड़ित के बयान के आधार पर उपयुक्त धारा लगाई जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि पुलिस अधिकारी यह सोचे कि यह उनका रोजमर्रा का काम है और इसे पूरा करना है।

हमने यह भी सिफारिश की है कि हमें इन कानूनों के प्रति जागरूकता लाने के लिए मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों की सहायता लेनी चाहिए। मैंने सामुदायिक निगरानी प्रणाली के बारे में पहले ही कह दिया है। हमने यह भी कहा है कि असहाय लोगों के बीच कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता के लिए संवेदनशील

इलाकों में शिविर भी लगाए जाने चाहिए। जबकि वे पुलिस अधिकारियों और समुदाय को संवेदनशील बनाते हैं, उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच कानूनी जागरूकता और कानूनी शिक्षा संबंधी जागरूकता को भी बढ़ाना भी सृजित करना चाहिए ताकि वे अपने हकों के लिए खड़े हो सके और अपने मामलों को दर्ज कराने के लिए आगे आ सके। हमने सिफारिश की है कि ऐसे क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। एनजीओ यहां उपलब्ध है और वास्तव में हर चीज के लिए उपलब्ध है, इसलिए आप सदा बेहतर और अच्छे इरादे वाले एनजीओ का पता लगा सकते हैं। इन एनजीओ को सामने लाया जाना चाहिए। उन्हें समुदाय के साथ सहभागी होना चाहिए। उन्हें असहाय वर्गों के बीच कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समुचित स्तर पर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और प्राथमिकी की जांच अपनी देखरेख में करानी चाहिए। ऐसे वरिष्ठ अधिकारी है जो जांच में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। मैं अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर आपको उदाहरण दे सकता हूं जहां यदि एसपी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में दिलचस्पी लेते हैं तो आप देखेंगे कि उस जिले में कम से कम जब तक वह व्यक्ति एसपी है तो अपराध में काफी कमी आएगी। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव भी ऐसा ही होगा...*(व्यवधान)*

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नागर कुरनूल): समस्या यह है कि वरिष्ठ अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं आपकी बात से सहमत हूं। वास्तव में, आम धारणा यह है कि इस जिले में यहां तक कि अपराध भी पुलिस थाने की जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। यदि एसपी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विरुद्ध अत्याचार में विशेष दिलचस्पी लेता है तो आप पाएंगे कि कम से कम इन दो वर्षों के लिए इसमें कमी आयेगी जब तक वह वहां तैनात है ...*(व्यवधान)* ऐसे क्षेत्र जहां वे विशेष-रूप से वहां मेरे विचार से राज्य को चेतनापूर्वक प्रयास करना चाहिए और ऐसे नि:सहाय लोगों वाले उन जिलों में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े अधिकारियों की तैनाती की जानी चाहिए। जो ऐसे मामलों की जांच अपनी देश-रेख में करें।

हमने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट/जिला न्यायाधीश जिले के पुलिस अधीक्षक को आवधिक रूप में इस मामलों की समीक्षा करनी चाहिए, न्यायपालिका केवल यह कहकर के तटस्थ नहीं रह सकती है कि ''हम तो एक बंद चैम्बर में अलग-थलग रहते है, और हम केवल मामलों की सुनवाई करेंगे'' जिला न्यायाधीश विशेष कर्तव्य होता है। वह किसी जिले में आपराधिक न्याय के प्रशासन का जिम्मेवार होता है। वास्तव में उच्चतम न्यायालय को उन्हें यह कहना पड़ा है कि वह समय-समय पर जिला जेल का दौरा करें। इसी प्रकार, जिला न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों को आवधिक रूप से समीक्षा करनी चाहिए कि इन मामलों की स्थिति क्या है और उन्हें जल्दी से कैसे निपटाया जा सकता है। कार्यकारी प्रशासन को ही नहीं बल्कि राज्य के न्यायिक विंग को भी इन मामलों में रूचि लेनी चाहिए ...*(व्यवधान)* उन्हें इन मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। फिर हमारी मांग है कि जिला और सत्र न्यायाधीशों को एक मासिक बैठक करनी चाहिए और उस बैठक में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और लोक अभियोजक को आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्हें हर दर्ज मामले की समीक्षा करनी चाहिए न्यायिक जांच और उन मामलों की ...*(व्यवधान)* मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपसे सहमत हूं कि यह नहीं हो रहा है। मैं अतिशय रोष और पीड़ा के साथ ऐसा कह रहा हूं। परन्तु आशा है कि मीडिया इसे लेकर छापेगा और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात को उठाए और हो सकता है 700 या अधिक जिला जजों में से कुछ जिला जजों को यह आभास हो कि उनका कर्तव्य दोनों पक्षों की बात सुनना और निर्णय देना ही नहीं है। उनका कर्तव्य यह सुनिश्चित करना भी है कि उनके क्षेत्राधिकार में अपराधिक न्याय का प्रशासन कारगर रूप से काम करता है। इसलिए, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि जिला न्यायाधीश कृपा करके एक माह में एक बार अथवा दो माह में एक बार एक बैठक आयोजित करें और इन मामलों की न्यायिक जांच करें, और शीघ्रातिशीघ्र इन मामलों को निपटाएं और पूछें कि आखिर इतने मामले दोष सिद्ध नहीं होने के कारण क्यों छूट जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस समय इतने मामले दोषारोपण मुक्त क्यों होते हैं।

अब, इसके अंतिम भाग में हम पुनर्वास संबंधी मुद्दे को उठाऐंगे राज्य के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है कि वह कानून को लागू करे और ''फलां'' व्यक्ति को ''फलां'' व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के लिए दण्डित करे। उसे दण्ड दिया जा सकता है। ''उसका'' क्या जो कि पीड़ित है? आपको पीड़ित के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास हेतु उपायों को करना पड़ता है। वस्तुत: अत्याचार करने के पीछे एक कारण आर्थिक गतिविधि भी है। मेरे अनुभव से, मैंने देखा है कि कुछ क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति संपन्न है। मेरी जानकारी अधिकांशतया अनुसूचित जाति के बारे में है, अनुसूचित जनजाति के बारे में नहीं। यह आर्थिक गतिविधि के कारण है, उद्यम के कारण ऐसे क्षेत्र है जहां अनुसूचित जाति के लोग भी सम्पन्न हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोग अपने पक्के मकान बनाने में समर्थ हुए हैं। वे वाहन खरीदने की स्थिति में है। वे अच्छा पहन सकते हैं, और अपने बच्चों को बेहतर विद्यालयों में भेज सकते हैं। उन स्थानों पर अत्याचार होने के एक कारणों में से उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाना है। प्रत्येक दंगे प्रत्येक आगजनी, फसाद से वे आर्थिक रूप

से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि राज्य तत्काल उन लोगों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास हेतु कार्य करे जिन्होंने इन अत्याचारों का सामना किया है।

महोदया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मामले की तह में गया कि मामलों की परिणति दोषारोपण से मुक्ति में क्यों हो रही है। जैसा मैंने कहा, दोषारोपण से मुक्ति वाले मामले 70 प्रतिशत से अधिक हैं। आयोग ने पाया कि इसके निम्नलिखित कारण हैं, उन्होंने कई मामले लिए और उनका विश्लेषण किया। शिकायतकर्ताओं और आरोपियों के बीच होने वाली तथाकथित सुलह सच्ची नहीं होती है। मैं सुलह के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन इनमें से कुछ सुलह के मामले दबाव में की गई सुलह है; सुलह स्वयं पुलिस द्वारा कराई जाती है। इसलिए, वह सच्ची सुलह नहीं होती है। यदि सुलह सच्ची हो, तो हमें खुशी होगी। परन्तु इनमें से कुछ सुलह दबाव में की जाती है और फिर साक्षी अपने बयानों से पलट जाते हैं।

श्री जी.वी. हर्ष कुमार (अमलापुरम): महोदया, इन मामलों में प्रत्याशित जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी पुलिस के कारण है क्योंकि ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: साक्षी अपने बयानों से पलट जाते हैं अथवा साक्षी मुकदमें की तारीख को हाजिर नहीं होते हैं। तब, जज साहब के पास इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं होता कि वह आरोपी को दोषयुक्त करे क्योंकि साक्ष्य अपर्याप्त हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपा करके माननीय मंत्री महोदय की बात सुनिए। माननीय मंत्री जी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: मेरे अनुभव से, मैं सबसे बड़ी कमी विलंब को मानता हूं। विलंब के परिणामस्वरूप ''प्रासंगिक/सम्बद्ध साक्ष्य भी मिट जाता है'' इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि मामले की न्यायिक जांच तीन माह अथवा छह माह में की जाए। यदि आप मामले में विलम्ब करते हैं; यह निश्चित है कि साक्ष्य मिट जाए; सुलह का दबाव बनाया जाएगा; साक्षी अपने बयानों से पलट जाएगें। उसके बाद, न्यायाधीश पर आरोप लगाने का क्या फायदा है? क्योंकि जज को उसे दोषमुक्त करना पड़ता है? इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि-मैं इसे दोहराता हूं- जिला जज अपने क्षेत्राधिकार में अपराधिक न्याय के प्रशासन की जिम्मेवारी ले। उन्हें प्रत्येक माह निगरानी समिति की बैठकें करनी चाहिए। उन्हें डीएम, एसपी और अन्य को बैठक में बुलाना चाहिए और अपने सभी जजों, उप-जजों और मजिस्ट्रेटों पर यह जोर डालना चाहिए कि इन मामलों की न्यायिक जांच की जाए और निर्णय तीन अथवा 6 महीनों के भीतर सुनाया जाए। कोई निर्णय देना असंभव नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीर पुर): उच्च न्यायालय को जिला जज और कलेक्टर की निगरानी करनी चाहिए। अन्यथा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: मैं आपसे सहमत हूं। वास्तव में प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालयधीन जज एक जिले का प्रभारी होता है। उच्च न्यायालय के उस जज के अब उस जिले की निगरानी करनी चाहिए। मैं इस बात पर आपसे सहमत हूं।

एक अन्य समस्या है। हमने राज्यों और उच्च न्यायालयों से विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए कहा है। अब जब आप एक विशेष न्यायालय नियत करते हैं, जो कि एक सत्र न्यायालय होता है, तब आप इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों के लिए नियत नहीं करते हैं परन्तु आप इसे बहुत सारे अन्य मामलों के लिए भी नियत करते हैं। फिर, पीड़ित मामलों की उस श्रेणी में आता है जिनमें कार्यपालिका अथवा पुलिस को कोई खास रूचि नहीं होती है। इसलिए, विशेष न्यायालय वास्तव में विशेष न्यायालय नहीं हैं। उनसे विशेष न्यायालय कहना नाम देना है क्योंकि एक विशेष न्यायालय कई बातों में विशेष न्यायालय होता है। इसलिए, यह विशेष न्यायालय नहीं रह जाता ...*(व्यवधान)*

और फिर, विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट के समनुदेश के बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है वह पी.ओ.ए. अधिनियम में एक प्रावधान है, जिसे, मैं एक कमी मानता हूं।

उस कमी को ठीक करने की हमारी मंशा है। उसे मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए वायदे के बिना भी किसी मामले का संज्ञान लेने में समर्थ होना चाहिए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं। उदाहरणार्थ वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संरक्षण सेल (प्रकोष्ठ) स्थापित करने के लिए सहायता दे रहा है; वह संवेंदनशील क्षेत्रों में विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए सहायता दे रहा है।

वह अलग से विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों, अन्तर्जातीय विवाहों हेतु प्रोत्साहन देने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और राहत के लिए सहायता दे रहा है। लेकिन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का बजट वर्ष 2004 में यूपीए के सत्ता में आने के बाद से अत्यधिक बढ़ गया है। मेरे विचार से मेरे साथी श्री मुकुल वासनिक ने आपको संख्या बतायी होगी। परन्तु मैं फिर भी यह समझता हूं कि इन प्रयोजनों हेतु निधियां अपर्याप्त हैं। हमारा देश बहुत विशाल है। इसलिए, इस मंत्रालय को और अधिक निधियां आबंटित की जाएं ताकि वह इस मामले में अपने प्रयासों में तेजी ला सकें जिसका मैंने अभी जिक्र किया है।

महोदया, कुछ राज्यों ने इस सम्बंध में अच्छा किया है और मैं इन राज्यों की प्रशंसा करता हूं। उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश ने 22 जिलों में 22 सचल न्यायालय स्थापित किए हैं ...*(व्यवधान)* आखिरकार, चाहे वे अग्रिम जमानत दें अथवा नियमित जमानत, किसी विचाराधीन कैदी के सदैव जेल में बंद नहीं रखा जा सकता, आपको देश के कानून का ज्ञान है। जमानत अधिकतर मामलों में मिल ही जाती है, जेल भेजा जाना अपवादस्वरूप है। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वे जमानत देते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि ये सचल न्यायालय मामलों का निस्तारण जल्दी से करें। एक बार मामले का निर्णय हो जाने पर, अभियोग लगेगा अथवा रिहाई होगी ...*(व्यवधान)*

तमिलनाडु राज्य ने चार जिलों में चार विशेष न्यायालयों की स्थापना केवल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के वास्ते की है, अन्य जिलों में उन पर कुछ अन्य मामलों का भार भी है। लेकिन इन चार मामलों में, जो अत्याधिक संवेदनशील हैं, वास्तव में इस प्रयोजनार्थ ''विशेष न्यायालय'' हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: यदि हाउस एग्री करता है, तो मिनिस्टर साहब की रिप्लाई तक हाउस को बढ़ा दिया जाए, उसके बाद हाफ ऐन ऑवर डिस्कशन, 15 नंबर लेंगे।

कई माननीय सदस्य: हां।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: इसलिए हाउस की सिटिंग का समय बढ़ाया जाता है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं ये उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये अच्छी व्यावहारिक पद्धतियां हैं और उनका अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए। त्रिपुरा में, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को विशेष न्यायालय देखने का अधिकार दिया गया है। केरल ने जिला न्यायालय को ही विशेष न्यायालय का दर्जा दिया है। परन्तु, जैसा मैं कह रहा हूं, जिला न्यायालय पर पहले ही इतने मामलों का भार है। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि वह इन मामलों को हल करने का कारगर तरीका है। चंडीगढ़ ने एक विशेष न्यायालय के रूप में अपर सत्र न्यायाधीश को नियत किया है। पुडुचेरी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को विशेष न्यायालय के रूप में निर्धारित किया हैं बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विशेष थाने स्थापित किए गए हैं और मेरे विचार से अन्य राज्यों को भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों और अत्याचारों से निपटने के लिए विशेष थाने बनाने चाहिए।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): पश्चिम बंगाल ने कोई विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: जी नहीं, यह सही नहीं है। पश्चिम बंगाल ने जिला न्यायाधीश को एक विशेष न्यायालय के रूप में नियत किया है। परन्तु वह, जैसा मैं कह रहा हूं, मामले से निपटने का अधिक प्रभावी तरीक नहीं है ...*(व्यवधान)* यह एक गंभीर विषय है और हमें राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठना चाहिए।

अधिनियम विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की अनुमति देता है और मुझे आशंका है कि कोई अधिक राज्यों ने विशेष लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किए हैं। नियमित लोक अभियोजक इन मामलों को निपटाते हैं। परन्तु मैं आश्वस्त हूं कि नियमित लोक अभियोजक और नियमित न्यायालय वहां है और फिर आप उन्हें सिर्फ इस कारण से ''विशेष कहते हैं क्योंकि अधिनियम आपसे उन्हें ''विशेष'' कहने की अपेक्षा करता है ऐसी स्थिति में वे कुछ और भले ही हों किन्तु 'विशेष' बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको वास्तव में विशेष लोक अभियोजकों और विशेष न्यायालयों को उद्दिष्ट करना होगा यदि आपको इन लोगों के विरूद्ध किए जाने वाले अपराधों की जड़ में जाना है।

महोदया, 23 राज्यों ने अ.जा./अ.ज.जा. संरक्षण सेल स्थापित किए हैं, मैं आपको उन राज्यों के नाम दे सकता हूं। परन्तु सभी बड़े राज्यों ने अ.जा./अ.ज.जा. संरक्षण सेल स्थापित की है, परन्तु अधिनियम में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऐसे अधिकारियों को 28 राज्यों में नियुक्त किया गया है। अधिकांश राज्यों में राज्य स्तरीय सतर्कता व निगरानी समिति है जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। परन्तु मुझे नहीं पता कि निगरानी समिति की बैठक प्राय: कितनी बार होती है और इसके संज्ञान में आने वाले मामलों पर कितनी बार विशेष विशिष्ट निर्देश देती है।

सामाजिक न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति है। समिति की स्थापना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार

निवारण) अधिनियम, 1989 के पारित होने के बाद की गयी। उस समिति की अब तक 10 बार बैठकें हो चुकी हैं। 25 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने स्थिति की समीक्षा की थी। उस समिति ने कहा है कि निम्नलिखित पांच क्षेत्र चिन्ता के सर्वाधिक महवपूर्ण क्षेत्र हैं: प्रथम, दोष मुक्ति की उच्च दर, द्वितीय मामलों के लंबित रहने की उच्च दर और निस्तारण की बहुत निम्न दर, तृतीय, अधिनियम के निवारक प्रावधानों का अपर्याप्त प्रयोग, दण्डात्मक प्रावधानों को तो लगाया जाता है और एफआईआर दर्ज की जाती है परन्तु निवारक प्रावधानों को विरले ही कभी लगाया जाता है, चतुर्थ, कि अधिनियम में उपबंध की गई समितियों और अन्य प्रणालियों को वस्तुत: प्रयोग में नहीं लाया जाता है और पंचम, अधिनियम अपने आप में ऐसा नहीं है कि जो आततायी के मन में भय का संचार करे, शायद यह इतना अवरोधपूर्ण नहीं है जितना कि हम समझते हैं। इसीलिए, हमने 1 अप्रैल, 2010 को सलाह जारी की है जिसमें अधिनियम के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

महोदया, पीओए नियमों की अधिसूचना मार्च 1993 में जारी की गई थी, अर्थात 15 वर्ष पहले। चूंकि सामाजिक न्याय मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अधिनियम के प्रावधान और नियम अत्याचारों के प्रति शायद इतनी अवरोधकारी प्रभाव न रखते हो, हम नियमों को संशोधित करने की प्रक्रिया में हैं। नवम्बर 2009 में प्रारूप संशोधन किए गए थे। हम अब राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, अन्य मंत्रालयों तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से सलाह-मशविरा कर रहे हैं और मेरे सभी, श्री मुकुल वासनिक मुझे बताते हैं कि बहुत जल्दी ही नियमों में संशोधन किया जाएगा और नियमों को अधतन किया जाएगा। हम नियमों को और कड़ा और सख्त बनाने का प्रयास करेंगे ताकि अधिनियम को और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

भारत सरकार में, प्रमुख मंत्रालय अथवा प्रमुख तंत्र जिससे हमें इस मामले में बात करनी होती है, वह वास्तव में सामाजिक न्याय मंत्रालय है। हमारे पास युवा गतिशील मंत्री हैं। वह मामलों में अत्यधिक रूचि ले रही हैं। और कहा कि आपको अधिनियम को सख्ती से लागू करना है।

वो जो भी उपाय करते हैं और जो भी सलाह वह राज्यों को देते है हमें उन्हें अपनी पूर्ण सहायता देनी चाहिए संसद को पूरा समर्थन देना चाहिए ताकि देश, राज्यों की सरकारे जान सकें कि उन्हें संसद का पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

महोदया मैं और आंकड़े और विवरण दे सकता था परन्तु वह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि वह हमारे लिए एक कलंक है, जहां भी हम जाते हैं, जिससे भी हम बात करते हैं भारत में और विदेशों में, लोग हमसे पूछते हैं कि हम अपनी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसका दलगत राजनीति या दर्शन या विचार धारा से कोई संबंध नहीं है। मुद्दा यह है कि जब तक हम हमारी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों और हमारे सबसे बड़े उपेक्षित और कमजोर वर्ग महिलाओं को गरिमा तथा समान आदर नहीं देते हम स्वयं को एक सभ्य देश नहीं कह सकते और न ही कह सकते हैं कि हम गांधी, नेहरू और सरदार पटेल की भूमि से हैं।

ये चार हैं जो देश में सर्वाधिक कमजोर वर्ग है जहां भी आप जाएं विद्वत परिषदों में, विश्वविद्यालयों में जहां मानवाधिकार संगठन से जुड़े लोग इकट्ठे होते हैं अकसर यही प्रश्न पूछा जाता है कि बहुत अच्छा, आप एक सक्रिय ऊर्जावान देश है आप एक उभरती शक्ति है, परन्तु आप अपनी अनुसूचित जातियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं आप अपने अल्पसंख्यकों के साथ और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में जैसा कि मैंने कहा जैसे हमारी समाज की संरचना है से कुछ बहुत गहरा संबंध है। वास्तव में समाज के इन ढांचों में से कुछ का सृजनात्मक बदलाव ही एक मात्र तरीका है जिससे हम इन भिन्नताओं से ऊपर उठ सकते हैं।

श्री कल्याण बनर्जी: अन्य देशों में कितनी अनुसूचित जातियां हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: शायद ही कोई हो। अन्य देशों में समाज में विभाजन का प्रकार भिन्न है वहां प्रजाति का वर्गीकरण है, जनजातियों के वर्गीकरण है कुछ जनजातियों को ऊंचा समझा जाता है और कुछ जनजातियों को निम्न समझा जाता है। इस प्रकार ऐसे वर्गीकरण कुछ अन्य देशों में भी है। परन्तु हम विलक्षण है, जाति प्रणाली केवल हमारे ही समाज में हैं। परन्तु हमें इससे ऊपर उठना है हमें लोगों को जाति बंधन तोड़कर जाति पाति से ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करना है और हमारे युवाओं को जाति से आगे बढ़कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है जब कभी-कभी हम जातिगत खाई को बढ़ाते हैं तो मेरे विचार से हम गलत कर रहे होते हैं। परन्तु उससे एक बड़ा वाद-विवाद उत्पन्न हो जाएगा और इस समय बड़ा विवाद शुरू करने का मेरा कोई इरादा नहीं है।

कुछ कदम जो हम उठाते हैं जाति की खाई को गहरा करते हैं दूसरी ओर हम बात करते हैं कि जातिगत बंधनों के कैसे तोड़ा जाए और हमारे समाज के ढांचे के सृजनात्मक रूप से कैसे बदला जाए। यह जो भी हो, मेरे विचार से मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है राज्य की सरकारें आपकी हम सब की है।

हमें राज्य सरकारों को इन कानूनों को लागू करने के लिए जोर डालना चाहिए। जब हम इन नियमों में संशोधन करेंगे तो इन कानूनों को और मजबूत बनाएंगे और यदि आवश्यक हो, मुझे विश्वास है कि मंत्री जी अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में आएंगे। इसी दौरान राज्य सरकार कार्यपालिका और न्यायपालिका से मेरी अपील है कार्यपालिका को बड़ा दायित्व वहन करना चाहिए; मुख्यमंत्री विशेष दायित्व लें, जिला न्यायधीश यह सुनिश्चित करने हेतु विशेष दायित्व लें कि सर्वाधिक सुभेद्य क्षेत्रों में इसे रोका जाए और दोषियों को सजा दी जाए।

अंतत: मैं एक बार पुन: जिला न्यायधीशों से अपील करूंगा कि आप न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर हैं; आपके पास सजा देने का अधिकार हैं जो किसी भी अन्य पुरुष या महिला के पास नहीं है। यह एक असाधारण अधिकार है। ऐसा अधिकार जो केवल शासक को दिया जाता है। केवल आप ही के पास सजा देने का अधिकार है। आपका दायित्व है कि सुनिश्चित करें कि दांडिक न्याय को समुचित रूप से लागू किया जाए। आपको इन बैठकों की अध्यक्षता माह में एक बार अवश्य करनी चाहिए। आपको डीएम, एसपी और अभियोजक को अवश्य बुलाना चाहिए। आपको इन मामलों की समीक्षा अवश्य करनी चाहिए। आपको मामलों के निपटान की दर में भी अवश्य सुधार करना चाहिए आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्षी उपस्थित हो, मुकदमें शीघ्र निपटें और दोषियों को सजा मिले।

जहां तक पीड़ितों का संबंध है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को मुआवजा मिले और सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास हो। यदि हम सभी, एक साथ अधिक इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय दिखाए, तो मुझे विश्वास है कि स्थिति सुधरेगी। यदि हम अपने जीवन काल में यह नहीं भी कह सकते कि हमने सब कुछ बदल दिया है, मुझे उम्मीद है कि कम से कम हमारे बच्चों के जीवन काल में एक दिन आएगा जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हमारे द्वारा किये जा रहे अपमान, अपराध और अत्याचार समाप्त हो जाएंगें और हम कह सकेंगे कि वे इन अपराधों और अत्याचारों से मुक्त हैं और वे इस देश में सम्मान पूर्वक रह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* आपने हमें बाढ़ एवं सुखाड़ विषय पर प्रश्न पूछने दिया था, लेकिन अब आप हमें प्रश्न नहीं पूछने दे रही हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. बलीराम (लालगंज): सभापति महोदया, मंत्री जी ने पूरा जवाब नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)* *

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदया, आप हमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने नहीं दे रही हैं, इसलिए मैं सदन से वाक आउट करता हूं।

अपराह्न 5.43 बजे

तत्पश्चात् श्री शैलेन्द्र कुमार सभा भवन से बाहर चले गए।

डॉ. बलीराम: सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने राज्य सरकारों के ऊपर कानून व्यवस्था थोप दी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपके बस में है, जो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जैसे हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारा जो रिजर्वेशन है, वह आज तक नौकरियों में पूरा नहीं हुआ है। जो सैंट्रल गवर्नमैंट की यूनीवर्सिटीज हैं, उनमें यूजीसी की गाइडलाइन्स के आधार पर अनुसूचित जाति-जनजाति के जो कोटे भरे नहीं गये हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप डायरेक्ट प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: माननीय सदस्यगण, हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए।

डॉ. बलीराम जी, आप केवल प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप लोग शांत रहिए, उनको प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, जो बैकलॉग है, वह पूरा हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: माननीय मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया आरक्षण के प्रश्न पर हम बहुत स्पष्ट रहें। मैं इसके संबंध में डींग नहीं हांकना चाहता। यूपीए के सभी घटक दल, और मुझे विश्वास है कि यहां पर उपस्थित अन्य सभी दल भी और कांग्रेस पार्टी जो सरकार का नेतृत्व कर रही है, ने 1950 में प्रथम संशोधन से ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण हेतु पूर्णतया वचनबद्धता दर्शाई है। अब 1986-87 में जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे मुझे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामले मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, हमने पिछली चली आ रही रिक्तियों को भरने के लिए पहला विशेष अभियान चलाया और सात महीनों के भीतर 55000 रिक्त पदों को भरा गया। यह एक रिकार्ड है।

यूपीए-I में सरकार ने डी ओपीटी के माध्यम से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मामले मंत्रालय के माध्यम से 54000 पिछली संचित रिक्तियों को भरा। आप जानते हैं कि ये रिक्त पद कैसे विभिन्न कारणों से संचित हो जाते हैं। उनमें से अनेक कानूनी कारण होते हैं, उन लोगों द्वारा दिए जाते हैं जिनका काम कानूनी कारण तैयार करना होता है परन्तु हम इस रिक्त पदों को भरने के लिए पूर्णत: कृतसंकल्प हैं। यूपीए-I में हमने 54000 पद भरे। यदि हम पाते हैं कि इन आरक्षित रिक्त पदों पर लोगों को नियुक्त करने के हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद रिक्तपदों की बकाया संख्या बढ़ रही है तो पिछली चली आ रही इन रिक्तियों को भरने के लिए हम एक और अभियान चलाएंगे।

सभापति महोदया: अब श्री शैलेन्द्र कुमार।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: श्री शैलेन्द्र जी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदया: कृपया एक-एक करके बोलें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डॉ. बलीराम: मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपका प्रश्न हो चुका है, उसका उत्तर आ गया है।...*(व्यवधान)*

शैलेन्द्र कुमार जी, आप बोलिए।

डॉ. बलीराम: महोदया, 68,000 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की नौकरियों को सामान्य कैटेगरी के लोगों से भर लिया गया है, उसके बारे में क्या होगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान: अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया गया है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री दारा सिंह चौहान जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: एक क्षण रुकिए। जहां तक मुझे कानून की जानकारी है उसके अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त को केवल भविष्य के लिए आगे ले जाया जा सकता है न कि उस पर गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं कल सही तथ्य रखूंगा अथवा कल आप इन तथ्य को सुधार सकते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान: किसी भी पीएसयू में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक भी शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी नहीं है। . ..*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फ़रीदकोट): रेलवे में ऐसी बहुत सी वैकेंसी पड़ी हुई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे बताइए कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पता लगाऊंगा ... *(व्यवधान)* मुझे बताईए, मैं इसे देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं विशेष रूप से अध्यक्ष महोदया का भी आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम 193 के तहत चर्चा की अनुमति प्रदान की। यहां पर आदरणीय सोनिया जी, चिदम्बरम जी, मुकुल वासनिक जी और सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी उपस्थित हैं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी के समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान चलाया था। आज उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। आपने जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया है, उसे कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मेरा निवेदन है कि उसे भी चुनाव आयोग की तरह संवैधानिक अधिकार देने की व्यवस्था की जाए और इस आयोग में चार महीने से पद खाली हैं, उन्हें शीघ्र भरा जाकर इसका गठन किया जाए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदया, अनुमंडल से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्यायपालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वह क्यों नहीं रहा है? केन्द्र सरकार द्वारा देश भर में अधिवक्ताओं को मनोनीत किया जाता है, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व नगण्य है, यह क्यों है? सरकार के जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, बोर्ड हैं या बैंक के डायरेक्टर्स हैं, उनमें कहीं भी इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों? गृह मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सबको कास्ट सिस्टम का डर है, तो भारत सरकार जाति प्रथा के समूल नाश के लिए क्या नीति बनाना चाहती है, जिससे देश से जाति प्रथा का समूल नाश हो जाए और यह प्रथा खत्म हो जाए?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, मुद्दा यह है कि क्या वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित धनराशि को अलग-अलग दर्शा रहे हैं? आपको स्मरण होगा जब मैं वित्त मंत्री था प्रारंभ में 2005-06 के बजट में हमने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कार्यक्रमों के लिए आबंटित समूची धनराशि को दर्शाते हुए एक विवरणी प्रस्तुत की थी और उसके बाद विवरणी के दूसरे भाग में उन कार्यक्रमों को शामिल किया था जिनसे उन्हें भी लाभ मिलेंगें। वही परम्परा जारी है। यदि कृपया कर आप इस वर्ष के बजट पत्रों के देखेंगे तो पाएंगें उसमें एक विवरणी है जो यह दर्शाती है कि यह राशि पूरी भारत सरकार के लिए है।

अब, मुझे मेरे साथियों ने बताया है कि कुछ मंत्रालय दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्यक्रमों से संबंधित धनराशि को दर्शाने के लिए लघु शीर्ष बना रहे हैं। मुझे अभी सूचना मिली है कि योजना आयोग ने डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो अब इस मामले की जांच कर रही है और वह समिति ऐसे दिशानिर्देश, अनुदेश तैयार करेगी जिनके लिए हम प्रत्येक मंत्रालय, प्रत्येक विभाग पर इस बात के लिए जोर डालेंगे कि वह यह दर्शाए कि कितनी धनराशि है और वह किस प्रकार खर्च की जा रही है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदया, देश की बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति पर चर्चा के मुद्दे पर इस सभा में आंशिक रूप से चर्चा हुई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि आप अनुमति दें तो कल हम थोड़ी देर और बैठेंगें, और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगें और इस चर्चा को समाप्त करेंगें।

सभापति महोदया: यह आज पहले ही समाप्त हो चुकी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): मंत्री जी को यह भी नहीं मालूम कि इस पर डिसकशन खत्म हो गया है।

सभापति महोदया: मंत्री जी दूसरे सदन में थे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 5.54 बजे

आधे घंटे की चर्चा

उर्वरकों की उपलब्धता

[अनुवाद]

सभापति महोदया: सभा अब मद सं. 15 आधे घंटे की चर्चा को लेगी।

श्री रुद्रमाधव राय (कंधमाल): महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे उर्वरकों की उपलब्धता के संबंध में तारांकित प्रश्न सं. 162 पर 5 अगस्त, 2010 को रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उठे बिन्दुओं पर चर्चा करने का अवसर दिया।

प्रश्न का सार कुछ इस प्रकार है कि क्या कई उर्वरक इकाईयों को बंद किया गया है; उनकी संख्या कितनी है और बंद होने के कारण क्या हैं; उत्पादन की कितनी क्षति हुई है; उर्वरकों की उपलब्धता के लिए की गई कार्रवाई, परिणमत: उपलब्धता, तथा सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों तथा उन पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? उस प्रश्न में इन बिन्दुओं को उठाया गया था।

महोदया, आपको पता चल ही गया होगा कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर संपूर्ण सभा और सभी सदस्यों ने मंत्री के उत्तर पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है। मंत्री ने अपने उत्तर में माना है कि एफसीआईएल की पांच तथा एचएफसीएल की तीन इकाईयां बंद हो चुकी हैं।

अपराह्न 5.56 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

इसी प्रकार से निजी क्षेत्र में तीन इकाईयां बंद हो गयी हैं। इसलिए, देश की घरेलू मांग 280 एलएमटी है, जबकि हमारे देश में वार्षिक उत्पादन 211.12 एलएमटी है। इस प्रकार से हमारे देश में उर्वरकों विशेषकर यूरिया की 70 एलएमटी की कमी है। सरकार ने यूरिया के आयात की व्यवस्था की है। इसलिए उत्तर में, मंत्री ने यह बात कही कि केवल एक कंपनी अर्थात ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी ने ही 20.62 एलएमटी का आयात किया है। इसलिए मंत्री के उत्तर के अनुसार 70 एलएमटी मांग की तुलना में केवल 20.62 एलएमटी की व्यवस्था की गयी है। इसलिए शेष 50 एलएमटी का आयात कौन करेगा?

अतएवं, इससे सभा में संदेह पैदा हो गया है और मंत्री को यह बताना चाहिए कि देश के किसानों के लिए आवश्यक यूरिया की मांग वे किस प्रकार पूरा करेंगें। महोदया, आप जानते ही हैं कि उर्वरकों के उपयोग से कृषि उपज के उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन बढ़ाकर हम देश में गरीबी से लड़ सकते हैं। महोदया आप जानते ही हैं उर्वरकों का उपयोग बढ़ाकर हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पड़ोसी देशों की तुलना में अपने देश में उर्वरकों का उपयोग कम होता है। चीन में प्रति हेक्टेयर 260 किलो उर्वरक की खपत होती है परन्तु भारत में प्रति हेक्टेयर 120 किलो की खपत है। उड़ीसा में, इसकी स्थिति बेहद शोचनीय है वहां प्रति हेक्टेयर 62 मिलो उर्वरकों का उपयोग होता है। इसलिए हमें उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि करनी होगी।

अतएव, सरकार ने बंद पड़ी इकाईयों के जीर्णोद्धार के तौर तरीकों और निवेश के आयामों का पता लगाने के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति बनायी है और वे अपनी सिफारिशें सरकार को सौप चुके हैं।

सभापति महोदय: श्री रुद्रमाधव राय, कृपया प्रश्न पूछने का प्रयास करें।

श्री रूद्रमाधव राय: परन्तु मंत्री ने अपने उत्तर में नहीं बताया कि समिति ने क्या सिफारिश की है। इसलिए मंत्री को यहां यह बताना चाहिए कि इकाईयों के जीर्णाद्धार के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने सरकार से क्या सिफारिश की थी।

दूसरी बात यह है कि मंत्री उड़ीसा में इकाईयों के जीर्णोद्धार के संबंध में बहुत ज्यादा भ्रमित हैं। तालचेर उड़ीसा में मंत्री ने दो वक्तव्य दिए है जिनके कारण मेरे और उड़ीसा के लोगों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न हो गया है।

सभापति महोदय: आप जो प्रश्न उठाना चाहते हैं, उसे उठाईए।

...(व्यवधान)

श्री रूद्रमाधव राय: 12.06.2010 को मंत्री ने उड़ीसा के अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों में से एक 'समाज' को बताया था कि तालचेर की इकाई कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र बनेगी।

सायं 6.00 बजे

और गैस कोयले से तैयार की जाएगी। परन्तु 20 अगस्त को ''इकोनोमिक टाइम्स'' में यह आया है जिसमें उन्हीं मंत्री महोदय ने कहा है कि पुनरूद्धार योजना में तलचर संयंत्र को कोयला आधारित यूरिया संयंत्र से गैस आधारित यूरिया संयंत्र में बदलने का

प्रस्ताव शामिल था। तलचर में जल की कोई समस्या नहीं है। गैस की अनुपलब्धता पुनरूद्धार के रास्ते में बड़ी बाधा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अब 6 बजे हैं। यदि सभा स्वीकार करे तो हम सभा के समय को हॉफ एन आवर डिस्कसन (आधे घंटे की चर्चा) और ''शून्य काल'' समाप्त हो जाने तक और बढ़ा सकते हैं माननीय सदस्य अपनी बात आगे कह सकते हैं और प्रश्न रख सकते हैं।

श्री रूद्रमाधव रायः प्रस्तावित गैस पाइपलाइन रिलायन्स इण्डस्ट्री के सहयोग से कृष्णन-गोदावरी घाटी से पश्चिम बंगाल तक बिछाई जाएगी। तथापि, मंत्री विचार-विमर्श और तलचर इकाई के वित्तीय पुनरूद्धार की विस्तृत रिपोर्ट को पढ़कर अंतिम राय बनाएंगे। मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या तलचर इकाई गैस आधारित इकाई होगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, सदन में कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आवश्यक नहीं मंत्री जिन्हें उत्तर देना है यहां मौजूद हैं

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी):

[अनुवाद]

माननीय मंत्री श्री मुकुल वासनिक यहां थे,

[हिन्दी]

वे अभी यहां से गए हैं।

श्री दारा सिंह चौहानः सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है।

श्री वी. नारायणसामीः कैबिनेट मिनिस्टर अभी आ जाएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः वह आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री यहां हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः माननीय सदस्य प्रश्न पूछें। हमें ''शून्य काल'' भी लेना है, कृपया अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री रूद्रमाधव रायः माननीय मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या तलचर यूनिट कोयले से निकाली जाने वाली गैस पर आधारित इकाई होगी, अथवा तलचर के माध्यम से पाइपलाइन डाली जाएगी। वह इस सभा में यह भी बताएं कि समयबद्ध कार्यक्रम क्या है।

दूसरे, यह सरकार जो उर्वरक उत्पादन के मामलों में बहुत लापरवाह है। 50 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए अब तक कोई योजना नहीं बनाई गई हैं।

इसी प्रकार, उड़ीसा की धारित्री पेपर ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः इसकी अनुमति नहीं ली जा सकती है कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः श्री हंसराज गं. अहीर बोलें

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, मैंने सुबह नोटिस दिया था। आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मैं तो बैलट के अनुसार ही जा सकता हूं। अन्यथा, इसका कोई अंत नहीं है। यह हॉफ-एन-ऑवर डिस्कसन है। हमें कतिपय नियमों का अनुपालन करना होता है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः महोदय, आप हमें बोलने का मौका दीजिए। यह परम्परा गलत है।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री हंसराज गं. अहीर बोल रहे हैं। कृपया उनके बोलने के समय में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः यदि आप इस तरह से व्यवधान करते रहेंगें तो मैं सदन को नहीं चला सकता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः जब वह मुद्दे को उठा रहे हैं तब आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः उनके बोलने की बारी है। आप अब क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमारः यह व्यवस्था का प्रश्न है। हमने सुबह नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः क्या मैंने आपका नाम बोला है? तो आप अब क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः आप पीठ को इमला नहीं दे सकते। जब वह बोला रहे हैं; आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने 5 तारीख को जवाब दिया था वह यूरिया के बारे में ही था। प्रश्न यूरिया के लिए ही नहीं पूछा गया था बल्कि सभी उर्वरकों के बारे में पूछा गया था। डीएपी की भी कमी है, अनेक उर्वरकों की देश में कमी है। आपको सारे उर्वरकों के बारे में जवाब देना था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जवाब को दुरुस्त करेंगे। आपने स्वीकार किया है कि देश में सरकार द्वारा संचालित आठ इंडस्ट्री बंद हो गई हैं। आपने इनके बंद होने की वजह बिजली की कमी, गैस की कमी बताई है। इसके साथ अधिक इम्पलाएमेंट देने की वजह से कंपनी को लॉस हो रहा था, इस वजह से भी बंद की हैं। सरकार इसे हल कर सकती थी लेकिन आपने वह प्रयास नहीं किया है। आपने सिर्फ यूरिया के बारे में कहा है, यूरिया की कमी के बारे में बताया है कि 60 लाख टन यूरिया कम है। डीएपी की कितनी कमी है? अन्य उर्वरकों की कितनी कमी है। आपने 20 लाख टन आयात किया है जबकि कमी 60 लाख टन है। इसके चलते हो यह रहा है कि देश में सभी जगह उर्वरकों की कमी से कालाबाजारी हो रही है। खाद की आपूर्ति कम होने की वजह से नकली और मिलावटी उर्वरक बेचे जा रहे हैं। विदर्भ में गोंदिया में एक उद्योगपति को जैन इंडस्ट्री, जो नकली खाद बना रहे थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उन्हें रखने का प्रयास कीजिए।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीरः महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कमी का परिणाम क्या हो रहा है। नकली और मिलावटी खाद बिक रहा है जिसे गरीब किसानों को लेना पड़ता है। यह इतने में ही नहीं रुकता है, अगर कोई डीएपी या यूरिया ले रहा है, कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी द्वारा गोदावरी डीएपी दिया जाता है, तो वहां जो कंपनियां सप्लाई करती हैं,उसके लिए लिंकिंग की जाती है कि आपको गोदावरी गोल्ड लेना ही पड़ेगा जो आर्गेनिक खाद है जबकि किसानों को इसकी जरूरत नहीं है। इफको द्वारा यूरिया लेते है तो काक्रेस ऑर्गेनिक खाद लेनी ही पड़ती है। इस तरह से आरसीएफ में भी लिंकिंग हुई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री धर्मेन्द्र यादव, अब आप बोलिए। अन्यथा अगले सदस्य को बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीरः इस तरह की पद्धति में किसान लूटा जा रहा है। मैं आपको बता रहा था कि पैरामिंट पीपीएल कंपनी जिप्सम लेने के मजबूर करती है। मैंने विदर्भ में यवतमाल जिले में चन्द्रपुर जिले में दुकानों में जाकर नजदीक से देखा है इसलिए

मैं कह रहा हूं कि कमी है। आप आयात भी कर रहे हैं तो भी पूरा नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि बंद इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सरकार क्या प्रयास करने जा रही है? ईमानदारी से प्रयास करने वाली है या ऐसे ही जवाब देगी? क्या आप खाद की कमी को पूरा करने के लिए आयात करने जा रहे हैं? जब फसल होनी होती है किसानों को डायरेक्ट और वक्त पर खाद देने की जरूरत पड़ती है लेकिन आपके यहां से सप्लाई में विलंब होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः यह चर्चा नही है जरा समझिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीरः जिससे किसानों को ब्लैक में खाद लेनी पड़ती है। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर और क्या कार्यक्रम बना रही है?

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री धर्मेन्द्र यादव के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूं)**:** मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः आप को प्रश्न पूछना है भाषण नहीं देना है

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादवः महोदय, किसानों का मसला है, आधा घंटा तो चलने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः 15 मिनट समाप्त हो चुके है। मंत्री जी को उत्तर भी देना है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादवः सभापति महोदय, अपने जवाब में माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि इतने कारखाने बंद हैं और कारखाने बंद होने के कारण यूरिया और अन्य तमाम उर्वरकों की कमी है। लेकिन माननीय मंत्री जी मेरा आपसे पहला सीधा सवाल यह है कि देश जानना चाहता है कब तक बंद कंपनियां शुरू होंगी और भारत जैसा कृषि प्रधान देश यूरिया और रसायन के मामलों में कब तक आत्मनिर्भर होगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पहले सरकार की कृषि में सहायता देने की योजना थी और यह योजना भी थी कि अधिकतम मूल्य निर्धारित हो जाता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उतार-चढ़ाव का बोझ सरकार झेलती थी। लेकिन भारत सरकार की नीति मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि भारत सरकार ने न्यूनतम सहायता घोषित कर दी और ऊपर की सहायता पूरी की पूरी भारत के गरीब किसानों के कंधों पर लाकर छोड़ दी है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इसके निर्माता, इसके निर्यातकों का एक बड़ा कार्टेल बना हुआ है। भारत सरकार हमारे देश में यूरिया की कालाबाजारी नहीं रोक पा रही है। लेकिन उसके बावजूद विदेशी निर्यातक, विदेशी निर्माताओं के हाथ में भारत के करोड़ों किसानों का भविष्य छोड़ दिया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला है, जिस फार्मूले से आप भारत के किसानों को प्रभावित होने से रोक पायेंगे? यदि अंतर्राष्ट्रीय निर्माता और निर्यातक मिल गये तो आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है, जिससे हमारे किसान बच पायेंगे? आपने न्यूनतम सहायता घोषित कर दी है और उसके अलावा पूरा किसानों के ऊपर छोड़ दिया गया। हम कहना चाहते हैं कि तमाम आंकड़े कह रहे हैं और हम बड़ा गर्व कर रहे हैं कि इस अतर्राष्ट्रीय मंदी के दौर में भी हमने 8 से 10 प्रतिशत की विकास दर बनाकर रखी है। वहीं मैं मंत्री से कहना चाहता हूं कि आज किसानों की विकास दर दो फीसदी से भी नीचे हो गई और यूरिया के नाम पर आपने सब्सिडी रोक दी है, आखिर इस देश का किसान कहां जायेगा, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा)**:** सभापति महोदय, आपने उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में मुझे अपना मत रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे उर्वरक राज्य मंत्री जी ने 22 जून, 2010 को सभी सांसदों को खत लिखा था कि इस साल उर्वरकों की कमी नहीं रहेगी। जबकि इसके विपरीत पूरे देश में यूरिया की कमी महसूस की जा रही है। एक तरफ देश में एक तरफ यूरिया की बहुत ज्यादा तंगी है, वहीं दूसरी तरफ कंडला, मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर 70 लाख टन यूरिया पत्थर हो गया है। हमारे देश की उर्वरक कंपनियां पर्याप्त मात्रा में

प्राकृतिक गैस न मिलने के कारण अपना विस्तार नहीं कर पा रही हैं। जबकि दूसरी ओर सरकार ने इफको और कृभको के साथ मिलकर ओमान जैसे देशों में कंपनियां स्थापित की हैं।

मेरा मंत्री जी से सवाल है कि इन कंपनीज से आम किसानों को कितना सस्ता खाद मिलेगा कई फैक्टरियों में सरकार गलत तरीके से सब्सिडी दे रही है। उसकी जांच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की आय और सहकारी क्षेत्र की दो उर्वरक कंपनियां बंद हैं, और पिछले 10 वर्षों में एक भी नई उर्वरक कंपनी नहीं बनाई गई हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है क्या यूरिया क्षेत्र में कोई घोटाला है?

[हिन्दी]

मेरी मांग है कि इसके बारे में पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और किसान को सही मात्रा में यूरिया मिले, सरकार इसका उपाय करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार माननीय मंत्री के समक्ष एक प्रश्न रखें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय सभापति महोदय, आधे घंटे की चर्चा में आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी तमाम सम्मानित सदस्यों ने प्रश्न किये हैं। इस आधे घंटे की चर्चा के लिए माननीय स्पीकर महोदया ने जो अनुमति प्रदान की है, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूं। इसमें ज्यादातर मांग की गई है कि पूरे देश में यूरिया और डीएपी की मांग के अनुसार हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। खाद की उपलब्धता के बारे में यहां प्रश्न किये गये और नकली खाद का भी सदन में जिक्र आया। पिछले सत्र में हम लोगों ने इसी सदन में चर्चा की थी और प्रश्नकाल के दौरान भी हमने चर्चा की थी कि बड़े पैमाने पर नेपाल और बंगलादेश में इन खादों की तस्करी हो रही है और उसे रोकने के लिए सरकार की ध्यान भी आकर्षित किया गया था। लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो मांग और आपूर्ति में अंतर है, उसे आप कैसे पूरा करेंगे? अभी कहा गया कि नकली खाद आयी हुई है, उस पर आप कैसे रोक लगायेंगे? बांगलादेश और नेपाल के रास्ते से जो डीएपी और यूरिया खाद की तस्करी हो रही है, उसे रोकने के लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री उत्तर दें। मंत्री के कथन के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कृपया मंत्री जी को मत रोकिए।

श्री वी. नारायणसामी: अभी मिनिस्टर साहब का जवाब सुनिये।...*(व्यवधान)*...

[अनुवाद]

सभापति महोदय: पहले उन्हें माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने चाहिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): चेयरमैन सर...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री श्रीकांत जेना: आप पहले मेरी बात सुन लीजिये। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए। जैना जी सदस्य को सम्बोधित मत कीजिए, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीकांत जेना: चेयरमैन साहब, मैं आपका आभारी हूं कि बहुत दिन के बाद यह चर्चा हो रही है। मैं तो सदन से यह अपेक्षा करता था कि कम से कम फर्टिलाइजर और किसान के सवाल पर ढंग से चर्चा होती। इस आधे घंटे की चर्चा में न मैं सब को संतुष्ट कर पाऊंगा और न आपके प्रति न्याय कर पाऊंगा।. ..*(व्यवधान)* फर्टिलाईजर के दो सवाल उठ रहे हैं। एक तो जो यूनिट्स बंद हो गये हैं, उन्हें कब रिवाइव कर रहे हैं और दूसरा, अभी यूरिया और डीएपी की देश में कितनी एवेलेब्लिटी है? बहुत सी स्टेट्स में जहां बारिश हुई है, वहां ठीक से जितनी यूरिया की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आवश्यकता है, उतनी नहीं पहुंच पा रही है, ऐसी शिकायत आ रही है। मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि 2002 में यूपीए की सरकार नहीं थी। सिन्दरी, गोरखपुर, तालचेर, बरौनी, कोरहा रामगुंडम, दुर्गापुर और हल्दिया यूनिट्स को बंद कर दिया गया था जहां पर 23 लाख मीट्रिक टन यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा था। ...*(व्यवधान)* मेरी बात तो सुन लीजिये।

फैक्टरी टैम्पोरेरी क्लोज डाऊन होती है, एक महीने के लिये भी हो सकती है। बहुत सी फैक्ट्रियां बंद भी होती हैं और खुल भी जाती हैं। अगर परमानैंट किसी में सील लग गया तो वह बंद है। उसके बाद भारत सरकार ने, कैबिनेट ने यूपीए गवर्नमेंट आने के बाद 2007 में तय किया कि कितनी यूरिया की देश में जरूरत है और जितनी हमारी जरूरत है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसलिये हम इसे कैसे बढ़ायेंगे, इसके लिये जो यूनिट्स बंद हुए हैं, उनको रिवाइव किया जा सकता है या नहीं? कैबिनट ने निर्णय लिया और ग्रुप ऑफ सैक्रेटरीज की एक कमेटी बनायी और कहा कि इस मामले की छानबीन करिये

[अनुवाद]

क्या उन इकाइयों का पुनरूद्धार किया जा सकता है अथवा नहीं?

[हिन्दी]

छानबीन हुई और ग्रुप ऑफ सैक्रेटरीज की रिकमैंडेशन्स अभी-अभी आयी हैं और उसने दो मॉडल दिये हैं। एक -रेवेन्यू शेयरिंग कि पीपीपी मोड में जायेंगे और हमारे पीएसयूज हैं, उन्होंने भी इंटरैस्ट शो किया कि हम रिवाइवल के लिये ले सकते हैं। रुद्र बाबू जो हमारे उड़ीसा के हैं, जब उन्होंने सवाल किया था तो मैं उन्हें समझा नहीं पाया था। तालचर यूनिट कोल बेस्ड यूनिट है। उसे बंद किया गया था। तालचर में कोयला है। तालचर मे नैचुरल गैस जाने में समय लगेगा। यह कब आयेगा, किसी को पता नहीं है? जो नयी टैक्नोलॉजी आयी है कि कोल गैसीफिकेशन रूट में क्या यह यूनिट रिवाइव हो सकती है? इसके लिए एक टीम चाइना गयी, साऊथ अफ्रीका से भी खबर ली गयी कि

[अनुवाद]

कोल गैसीफिकेशन रूट सर्वोत्तम रूट है और वह यूनिट रिवाइव हो सकती है।

[हिन्दी]

इसीलिए राष्ट्रीय कैमिकल एंड फर्टीलाइजर, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया तीनों ने मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ फर्टीलाइजर को प्रस्ताव दिया कि हम एक कंसोडियम बनाकर इसे चलाना चाहते हैं। हमने सोचा कि ऑक्सन रूट में न जाकर, हम सीधे कैबिनेट को एप्रोच करेंगे ताकि यह यूनिट तुरन्त खुल जाये। इसी दिशा में एम्पॉवर कमेटी ऑफ सैक्रेटरीज की रिकमंडेशन आ गयी है, अब यह कैबिनेट को जा रहा है और कैबिनेट के एप्रूवल के बाद बिना टेंडर के सीधे पब्लिक सेक्टर यूनिट के नाते इसे नॉमिनेशन बेसिस पर दिया जायेगा। तालचर यूनिट पर मैंने राज्य सभा में यही उत्तर दिया था कि कम से कम समय में करें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): हम छह महीने से यह प्रस्ताव सुन रहे हैं।

श्री श्रीकांत जेना: एक यूनिट को कौन सी टैक्नोलॉजी में हम लेंगे और एक यूनिट जिसमें दस हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। आप बताइये कि उड़ीसा में ऐसे कितने यूनिट आये हैं, जिसमें दस हजार करोड़ रुपये की यूनिट को आप दो दिन में, दो महीने में, छह महीने में, पांच साल में लाये हैं। इसलिए यह एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को लागू करने के लिए, मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दे रहा हूं कि कम से कम, जिस यूनिट को ...*(व्यवधान)*

श्री रुद्रमाधव राय (कंधमाल): क्या यह इकोनॉमिकल वॉयहल है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना: हां, यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य है इसलिए हम उसे अपना रहे हैं...

[हिन्दी]

(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। सदन में न्यूज पेपर को कोट नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

बात यह है, कि हमारे पास प्राकृतिक गैस मौजूद है, तो हम अवश्य की उसे अपनाएंगे। प्राकृतिक गैस हमारे पास है नहीं इसलिए हम इस सबसे छोटे मार्ग को अपना रहे हैं इसकी कीमत प्राकृतिक गैस की कीमत से कम नहीं होगी इसलिए कोयला गैसीकरण सर्वोत्तम मार्ग है और यही कारण है कि इस इकाई का पुनरूद्धार अन्य इकाइयों में पहले होगा क्योंकि उनका पुनरूद्धार तो तब होगा जब उर्वरक मंत्रालय को गैस उपलब्ध होंगी। गैस की उपलब्धता ही नहीं अपितु इसका मूल्य भी बहुत महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)* मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: मैं आपको जानकारी दूं। कोल गैस यूनिट के लिए 25 साल लगेंगे।

श्री श्रीकांत जेना: मैं आपको उस कमेटी में लेकर जाऊंगा।

श्री हंसराज गं. अहीर: मंत्री जी आप सही जवाब दीजिये।

श्री श्रीकांत जेना: आप मेरी बात सुनिये।

[अनुवाद]

न तो आप विशेषज्ञ है और न ही मैं

[हिन्दी]

आप मेरी बात सुनिये। आप जानते हैं या नहीं...*(व्यवधान)*

श्री हंसराज गं. अहीर: मैं जानता हूं। इसके लिए 25 साल लगेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकांत जेना: रामागुंडम और तालचर कोल गैसीफिकेशन रूट में ही चल रहा था। ऐसा नहीं है कि हम नयी टैक्नोलॉजी ला रहे हैं।

[अनुवाद]

कोयला गैसीकरण रुट पर रामागुंडम और तालचर में दोनों इकाइयां पहले से ही चालू थीं। यह नई प्रौद्योगिकी नहीं है। अब की पहले से अधिक विकसित प्रोद्यौगिकी कहीं अधिक उपयुक्त है और सारे विश्व में जहां भी कोयला उपलब्ध है, वे इकाइयां कार्यरत है। आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो एक समिति जाकर देख सकती है।

इसलिए, यह वह मार्ग है जिसका निर्णय तालचर यूनिट का पुनरूद्धार करने के लिए किया गया है। तालचर यूनिट ही नहीं रामागुंडम यूनिट पर भी विचार किया गया। लेकिन प्राकृतिक गैस अब रामागुंडम के आस पास उपलब्ध है और इसलिए रामागुंडम का भी पुनरूद्धार किया जाने वाला है। अन्य इकाइयों के बारे में मैंने अपने उत्तर में कह दिया है।

[हिन्दी]

मैंने बता दिया है कि जो आठ यूनिट हैं, उन्हें रिवाइव करने के लिए हम कैबिनेट के पास जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कैबिनेट जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लेगी।...*(व्यवधान)* नहीं, जीओएम में नहीं जायेगा, यह सीधा कैबिनेट को जा रहा है। जीओएम इसके लिए नहीं है। दूसरी बात यूरिया की उपलब्धता के बारे में है। . ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): क्या कोयला गैसीकरण पर एक जीओएस हो सकता है?

श्री श्रीकांत जेना: नहीं, यह अपेक्षित नहीं है क्योंकि यह एक प्रौद्योगिकी है जो आपके संसदीय क्षेत्र में अनुमोदित है। जिन्दल ग्रुप का भी एक कोयला गैसीकरण संयंत्र है। इसलिए यह प्रौद्योगिकी प्रमातासिद्ध है। इसलिए, किसी जीओएम आकलन किसी और तंत्र की इस मामले में जरूरत नहीं है।

[हिन्दी.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): मंत्री जी बरौनी के बारे में बताइये। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकांत जेना: मैंने बरौनी के बारे में बताया। बरौनी को एक स्पेशल परपज वहीकल बनाया गया था। उस समय इसको पब्लिक सैक्टर को दिया गया था। अभी जो न्यू इनवैस्टमैंट पॉलिसी आ रही है, उसमें गैस का प्राइस क्या होगा, एक बार यह फैसला हो जाए तो बरौनी का काम भी शुरू हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृपया मुझे भाषण पूरा करने दीजिए। आप प्रश्न रख सकते हैं। हम इस मामले पर भलीभांति चर्चा कर सकते हैं। बात यह है कि सरकार इस इकाई के पुनरूद्धार को बहुत उत्सुक है क्योंकि इस देश में यूरिया की जरूरत है। हमें 280 लाख टन की जरूरत है परन्तु हमारी उपलब्धता मुश्किल से 211 लाख टन है। हम करीब 50 लाख यूरिया का आयात करते हैं। हमें नहीं पता कि कीमतों का क्या होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मैं श्री धर्मेन्द्र जी को एक चीज के प्रति आश्वस्त कर सकता हूं कि यह एक नियंत्रित वस्तु है। किसानों द्वारा यूरिया का खपत 55 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

55 प्रतिशत यूरिया का कंजम्पशन देश में किसानों द्वारा फर्टिलाइजर के रूप में होता है, उसके बाद डीएपी और एमओपी आता है, लेकिन यूरिया सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यूरिया की एवलेबिलिटी कराने के लिए गवर्नमैंट अभी भी यूरिया को कंट्रोल में रख रही है लेकिन डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में बता दूं, मैं आपको

आंकड़े दे दूं कि कौन-कौन सी स्टेट को आज तक कितना यूरिया दिया गया है। कल तक कितना यूरिया रिक्वायर्ड था और कितना दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): लेकिन मध्य प्रदेश में यूरिया की बहुत कमी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री जी को अपना भाषण समाप्त करने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीकांत जेना: आप मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में वर्षा अच्छी हुई है और इसलिए यूरिया की डिमांड भी बढ़ी है।

[अनुवाद]

देश के विभिन्न भागों में प्रतिदिन 60 रैक भेजे जा रहे हैं। विशेषकर जहां इसकी आवश्यकता होती है हम उस राज्य में इसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि तस्करी हो रही है।

[हिन्दी]

मेरी बात सुनिये, स्मगलिंग हो रही है। यूरिया जो किसान के लिए जा रहा है, कुछ लोग उसको डाइवर्ट करके इंडस्ट्रियल परपज में यूज करते हैं। स्मगलिंग हो रही है बाहर से। ...*(व्यवधान)* मेरी बात तो सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं वह भी बता दूंगा। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृपया धैर्य पूर्वक मेरी बात सुनिए।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें। वे अध्यक्ष पीठ को संबोधित नहीं कर रहे हैं। यही समस्या है।

श्री श्रीकांत जेना: उर्वरक नियंत्रण आदेश राज्य सरकार को अधिकार देता है। हम यह जानने के लिए राज्य सरकार के लगातार संपर्क में हैं कि उनकी जरूरतें क्या हैं और उनकी जरूरत के अनुसार हम अपेक्षित प्रमात्रा उपलब्ध कराते हैं। आवश्यकता से अधिक उपलब्धता है और इसके वितरण की जिम्मेदारी पूर्णत: राज्य सरकार की है। यदि राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो आप या हम क्या कर सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने सभी माननीय सदस्यों को लिखा है। जहां कहीं भी आवश्यकता है और जैसा भी माननीय सदस्य मुझे सुझाव दे, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यूरिया और डीएपी वहां उपलब्ध हो। किन्तु साथ हीं, मैंने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से इस बारे में अनुरोध किया है। संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति है और सभी सूचनाएं माननीय संसद सदस्यों को दी जाएगी ताकि जिला स्तर पर वे यह निगरानी भी कर सकें कि उर्वरक की उपलब्धता कितनी है और इनका संवितरण कैसे किया जा रहा है। वे अपने जिले में निगरानी भी कर सकते हैं क्योंकि विक्रेता जानबूझकर इसकी जमाखोरी करते हैं और अधिक मूल्यों पर किसानों को बेचते हैं। इसलिए, राज्य सरकार के एफसीओ और कृषि विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए हम लोग सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखते रहे हैं; मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है और मैं सभी संसद सदस्यों को भी पत्र लिख रहा हूं कि वे आवश्यक कदम उठाएं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव: राज्य सरकारों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप एमआरपी को कैसे कंट्रोल करेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकांत जेना: मेरी बात सुन लीजिए। यूरिया का एमआरपी भारत सरकार द्वारा फिक्स्ड है।

[अनुवाद]

यूरिया का अधिकतम मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यूरिया के अधिकतम मूल्य को कोई नहीं बदल सकता है। अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने वालों को उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सजा दी जानी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव: जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात कर रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीकांत जेना: आप मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि यह मामला ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त अन्य चीजें कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जाएंगी।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री श्रीकांत जेनाः वह भी कराएंगे, लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप भी सजग रहिए। मैं आपको इनफार्मेशन दे देता हूं कि किस क्षेत्र में कितना फर्टिलाइजर दिया गया है।... *(व्यवधान)* मेरे पास टोटल इनफोर्मेशन है, जो मैं आपको दे दूंगा।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं सभी माननीय सदस्यों को सारी सूचनाएं दूंगा। साथ ही मैं माननीय सदस्यगणों से सहयोग भी चाहूंगा। उर्वरक किसानों तक पहुंचना चाहिए न कि व्यापारियों तक जो स्मग्लिंग में लगे हैं। संसद सदस्य निगरानी समिति के तहत निगरानी करके किसानों और सरकारों की भी मदद कर सकते हैं। मैं इस संबंध में पहल करने के लिए सदस्यों से अनुरोध करूंगा। मैं उर्वरक की उपलब्धता का भरोसा दे सकता हूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यदि सदस्य मुझे लिखकर या ऐसे बताते हैं कि कहीं भी उर्वरकों की कमी है तो वहां उर्वरक उपलब्ध कराया जाए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब 'शून्य काल' शुरू होता है।

श्री गणेश सिंह

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर भारत सरकार के डाक एवं संचार मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः हमने पहले ही 'शून्य काल' शुरू कर दिया है। श्री गणेश सिंह के वक्तव्य के अलावा कोई भी चीज कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंहः डाक एवं संचार मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि देश के कई ऐसे बड़े गांव हैं, जहां पोस्ट आफिस नहीं हैं, जबकि केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं पोस्ट आफिसों के माध्यम से हितग्राहियों के खाते खोलने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन इत्यादि के भुगतान का काम कराने की नीतियां बनायी हुई हैं। रेलवे मंत्रालय ने रेल टिकट भी पोस्ट आफिस से देने की घोषणा की है। इसी तरह से मनरेगा में मजदूरों के भुगतान के खाते भी वहीं खोले गए हैं। लेकिन आज यह भी देखा जा रहा है कि देश के कई सुदूर अंचलों में 15-15 किलोमीटर तक कोई पोस्ट आफिस नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में कोटर एक ऐसी जगह है, जहां तहसील मुख्यालय है और आज तक वहां उप-डाकघर नहीं बना है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि देश में एक हजार की आबादी के उन सभी गांवों में उप-डाकघर खोले जाएं और केन्द्र और राज्य सरकारों ने जो योजनाएं चलायी हैं, पोस्ट आफिस तक उन योजनाओं को लोगों तक ठीक ढंग से हम लोग चला सकें, इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि एक हजार की आबादी वाले सभी गांवों में पोस्ट आफिस खोले जाएं।

श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी (धार): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मऊ तहसील के जंगलों में आदिवासियों की छोटी-छोटी बसावट है।उन गांवों के आसपास की जमीन पर विगत 25-30 वर्ष से आदिवासी खेती करते आ रहे हैं। वर्ष 2005 की वन नीति के अनुसार उन आदिवासियों को पट्टा देना था, लेकिन पट्टा देना तो दूर, पट्टा देने की बजाय उन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* 21 अगस्त 2010 की रात को चार बजे वन विभाग के अधिकारी 10-12 कर्मचारियों के साथ आए और एक आदिवासी श्री रामचन्द्र और उसके बेटे को ले गए, उनके साथ मारपीट की। जब रामचन्द्र थाने गया तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय पुलिस ने मार-पीट करके भगा दिया। इसी प्रकार 9 जुलाई को वन विभाग के अधिकारियों ने हद कर दी, जब घनश्याम नाम के एक आदिवासी की इतनी पिटाई की कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, एक नंदु की पिटाई की, उसका हाथ टूट गया, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा कुमारी गोपी चोपड़ा, उसकी पुस्तकों को फाड़कर जला दिया गया, उसके घर को तहस-नहस करके तोड़ दिया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी डिप्टी रैंजर भदौरिया और एएसडीओ फारेस्ट अभय जैन महिलाओं को, मैं क्या बताऊं आपको। ये महिलाओं को अकेले में रात के अंधेरे में बात करने के लिए बुलाते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इन लोगों को पट्टे दिए जाएं। जिस अधिकारी और जिन पुलिस अधिकारियों ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखी और जिन्होंने इन पर अन्याय एवं अत्याचार किया, उन पर केस दर्ज किया जाए, मेरा आपसे यही अनुरोध है।

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं दलित इसाईयों की लंबे समय से लंबित पड़ी मांग का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं कि उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाए क्योंकि उनकी भी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अन्य दलित जातियों की तरह दयनीय और कलंकपूर्ण है। दलित इसाईयों का तर्क यह है कि जब इस मुद्दे पर अनुसूचित जाति के आदेश में दो बार बदलाव किए गए तो उन्हें इसमें शामिल करने के लिए इसे पुन: संशोधित क्यो नहीं किया जा सकता है? दलित सिक्खों और दलित बौद्धों के मामले में पहले भी ऐसा किया गया है। अधिकांश दलित ईसाई आर्थिक रूप से कमजोर, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए और राजनीतिक रूप से अधिकारहीन तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते हैं। इस कारण हेतु दलित ईसाई की मांग है कि भारत सरकार को उन्हें कानूनी हक प्रदान करना चाहिए और धर्म के नाम पर उनके विरुद्ध भेदभाव को बंद किया जाए।

हाल के अध्ययन के अनुसार ईसाईयों में दलितों और गैर-दलितों के बीच विजातीय विवाह सामान्य बात नहीं है और यह प्रतिबंधित भी है, तथा जो इसे तोड़ते हैं उन पर सामाजिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। पूजापाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में भी सामाजिक अलगाव है और दलित ईसाईयों के लिए अलग कब्रगाह पर जोर दिया जाना है। इस अध्ययन में आगे बताया गया है कि चूंकि यह दलित ईसाई संबंधी मुद्दे पर पिछले बड़े न्यायिक निर्जल के बाद से दलित ईसाईयों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर अब कहीं और भी अधिक साक्ष्य उपलब्ध है। इस अध्ययन के अनुसार दलित ईसाईयों को भा.जा. का दर्जा नहीं देने को औचित्यपूर्ण बताने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। मुझे विश्वास है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में मेरे दावे का समर्थन किया है।

चूंकि मैं दलित ईसाईयों के समक्ष आ रही समस्याओं से व्यक्तिगत रूप से अवगत हूं क्योंकि मेरे पंजाब स्थित गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र में लगभग 1,50,000 ईसाई है और उनके उत्थान के लिए कोई स्कीम नहीं है, इसलिए मैं माननीय अल्पसंख्यक मामले मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे दलित ईसाईयों की दीर्घ काल से लंबित पड़ी मांग को न्याय देने के लिए उन्हें आरक्षण देने हेतु 1950 के अनुसूचित जाति आदेश में आवश्यक संशोधन करें।

श्री जी.एम. सिद्देश्वर (दावणगेरे): माननीय सभापति महोदय, मैं शिव कुमार कलासंघ शिवसंचार सनेहाली, होसादुर्गा तालुक, चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक के 20 कलाकार और एक गुरू के लिए वर्ष 2009-10 हेतु वेतन अनुदान मंजूर करने की आवश्यकता की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

शिवसंचार कर्नाटक का एक प्रसिद्ध थियेटर रिपोटरी है और इसकी स्थापना वर्ष 1997 में शिवकुमार कलासंघ के दशवार्षिक समारोह के रूप में ही गई थी। प्रतिवर्ष 20 ग्रामीण कलाकारों का समूह चुना जाता है और इस रंगमंच के निर्देशकों के विशिष्ट मार्गनिर्देशन में उन्हें अभिनय का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन कलाकारों को प्रशिक्षण के दौरान मासिक मानदेय दिया जाता है और मुफ्त रहने-खाने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, शिव संचार इस क्षेत्र में और अधिक सेवा देने के लिए अपने दलों को मजबूत करने हेतु प्रतिवर्ष 1 से 9 नवम्बर के बीच वार्षिक नाट्य उत्सव, बच्चों के लिए प्रशिक्षण शिविर, सेमीनार, पुस्तक मुद्रण और नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रम नियमित रुप से आयोजित किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने वर्ष 2009-10 में 20 कलाकारों और एक शुरू को वेतन देने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है।

मैंने इस संबंध में मंत्रालय को कई पत्र लिखे हैं और तत्कालीन संस्कृति मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद भी मंत्रालय द्वारा इस कलासंघ को अब तक अनुदान संस्वीकृत नहीं किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि शीघ्र शिवकुमार कला संघ को वित्तीय अनुदान संस्वीकृत किया जाए ताकि वे अपने कार्यकलाप में सुधार कर सके।

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): सभापति महोदय, मैं जो सबसे ज्यादा किल्लत पानी की है, उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र जालौर-सिरोही के अन्दर सिरोही में बनास नदी है, जो सबसे बड़ी है। उसके अन्तर्गत आबूरोड और पिंडवाड़ा तहसील का काफी बड़ा क्षेत्र आता है, जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र है, जिसमें गरासिया और भील आदिवासी जाति के लोग रहते हैं। आबूरोड से 35 किलोमीटर पहले धनारी गांव में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। आबूरोड होते हुए गुजरात सीमा के लगभग 50 किलोमीटर तक इस नदी पर कोई बांध या एनिकट नहीं है, जिसकी वजह से इस बांध के बाद में इस नदी का बहने वाला 1.5 लाख क्यूसेक्स पानी व्यर्थ में बहकर गुजरात राज्य में चला जाता है। दातीवाड़ाबाद की ओर जाने के बाद में हमारे यहां पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत रहती है।

कुछ वर्ष पहले यह नदी लगातार बहती थी, जिसके कारण इसके किनारे जो गांव बसे हुए हैं, उनमें यह नदी ही जल के लिए एकमात्र स्रोत थी, जो आज एकदम खत्म हो चुकी है। मैं सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि आबूरोड, जिसकी जनसंख्या लगभग एक लाख है, इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है और राजस्थान गुजरात का सीमा क्षेत्र है।...*(व्यवधान)*

एक मिनट। मुझे पूरा करने दीजिए। मैं सुबह से बैठा हूं। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इसके लिए हमने बहुत सारे आवेदन दिये हैं। तहसीलदार ने भी वहां से लिखकर भेजा है। अगर मात्र 3.5 करोड़ रुपये मिल जाते तो उससे एक एनिकट बन जाता, लेकिन राज्य सरकार वापस वही राग अलापती है कि हमारे पास पैसा नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि मात्र 3.5 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देकर यह बांध बनाने में हमारी मदद करे, ताकि वहां हमारी समस्या का समाधान हो सके।

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बासवराज (टुमकुर): सभापति महोदय, मैं टुमकुर, कोलार, चित्रदुर्ग के बड़े इलाके और हासन, चिकमंगलुर और बंगलुरू के ग्रामीण और शहरी जिलों के कुछ भागों में लोगों के द्वारा सामना किए जा रहे पेयजल की भारी कमी के बारे में केन्द्र सरकार को आगाह करना चाहता हूं। यदि इस समस्या का गम्भीरता से सामना न किया गया तो उपर्युक्त इलाकों के पांच से दस वर्ष की छोटी सी अवधि में बंजर और सूखा प्रभावित क्षेत्र में तब्दील हो जाने की सम्भावना है। नदियां और सहायक नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई समुद्र में मिलती हैं लेकिन उनके पानी का उपयोग जनप्रयोग के लिए नहीं हो पाता है। एमएसएल से 915 से 920 मीटर की ऊंचाई पर दबाव सुरंग प्रक्रिया द्वारा इन नदियों से पर्याप्त जल का उपयोग पारिस्थितिकी और पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जा सकता है।

इन सुविधाओं के लिए प्रस्तावित स्थल मडीकेरी, सोमवारपेट, सक्लेशपुर, मूडीगेरे हो सकते हैं जो उपर्युक्त सूखा प्रभावित क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए पेय जल हेतु और 13,000 से ज्यादा तालाबों, और जलाशयों में जल भराई के लिए 90 टीएमसी पानी उपलब्ध करा सकता है। कर्नाटक के कहने पर राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी ने पश्चिम की ओर बहने वाली इन नदियों और सहायक नदियों और सहायक नदियों और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिशेष पानी को दूसरी दिशा में मोड़ने की व्यवहारिकता के संबंध में एक हवाई सर्वेक्षण किया था रिपोर्ट कर्नाटक सरकार के पास है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह पेयजल उपलब्ध कराने और भू-जल स्तर के पुन:भरण के लिए हर सम्भव केन्द्रीय सहायता की पेशकश कर परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए इस मुद्दे को कर्नाटक सरकार के साथ उठाए।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, मैं शासन का एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुम्बई में दादर चैत्य भूमि के ऊपर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का स्मारक है।

डाक्टर बाबा साहब अंबेडकर को सभी जानते हैं, जो संविधान के निर्माता हैं और उन्होंने देश में समानता लाने की कोशिश की। बाबा साहब का जो स्मारक है, वह बहुत छोटे पैमाने पर है। महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन और बाबा साहब के सभी अनुयायी भी चाहते हैं कि बाबा साहब का एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक होना चाहिए। यह हम सब की इच्छा है।

महोदय, जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन आता है, तब 25 से 30 लाख लोग वहां पूरे देश से आते हैं। वहां खड़े होने की जगह भी नहीं रहती है। मेरी मांग है कि उसके पास में इंडिया यूनाइटेड मिल्स डाई वर्क्स नामक मिल है, जो बंद पड़ी हुई है, जो केंद्र सरकार की मिल है। उस मिल के बंद होने के बाद हमने वस्त्र उद्योग मंत्री को एक लेटर लिखा था। उन्होंने भी इसकी सहमति दी है। मैं चाहता हूं कि इस मिल की जगह डा. बाबा साहब अंबेडकर स्मारक के लिए दी जाए। वहां बाबा साहब के जीवन की आर्ट गैलरी बना सकते हैं, वहां बाबा साहब का पूरे जीवन की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, भिक्षु निवास बना सकते हैं, बौद्ध फिलास्फी के लिए एक केंद्र बना सकते हैं। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार की जो मिल है, जिसके लिए मंत्री महोदय ने सहमति दी है कि यह जगह देने के लिए केन्द्र शासन तैयार हैं। अगर जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र शासन को जगह मिलेगी तो वहां बाबा साहब के नाम की एक अंतराष्ट्रीय स्तर की स्मारक लायब्रेरी बना सकते हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार से विनती है कि इस स्मारक को बनाने के लिए जल्दी से जल्दी जगह दे।

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): सभापति महोदय, हम सब इस बात से अवगत हैं कि रेलवे मेल सर्विस (आरएमएस) रेलवे

के समन्वय से डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली काफी पुरानी मूल उपयोगी सेवा है। यह डाक विभाग की जीवन-रेखा हैं लेकिन ऐसा लगता है कि डाक प्राधिकारियों द्वारा इन सेवाओं विशेषकर मेल सेवाओं को, बिना औपचारिक घोषणा किए निजीकरण के क्षेत्र में ले जाने के लिए जानबूझ कर प्रयास किया जा रहा है। इन मेल सेवाओं को आरएमएस से सड़क परिवहन वाहनों की ओर मोड़ने से इस बात की नि:संदेह पुष्टि होती है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र नामत: कर्नाटक के हुबली डिवीजन में, ऐसा मुझे बताया गया है कि गुन्टाकाल पैसेंजर ट्रेन में कार्यरत आरएमएस का एक खण्ड, हुबली-बंगलौर-मैसूर इंटरसिटी ट्रेन में चल रहा खण्ड और हुबली-बेलारी रेलवे मेल सेवाएं वापस ले ली गई हैं और इसके स्थान पर निजी वाहन किराए पर लिए जा रहे हैं और डाक थैले भेजे जा रहे हैं। इसी प्रकार शोलापुर बीजापुर और बागलकोट की ओर जाने वाले आरएमएस रूट को भी निजी वाहन किराए पर लेकर सड़क परिवहन मेल सेवाओं में बदला जा रहा है। इसके लिए जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें द्रुत डाक सेवाएं आरएमएस में चूंकि रेल सेवाओं की बारम्बारता कम है और हम अनेक सुदूर स्थलों पर रेल की अपेक्षा सड़क मार्ग से ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है यदि हम एक उदाहरण लें कि किस प्रकार रानीचन्नम्मा एक्सप्रेस से डाक के थैले बंगलौर से हुबली ले जाए जाते हैं जिनकी सुपुर्दगी बीजापुर और बागलकोट में होनी होती है। ये डाक थैले निजी वाहनों द्वारा उठाए जाने के लिए देर शाम तक हुबली आरएमएस कार्यालय में पड़े रहते है जो वितरण में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न करता है। इसे केवल देर शाम तक ही संवितरित किया जाता है।

यह स्पष्ट करना अनावश्यक होगा कि किस प्रकार निजीकरण से कर्मचारियों की संख्या घटती है और आरएमएस में कार्यरत वर्तमान कर्मचारियों के लिए कठिनाई उत्पन्न होती है। यह तथ्य बार-बार आरएमएस कर्मचारी संघ द्वारा मेरे ध्यान में लाया जाता रहा है। अत: मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार इस मामले पर विचार करें।

मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह हुबली डिवीजन में 32 नैमित्तिक श्रमिकों के नियमितीकरण से संबंधित काफी समय से लंबित मुद्दा है। ये कई वर्षों से लंबित है और उच्चतम न्यायालय ने भी अपने हाल के निर्णय में भारत सरकार को विशिष्ट दिशा निर्देश निर्धारित करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद आरएमएस हुबली कार्यालय ने इस पर विचार नहीं किया है और श्रमिकों का नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। वे वहां 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उन्हें उनकी सेवाओं को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): सभापति महोदय, पिछले दिनों समाचार पत्रों में एक बहुत ही चिंताजनक खबर छपी थी, जिसकी ओर मैं आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात के महसाना जिले में ओंजा शहर है, वहां पर दो पत्रकारों ने, एक व्यक्ति को जिसका नाम कल्पेश मिस्त्री है, आत्मदाह करने के लिए उकसाया था।

मकसद यह कि उनका जो टीवी चैनल था, जिसके लिए वे काम करते थे, उसकी टीआरपी बढ़ जाए। क्योंकि यह फौजदारी का मामला है और सदन में अगर कोई भी बात कही गई तो उसका असर उस जांच पर पड़ सकता है, इसलिए इस विषय के तथ्यों में न जाकर मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करना चाहता हूं। आज इस देश और मीडिया को टीआरपी के आतंक से निजात दिलवाने की जरूरत है। सारा खेल आंखों की पुतलियों, जिसे अंग्रेजी में आई बॉल्स कहते हैं, का है। जितने आई बॉल्स उतने विज्ञापन। हम इस सदन में और बाहर जितना मर्जी कह लें कि जो आई बॉल्स या टीआरपी है, यह देश की वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं करती। लेकिन जिन व्यक्तियों ने विज्ञापन देना है, उनके लिए मापदंड सिर्फ एक ही है और वह टीआरपी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के मीडिया को बचाने के लिए, जो लोकतंत्र का स्तम्भ है, टीआरपी और पेड न्यूज का जो आतंक है, इससे निजात दिलवाने के लिए कोई न कोई ठोस कदम जल्द उठाए जाने चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संथाल-परगना जहां से मैं मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट हूं, उसकी स्थितियों के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्री प्रेमचंद की एक नमक का दरोगा कहानी है। उसमें कहा जाता है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि संथाल-परगना या झारखंड इस देश का 50 प्रतिशत माइन्स और मिनरल्स प्रोड्यूस करता है। मैं जिस एरिया से आता हूं, इसके बावजूद वहां 75 प्रतिशत लोग शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड हैं और वे बीपीएल श्रेणी में निवास करते हैं। उसका बार्डर एक तरफ बंगलादेश से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ नेपाल से जुड़ा हुआ है। वहां पीने के पानी का यह समस्या है कि आदमी पानी पी रहा है या जानवर पानी पी रहा है, इसका अंदाजा नहीं है। स्कूल का यह हाल है कि वहां 20 से 22 प्रतिशत महिलाएं ही केवल स्कूल जा रही हैं, साक्षर हैं। छ: जिले - गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहबगंज है। उसका साक्षरता का प्रतिशत 20 से 22 है। वहां जो इरीगेशन प्रौजेक्ट चल रहे हैं, किसी भी खेत में पानी नहीं

है। वे 40-40 साल से चल रहे हैं। आप समझिये कि वह करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है। वहां कोई इलैक्ट्रीसिटी नहीं है। दस हजार मेगावाट वहां जो कोयला है, संथाल-परगना में एशिया का सबसे बड़ा राजमहल कोल ब्लाक, चित्रा कोल ब्लाक है। उससे बिहार के कहलगांव में पावर प्रोड्यूस हो रही है, फरक्का में प्रोड्यूस हो रही है और वहीं से पंजाब जा रही है, वैस्ट बंगाल जा रही है। पूरे संथाल-परगना में एक भी पावर प्लांट नहीं है। एक महिला कालेज नहीं है और जो महिला कालेज है, उसकी पूरी दीवार टूटी हुई है। लड़के जो कालेज में आते हैं, उनकी अटेंडैंस का केवल दस से बारह प्रतिशत का ही चार्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि वह डिप्राइव्ड सैक्शन है, बंगलादेश और नेपाल से बार्डर जुड़ा हुआ है, रोजगार का कोई भी साधन नहीं है, सब बेरोजगार हैं। इस कारण वह ईपी सैंटर है। केन्द्र सरकार ने अभी जो 34-35 जिले लिये हैं और जिनमें वह 15 हजार करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रही है, मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है, गृह मंत्री जी से कहा है, वित्त मंत्री जी को कहा है कि जब तक आप इन छः जिलों को इनक्लूड नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क के एक व्यक्ति प्रधान मंत्री बने, जो माओइस्ट हैं, जब वे यहां आये, माननीय शरद यादव जी इस सदन के सांसद हैं। जब उन्होंने दिल्ली में प्रैस कांफ्रेस की, तो कहा कि जब वे अंडर ग्राउंड थे, तब उन्होंने पांच साल उसी संथाल-परगना में बिताये। यह उन्होंने टीवी पर ऑन रिकार्ड कहा, मीडिया में कहा कि वह इतना बड़ा नक्सलवादियों का ईपी सैंटर है। मेरा केन्द्र सरकार से आपके माध्यम आग्रह है कि आप उन छः जिलों को नक्सलाइट अफैक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इनक्लूड कीजिए, नहीं तो आपका 15 हजार करोड़ रुपया डूब जायेगा, क्योंकि नक्सलवादी वहीं से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या बिहार जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): महोदय, अट्टापदी केरल के महत्वपूर्ण जनजातीय क्षेत्रों में से एक है जो तमिलनाडु को सीमा पर, पलक्कड जिले में है। महोदय, आप इससे अच्छी तरह अवगत हैं।

अट्टापदी तीन पंचायतों में 745 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में 180 बस्तियों में 6000 जनजातीय परिवारों का घर है। वर्ष 1951 में 91 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या से घटकर अब वे अल्पसंख्यक हो गए हैं। तमिलनाडु और केरल के अन्य भागों से पलायन के कारण गैर-जनजातीय जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। कृषि कार्यकलापों में भी तेजी से कमी आई है। इस क्षेत्र की धीरे-धीरे पास्थितिकी अवक्रमण भी हुआ है जिसके परिणामस्वरूप सभी प्रकार की भूमि-निजी फार्म वन, नदी तट, नमभूमि और सामान्य भूमि-बंजर भूमि में तब्दील हो रही है। 1990 के दशक के आरम्भ तक इस क्षेत्र की 80 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच चुके थे। अट्टापदी में अत्यधिक बाल-मजदूर हैं, मैदानी क्षेत्रों की ओर वे पलायन कर रहे हैं तथा बीमारी और भूख से ग्रस्त हैं। जनजातियां धीरे-धीरे पलायन कर रही हैं और कृषि से कल्याण योजनाओं द्वारा सृजित श्रम की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रामीण अपने सम्बंधित भूमि की ओर वापस लौटे तब उन्होंने पाया कि बाहर के लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और दर्शाए गए बिक्री विलेख भी विश्वसनीय प्रतीत हो रहे थे।

महोदय, 224 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले एक विशेष क्षेत्र में 50 एकड़ क्षेत्र वन विभाग का है और शेष भूमि जनजातियों की है। लेकिन भू-माफिया ने 400 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री एक ही भू-खण्ड को दोबारा बेचकर की है। प्रत्येक कुछ माह में सम्पत्ति के मालिक बदल जाते हैं, और इससे कुछ खास लोगों को लाभ हो रहा है। बैंक भी ऐसी सम्पत्ति पर ऋण प्रदान कर देते हैं। आरम्भ में डुप्लीकेट दस्तावेजों को व्यक्ति/मध्यस्थों के नाम से तैयार किया जाता है और तत्पश्चात् वे उस भूमि को निगमों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हस्तांतरित कर देते हैं। लेकिन राजस्व रिकार्ड से सिद्ध होता है कि भूमि वास्तव में जनजातियों की है।

केरल के जनजातीय भूमि अधिनियम 1975 के अंतर्गत जनजातीय भूमि केवल अन्य जनजातीय व्यक्ति को ही बेची जा सकती है और वह भी अपरिहार्य स्थितियों में। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से 1986 के बाद सभी सौदों को रद्द करने को कहा परन्तु यह कहकर कि भूमि किराए पर ली जा रही है आदिवासियों को संतुष्ट करके कानून को तोड़ा गया। पुणे की सृजन रियलटीज जो कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए भूमि की व्यवस्था करता है, ने अट्टापदी में 623 एकड़ भूमि की व्यवस्था की जिस पर 30 पवनचक्की स्थापित की जा चुकी है और इनमें से अधिकांश कोयम्बटूर क्षेत्र जो कि तमिलनाडु का सीमावर्ती क्षेत्र है के निकट शोलायूर और अगाली पंचायतों के अंतर्गत आती है। 2007 में जब राज्य विद्युत मंत्री द्वारा परियोजना का उद्घाटन किया गया तो सुजलॉन ने घोषणा की थी कि इसका लक्ष्य 20 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना है। हालांकि क्षेत्र की मांग केवल 0.5 मेगावाट की ही है और अधिकांश विद्युत का उपयोग पालक्कड़ जिले के अन्य भागों में किया जाएगा।

केरल लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार ने अट्टापदी में पवनचक्की कंपनी बनने के कारण जनजातीय व्यक्तियों की भूमि लौटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। जनजातीय भूमि को जबरन लेने और वहां पवनचक्की फार्म लगा लेने की घटना जनजातीय व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण था। अनुसूचित तथा पिछड़ा समुदाय कल्याण मंत्री ने बताया था कि कंपनी के

विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि यह भूमि 1986 के जनजातीय भूमि पुनरूद्धार की निर्धारित समय सीमा के बाद खरीदी गई थी।

महोदय, केरल के संपूर्ण अट्टापदी क्षेत्र में जनजातीय व्यक्तियों ने अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। परन्तु केरल सरकार ने उनकी भूमि लौटाने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाए है। महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने संसदीय क्षेत्र अररिया से चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस में ए.सी. डिब्बे तथा रसोई यान लगाने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इस ट्रेन में न भोजन की व्यवस्था है, न कोई रसोई यान है और न ही कोई अलग से प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी ए.सी. डिब्बे का प्रावधान है।

सायं 7.00 बजे

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र अररिया पड़ोसी देश नेपाल से सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है और हमेशा सैलानियों का आना-जाना उस क्षेत्र से होता है। देश की राजधानी दिल्ली तक आने के लिए वहां से मात्र एक ट्रेन है, जो नेपाल की सीमा के निकट जोगबनी से अररिया होते हुए दिल्ली तक आती है। यह हास्यास्पद बात है कि इस ट्रेन में एक ही ए.सी. डिब्बा है जिसमें आधा थ्री टियर का है और आधा टू टियर है और उसमें भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। इस ट्रेन को आने-जाने में में 24 घंटे से अधिक समय लगता है। उस ट्रेन में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 15 दिन पहले उस ट्रेन में डकैती हो गयी।

मैं आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि अलग से फर्स्ट टियर, टू टियर और थ्री टियर ए.सी. बोगी का प्रावधान किया जाए। इस ट्रेन में स्लीपर के मात्र चार डिब्बे हैं, अलग से स्लीपर के चार डिब्बे और लगाने की मांग करता हूं। लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतें होती हैं, पूरे रास्ते भर लोगों को भूखे आना पड़ता है, रास्ते में यात्रियों को स्टेशनों पर उतरकर भोजन करना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी-कभी उनकी ट्रेन छूट जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस ट्रेन में स्लीपर एवं ए.सी. कोचेज की व्यवस्था एवं खान-पान की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र भिवन्डी में वाशिन्द रेलवे स्टेशन है, जहां पर 62 नंबर गेट को बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से लोगों को आने-जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। बारिश के दिनों में पानी जाने के लिए जो मोरी बनाई गयी थी, वहां से लोग अभी आना-जाना कर रहे हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ज्यादा बारिश होने की वजह से वह रास्ता भी बंद हो जाता है और करीबन 50 से 60 हजार लोगों को वहां पर आने-जाने में दिक्कत होती है। खासतौर से जो बीमार और बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जब तक वहां पर फ्लाईओवर नहीं बनता है, उस गेट को खोला जाए और वहां पर लोगों को आने-जाने की सुविधा मिले। यही मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुडी): सभापति महोदय, मैं तत्कालिक लोक महत्व के एक अत्यंत गंभीर मुद्दे को उठाना चाहूंगा।

महोदय, आप जानते ही है कि पश्चिम बंगाल में रा.रा. 31डी, रा.रा.31, रा.रा.31क ही पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है। परन्तु अब ये सड़कें खस्ता हाल हो गयी हैं और इनकी स्थिति बहुत खराब है। इनपर कई स्थानों पर बड़े-बड़े गढ्ढे हैं। वर्षा के दिनों में इन पर जलभराव आम बात हो गयी है और अब ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र बन गया है। वर्तमान में बागडोगरा से सिलिगुड़ी, और फलाकाटा तथा अलीपुर द्वार से असम सीमा तक सड़के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग किसी भी प्रकार के वाहन के लिए सुरक्षित नहीं है। अत: परिवहन प्रणाली नष्ट होने के कारण सभी संबंधित व्यक्तियों को अत्यधिक परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अब, मैं सरकार विशेषकर संबंधित मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे वहां तुरंत एक सर्वेक्षण दल भेजकर रा.रा.-31डी, रा.रा.31, रा.रा.-31क की मरम्मत का काम तुरंत प्रारंभ करवाएं। मैं आशा करता हूं कि सरकार समुचित कार्रवाई करेगी।

श्री के. सुधाकरण (कन्नूर): सभापति महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा तथा सरकार का ध्यान कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना के कवर के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई के शोषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना, 1995 अपनी परिधि में लगभग चार करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है। यह ज्ञात है कि ईपीएफ पेंशन में केवल उन्हीं का अंशदान तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक का है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी अधिक पूंजी वाली एक योजना अपने सदस्यों को पेंशन के रूप

में इतनी कम राशि का भुगतान कर रही है जो कि उतनी भी नहीं है जितनी कि किसी अन्य निवेश के जरिये कमायी जा सकती थी।

एक कर्मचारी जो 15 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है उसे ईपीएफ पेंशन योजना में प्रति माह 541 रुपये के अंशदान के बाद पेंशन के रूप में पिछले माह केवल 1,393 रुपये की छोटी सी राशि मिली है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से ईपीएफओ लंबे समय से अंधेरे में रखकर भविष्य निधि पेंशन भोगियों का शोषण कर रहा है। विश्लेषण करने पर पता चला कि यदि 541 रुपये की राशि को किसी आवर्ती जमा योजना में 15 वर्षों तक प्रति वर्ष जमा किया जाए तो 15 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज सहित यह तकरीबन दो लाख रुपये देती है। यदि 2 लाख रुपये की बचत को प्रति वर्ष 10% की ब्याज दर से जमा कराया जाए तो जमा राशि अपने खाते में सुरक्षित रखने के बावजूद प्रति माह कम से कम 1,558 रुपये प्रति माह का रिर्टन देगी। परन्तु ईपीएफ पेंशन योजना में केवल 1,393 रुपये की पेंशन का भुगतान किया जा रहा है जिस पर जमा धनराशि का स्वामित्व सरकार के पास है।

इस तरह आम आदमी जो कि बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। इन कर्मचारियों को हुए नुकसान को और बड़ा बनाने के लिए सदस्यों के लिए आकर्षक दो मुख्य लाभकारों, प्रावधानों को दो वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया हैं वे हैं मृत्यु राहत कोष तथा कम्युटेशन। ये दोनों प्रावधान जो कि कर्मचारियों के लिए काफी लाभकारी थे, को ट्रेड यूनियन नेताओं से परामर्श किए बिना समाप्त कर दिया।

पूरे नियोजन काल के दौरान किसी कर्मचारी के कुल ईपीएफ पेंशन अंशदान को ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ईपीएफ पेंशन योजना के अंतर्गत उसे मिलने वाली अत्यल्प पेंशन उसके कुल अंशदान को किसी अन्य खाते में जमा कराने से अर्जित होने वाली धनराशि से भी बहुत कम होती है। यहां सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले का अध्ययन करने के लिए तुरंत एक आयोग गठित किया जाए और इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संतोषजनक पेंशन सुनिश्चित की जाए। मैं सरकार से दो मुख्य आकर्षक प्रावधानों नामत: मृत्यु राहत कोष तथा कम्युटेशन जो कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के वास्तविक कल्याण के लिए बनाए गए थे, को अब समाप्त कर दिए गए है, मैं समझता हूं इससे सरकार पर कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ता, को भी बहाल करने का अनुरोध करता हूं।

श्री अधलराव पाटील शिवाजी (शिरूर): सभापति महोदय, मैं इस सभा का ध्यान आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत ब्याज का लाभ देने हेतु शहरी सहकारी बैंकों के भेदभावपूर्ण रवैये से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी एडी कैटेगरी 1 लाइसेंसधारी वाणिज्यिक बैंक तथा शहरी सहकारी बैंक निर्यात को रियायती दरों पर निर्यात वित्त मुहैया कराने के हकदार हैं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निर्यातकों तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को उपलब्ध रियायती दरों से अलग दो प्रतिशत की ब्याज उनके द्वारा निर्यात वित्त 7% की सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

तद्नुसार ही, जून, 2009 से सभी शहरी सहकारी बैंकों, जो विदेशी विनिमय का कार्य कर रहे हैं, को सरकारी सहायता योजना के अंतर्गत ब्याज का लाभ पाने के लिए पात्र बना दिया गया।

इन सभी बैंकों ने निर्यातकों को रियायत देने के पश्चात् गत तीन तिमाहियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने त्रैमासिक दावों को प्रस्तुत किया है। सभी शहरी सहकारी बैंकों के दावों को प्रस्तुत किया है। सभी शहरी सहकारी बैंकों के दावों की कुल राशि लगभग 4.81 करोड़ रुपये है जिसे रिजर्व बैंक द्वारा निपटाया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंकों को वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय से सब्सिडी की राशि अभी प्राप्त नहीं हुई है। उसी प्रकार, अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तक योजना का विस्तार वाणिज्यिक बैंकों के लिए पहले ही कर दिया गया है। तथापि, शहरी सहकारी बैंकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इस स्कीम का विस्तार अप्रैल, 2010 से शहरी सहकारी बैंकों के लिए किया जाना है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस भेदभाव को समाप्त करे और मार्च, 2010 तक इस स्कीम का विस्तार शहरी सहकारी बैंकों के लिए करें जैसे कि इस स्कीम को वाणिज्यिक बैंकों के लिए किया गया है ताकि इन बैंकों से जुड़े निर्यातकों को लाभ मिल सके।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि वे सभी शहरी सहकारी बैंकों के लिए सब्सिडी की राशि को तत्काल जारी करने की व्यवस्था करें।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने असम के भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों की समस्याओं से जुड़े इस गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की मुझे अनुमति प्रदान की है। महोदय, मैंने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है।

21 जुलाई, 2010 को असम के बरपेटा के डीसी कार्यालय के सामने पुलिस ने एक लाख लोगों द्वारा शांति पूर्वक जुलूस निकाल रहे लोगों पर गोली चलायी। चार लोग तत्काल हताहत हुए और 26 लोगों को गोली लगी तथा 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वे लोग असम के नेशनल रजिस्टर फार

सीटीजन (एन आर सी), 1951 को अध्यतन करने वाली अन्यायपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण प्रायोगिक परियोजना का विरोध कर रहे थे और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा वर्ष 1966 और 1970 की अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची के आधार पर किया जा रहा था। इसके लिए असम के बारपेटा और छायागांव सर्किलों के नागरिकों से आवेदन मंगाए गए थे।

चूंकि यह भेदभाव पूर्ण और अपमानजनक था, इसमें उस सर्किल के 73,000 लोगों में से केवल 10,000 लोगों ने आवेदन दिया और शेष लोगों ने आवेदन करने से मना कर दिया। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नागरिक नियम, 2003 के नियम 4 और 6(1) के अनुसार भारत के महापंजियक को अलग से किसी राज्य विशेष अथवा सर्किल के लिए नहीं अपितु संपूर्ण देश में एक ही समय में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना चाहिए। असम के लोगों को पुरजोर आशंका है कि प्रायोगिक परियोजना का उद्देश्य ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (एएएसयू) के कहने पर असम के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विदेशी घोषित करना है।

भारत के वास्तविक नागरिक नागरिकता के लिए फिर से आवेदन क्यों दे? वे एनआरसी अद्यतन करने अथवा तैयार करने अथवा पता लगाने और बंगलादेशियों को वापस भेजने के विरुद्ध नहीं है किन्तु ऐसा इस देश के प्रचलित मानकों और नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। विदेशी लोगों का पता विदेशी लोगों के अधिकरण का उपयोग कर लगाया जाना चाहिए।

महोदय, 1.5 लाख से अधिक मतदाताओं को फर्जी मतदाता अथवा संदेहास्पद मतदाता के रूप में रखा गया है। और ये पिछले 15-16 वर्षों से अपने मताधिकार से वंचित हैं। उन्हें तत्काल मताधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।

महोदय, नागरिकता अधिनियम में नियम 4 को हटाते हुए नियम 4क उपबंध बनाया गया था ओर यह उपबंध इसी सदन में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा बनाया गया जिस पर किसी भी सभा द्वारा चर्चा नहीं की गई अथवा अभिपुष्टि नहीं की गई। उस उपबंध के लिए राज्य सरकार ने इस प्रायोगिक परियोजना को शुरू किया। किन्तु इसे उसी आधार पर निरस्त कर दिया जाना चाहिए जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने आईएमडीटी अधिनियम को निरस्त किया था।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार को तत्काल 4क को निरस्त करना चाहिए और नियम 4 के आधार पर एनआरसी संबंधी कार्य करना चाहिए। मैं यह भी मांग करूंगा कि प्रायोगिक परियोजना को बंद किया जाए और पीड़ितों को तत्काल पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाए और तदनुसार ही दोषी पुलिस अधिकारियों को सजा दी जाए।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, माननीया अध्यक्ष जी ने नवादा संसदीय क्षेत्र के संबंध में मुझे बोलने के लिए इजाजत दी है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, बिहार का नवादा जिला संपूर्ण रूप से सुखाड़ से अभिशप्त है। नदियां, तालाब सूखे हैं, जमीन के नीचे पानी का लेयर नहीं हैं, इंसान और पशु एक साथ पेयजल के लिए यत्र-तत्र बेबसी में घूमते रहते हैं। हजारों महिलाएं घड़े और बाल्टी लेकर दो-तीन किलोमीटर से पानी लाने के लिए बाध्य हो रही हैं। वे महीने में कभी-कभार ही स्नान कर पा रहे हैं। आजादी के 63 साल बाद भी यह स्थिति रोंगटे खड़ी करती है। नवादा जिले में जो भी थोड़ा बहुत पानी है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण विकलांगता दर बहुत अधिक है। गांवों के गांवों में विकलांगों की पीड़ियां हैं। इस संबंध में राज्य से लेकर केन्द्र सरकार ने, इन वर्ष में, कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है। इस जिले में परसकरी, तिलैया, घाघर नदियां हैं जो वर्ष के पानी के कारण तबाही का कारण बनती रही हैं। इस पर सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए डैम बनाने की परियोजना वर्ष से लम्बित है। करीब 25 लाख की आबादी में दो-तिहाई आबादी महादलित, दलित, पिछड़े, अति-पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं गरीब लोगों की है, जिन्हें आज भी रोटी-पानी उपलब्ध नहीं है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इन समस्याओं के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक बातचीत कर, अभियान के तौर पर एक कारगर योजना बनाकर, अपने स्तर पर पहल करे और योजनाओं के निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध कराए। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): महोदय, मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित बालाघाट के मार्गा का उन्नयन से जन सुविधा का विकास किए जाने हेतु राज्य सरकार ने कुछ सड़क निर्माण की सूची केन्द्र सरकार को भेजी है, जो कि जनहित में अति आवश्यक है। वाससिवन-कटंगी मार्ग लंबाई 30 किलोमीटर, यह प्रस्ताव राज्य शासन मध्य प्रदेश द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केन्द्र को भेजा गया है। परसाटोला जाा मोहगांव मार्ग, लंबाई 17 किलोमीटर, यह प्रस्ताव राज्य शासन मध्य प्रदेश द्वारा एलडब्ल्यूई योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को भेजा गया है। लांजी दुर्ग मार्ग छत्तीसगढ़ बोर्डर तक, लंबाई 34 किलोमीटर, एलडब्ल्यूई योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को भेजा गया है। लांजी सालेटेकरी मार्ग छत्तीसगढ़ बोर्डर तक, लंबाई 59 किलोमीटर, एलडब्ल्यूई योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को भेजा गया है। राजेगांव किरनापुर लांजी अमगांव मार्ग, लंबाई 57 किलोमीटर, एलडब्ल्यूई योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को भेजा गया है। उक्त सड़कों का निर्माण कार्य किए जाने हेतु राज्य शासन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्र शासन को प्रस्ताव भेजे हैं, जो भारत शासन के पास विगत छः मास से लंबित हैं। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है,

इसीलिए बालाघाट जिले पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अतएव भारत सरकार से मांग है कि जनहित में और नक्सल प्रभावित जिला मानकर उक्त सभी सड़कों को जो राज्य शासन ने स्वीकृति हेतु केन्द्र शासन को भेजे हैं, उनको स्वीकृत किया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रेम दास राय (सिक्किम): माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मुझे सरकार और इस महान सदन के ध्यान में यह लाना है कि वर्तमान में सिक्किम मुसलाधार वर्षा और बादल फटने के कारण व्यापक पैमाने पर अब तक हुए सबसे भयानक भू-स्खलन के संकट का सामनाकर रहा है जो अभी भी जारी है।

कई लोगों ने अपनी जान गवाई है। कई लोग बेघर हो गए हैं। कई स्थानों पर खड़ी फसल के बह जाने के कारण किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 31ए, जो एक मात्र जीवन रेखा है, कई जगहों पर टूट गया है। कई दूरस्थ के इलाकों से कई दिनों तक संपर्क टूटा रहा। राज्य की राजधानी का संपर्क तीन दिनों तक कटा रहा। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई है। हमारी गरीब जनता इससे सबसे अधिक प्रभावित हुई है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल जान-माल और राज्य सम्पत्ति को हुए नुकसान ही जांच करने और इस संकट से निपटने में राज्य सरकार को सहायता देने के लिए एक दल भेजे। ये अल्पकालिक उपाय है जिन्हें तत्काल उठाए जाने की आवश्यकता है।

मेरे विचार से और भी महत्वपूर्ण यह है कि सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरूणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दीर्घ कालिक उपाय किए जाएं। चालू योजना में पहाड़ों से जुड़ी विशिष्टियों की स्पष्टत: अनदेशी की जा रही है। इस तथ्य को देखते हुए कि पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और आश्चर्य जनक ढंग से वर्षा होने की अधिकाधिक घटना हो रही है। बड़ी संख्या में पहाड़ विशेष योजनाएं और कार्यक्रमों को शुरू किए जाने की आवश्यकता है। दिल्ली में तैयार की गई और मैदानी इलाकों के लिए उपयुक्त योजानाओं को पहाड़ों पर कार्यान्वित करने का प्रयत्न करने से स्थिति और भी गंभीर होगी।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि संसद के अगले सत्र में प्राथमिकता के आधार पर इस विषय पर पूर्ण चर्चा हो।

सायं 7.19 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(तीन) महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी-स्वर्गीय राजगुरु के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय यह बेहतर होता यदि इस सभा में कुछ ही देर पहले तक उपस्थित केबिनेट मंत्री ने उत्तर दिया होता, परन्तु मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह ध्यान से सुनें और यदि संभव हो तो इस महत्वपूर्ण पहलू पर उत्तर दें।

आज श्री शिवराम हरि राजगुरू को कभी कभार ही कोई याद करता हो। परन्तु उन्हे भगत सिंह और सुखदेव के साथ केवल राजगुरु वे रूप याद किया जाता है। पिछले मंगलवार, 24 अगस्त को उनके पैतृक गांव ने उनका 101 वां जन्म दिवस मनाया। उन्होंने उनका नाम जीवित रखा है। परन्तु राष्ट्र ने उन्हें याद करने के क्या प्रयास किए हैं?

आज राजगुरु नगर के यश के कारण है प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, एक आवासीय विद्यालय, एक एसईजेड और एकड़ों में कृषि भूमि। जी हां, उनके गांव के लोगों ने अपने गांव का नाम राजगुरु नगर रखा है जो महाराष्ट्र में पुणे से 45 कि.मी. दूर है। स्वतंत्रता सेनानी, राजगुरु का स्मारक कहीं भी पूरा होने के निकट नहीं है।

अधिकांश ''वाडा'' जैसा कि महाराष्ट्र में कहा जाता है, जहां वह रहते थे जीर्णशीर्ष अवस्था में है केवल जिस कक्ष में 1908 में उनका जन्म हुआ था और उसके बहिर्गृह का जीर्णोद्धार किया गया है और भीमा नदी के तट पर उसकी पुश्ता दीवार बनाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस स्थान पर शेष कार्य को छोड़ दिया गया है।

वर्ष 2008 में, मानसून सत्र के दौरान, मैंने इस सभा का ध्यान राजगुरु के शताब्दी समारोह की ओर आकृष्ट किया। मैं नहीं जानता कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। क्या हमें याद नहीं है कि राजगुरू को 1931 में ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था? क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की याद को भावी पीढ़ी के लिए जीवित रखना आवश्यक नहीं है?

मैं महाराष्ट्र का नहीं हूं परन्तु राजगुरु इस देश के हैं, इस राष्ट्र के हैं हमारी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर

कर दी। मैं मंत्री जी और सरकार से उत्तर चाहूंगा। यदि वह कुछ शब्द बोल सकें तो कम से कम जो हमने यहां बोला है उसे कल परिचालित किया जा सकेगा। हमें इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए थी और पिछले एक सप्ताह से मैं इस मामले को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहूंगा।

डा. तरुण मंडल: मैं श्री महताब द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को जोड़ना चाहूंगा।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री वी. नारायणसामी): महोदय माननीय सदस्य ने स्वतंत्रता सेनानी का एक गंभीर मामला उठाया है। माननीय सदस्य के अनुसार, उनकी जन्मशताब्दी पिछले वर्ष मनाई गई। जो कुछ भी किया जा सकता संभव है वह किया जाएगा। हम इसे संबंधित मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे, हम देखेंगे कि उनके मूल घर का जीर्णोद्धार किया जाए और साथ ही उन्हें समाज द्वारा याद किया जाए।

श्री भर्तृहरि महताब: धन्यवाद महोदय।

सभापति महोदय: श्री हंसराज जी, अहीर और डा. तरुण मंडल, श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए मुद्दे से खुद को जोड़ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, आपने मुझे अपने राज्य के विषय को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। झारखंड राज्य में राज्य निर्माण के पश्चात् बीपीएल सर्वे हुआ। आज से लगभग तीन महीने पहले सर्वे का काम चला और सर्वे के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा गया। वर्तमान में यहां राष्ट्रपति शासन है। यहां से ग्रामीण विकास मंत्रायल के एडीशनल सैक्रेट्री साहब भी वहां गए हुए थे और उनसे भी चर्चा हुई थी। झारखंड में अभी अकाल की स्थिति है और पिछले वर्ष भी अकाल पड़ा था। यहां बीपीएल परिवार की बुकलेट इश्यू नहीं हुई इसके चलते जो गरीब लोग हैं, चाहे एपीएल या बीपीएल परिवार के हैं, उन्हें भारत सरकार के राहत कार्य से लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में लोग भूख से मर रहे हैं। हमारा गिरीडीह लोकसभा क्षेत्र में बोकारो, गिरीडीह और धनबाद, तीन जिले हैं, अभी तक यहां 12 व्यक्ति मर चुके हैं। जानवरों को चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारा आग्रह है कि वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था में अविलंब राहत कार्य शुरू करवाया जाए। आपको ताज्जुब होगा कि आठ साल पहले एपीएल और बीपीएल परिवारों का राशन कार्ड बना था लेकिन आज तक नया राशन कार्ड नहीं बना है। इससे भी बड़ी बात है कि वहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं, उग्रवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सुखाड़ के नाम पर वहां एमसीसी द्वारा दो दिन का राज्य बंद घोषित किया गया। हमारा आग्रह है कि इस पर अविलंब कार्यवाही की जाए। मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, हमारा आग्रह है कि वे इस पर चिंतन करें।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, हमारे महाराष्ट्र में करीब आठ थर्मल पावर प्लान्ट्स ऐसे हैं, जो कोयला बेस्ड हैं। उनके यहां कोल इंडिया द्वारा कोयले की आपूर्ति होती है। पिछले माह सभी पावर प्लान्ट्स में खराब और कीचड़ से लदा हुआ कोयला आने की वजह से बिजली के जनरेशन पर भारी असर पड़ा है। वहां अभी चालीस प्रतिशत बिजली का निर्माण हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और विशेषकर कोयला मंत्रालय से विनती करूंगा कि जो कोयला वहां कोल इंडिया की डब्ल्यूसीएल इकाई द्वारा सप्लाई होता है, वहां वर्तमान में जितने भी रैक्स जा रहे हैं, सब गीले और कीचड़ में सने कोयले के कारण रैक्स भी खाली नहीं हो रहे हैं। इससे अंदाजा लनया जा सकता है कि वहां कितना खराब कोयला जा रहा है। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने वहां बिजली के पावर प्लान्ट्स में कोयले की जगह ऑयल का उपयोग किया और ऑयल जलाने की वजह से बिजली का उत्पादन महंगा हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि अच्छा कोयला सप्लाई करने हेतु वहां पर कोल इंडिया या कोल इंडिया की इकाई डब्ल्यूसीएल को निर्देश दें। इसके अलावा वहां ऐसे कोयले की सप्लाई क्यों हो रही है, इसकी जांच करने हेतु एक जांच दल भेजा जाए, ताकि भविष्य में महाराष्ट्र में जहां पहले ही छः हजार मेगावाट बिजली की कमी है, वहां ऐसे खराब कोयले की आपूर्ति के कारण बिजली के उत्पादन पर भारी असर हुआ है, जिसके कारण वहां की जनता और उद्योग प्रभावित हुए हैं। मेरी आपसे मांग है कि इस पर सरकार तुरंत ध्यान दे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा कल 31 अगस्त, 2010 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 31 अगस्त, 2010/भाद्रपद 9, 1932 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।